खण्ड–35, अंक–02
शुक्रवार, 16 अग्रहायण, शक संवत्, 1934
(07 दिसम्बर, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2012)

(खण्ड 35 में 07 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	''क''
प्रश्नोत्तर	1–69
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	70
प्रश्नोत्तर की प्रति के अतारांकित प्रश्न संख्या–1 में माननीय सदस्य के नाम के आगे उनके पद का उल्लेख नहीं किया जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न	71–74
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	74–75
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)	75
प्रदेश के आर0एफ0सी0 के गोदामों में इलेक्ट्रानिक कांटों की कमी तथा मिड–डे–मिल के लिए सामान का भाड़ा न मिल पाने से व्यापरियों को हो रही घाटे के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद हरिद्वार के जिला चिकित्सालय, मेला चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सालय में डाक्टरों, मशीनों तथा दवाईयों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद अल्मोड़ा में जिला समाज कल्याण कार्यालय में कार्मिकों की कमी के परिणामस्वरूप कल्याण योजनायें प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा विकास खण्ड की भौगोलिक रूप से विस्तृत विकास खण्ड को दो भागों में बांटे जाने के समबन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	76–77
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में ग्राम सभा ढोला गाँव तथा रानीकोट के गोमती नदी पर पैदल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	77

विषय	पृष्ठ संख्या
नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र का एक मात्र हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में वर्षों के उपरान्त कला भवन का निर्माण न होने तथा आवश्यक विषयों का संस्थागत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद बागेश्वर के गरूड़ में प्रधानमंत्री ग्रामणी सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कौसानी–भतड़िया–मछियाबगड़ मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	77–78
श्रीद मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने बजट कम खर्च होने के बाद भी राज्य की विधान सभा के समक्ष अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	78–80
उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री साधू राम एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री लीला राम शर्मा के निधन पर शोकोद्‌गार	81–89
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2012 के द्वितीय सत्र में नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	89
विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दिनांक 12 सितम्बर, 2012 की रात्रि को भारी वर्षा एवं बादल फटने से ध्वस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	89–90
विधान सभा क्षेत्र कपकोट में बहने वाली नदियों एवं नालों से बरसात में आबादी क्षेत्र एवं कृषि भूमि कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	91
विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दिनांक 12 सितम्बर, 2012 की रात्रि को भारी वर्षा एवं बादल फटने से ध्वस्त मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	91
उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	91
उत्तराखण्ड परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	91–92
कार्य–मंत्रणा की सिफारिश (स्वीकृत)	93–95

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	95—105
सदन की अधिकारी दीर्घा में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था का प्रश्न	105
कार्य—स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	105—119
वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) ...	119—125
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) ...	125—130
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किये जाने का संकल्प (अस्वीकृत)	130—135
उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने का संकल्प वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	135—138
राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थायी राजधानी देहरादून को राजधानी को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थायी राजधानी घोषित किये जाने का संकल्प (चर्चा जारी)	139—143
प्रदेश में घरेलू गैस की अपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दून करने के लिए पारदर्शी नीति बनाये जाने का संकल्प (चर्चा जारी)	143
उत्तराखण्ड राज्य का ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम—105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	144—147
नियम—53 के अन्तर्गत सूचनाएं	147
नत्थी	148

''क''

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्री आदेश चौहान
5—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
6—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
7—विजय बहुगुणा
8—श्री गणेश गोदियाल
9—श्री गणेश जोशी
10—श्री चन्दन राम दास
11—श्री चन्द्र शेखर
12—डा0 जीत राम
13—श्री तीरथ सिंह
14—श्री दान सिंह भण्डारी
15—श्री दिनेश धनै
16—श्री नवप्रभात
17—श्री नारायणराम आर्य
18—श्री पुष्कर सिंह धामी
19—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
20—श्री कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
21—श्री प्रदीप बत्रा
22—श्री प्रीतम सिंह
23—श्री प्रीतम सिंह पंवार
24—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
25—श्री प्रेम सिंह
26—श्री फुरकान अहमद
27—श्री भीमलाल आर्य
28—श्री मदन कौशिक
29—श्री मदन सिंह बिष्ट
30—श्री मनोज तिवारी
31—श्री मयूख सिंह
32—श्री महावीर सिंह
33—श्री माल चन्द
34—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
35—श्री यतीश्वरानन्द
36—श्री यशपाल आर्य
37—श्री राजकुमार
38—श्री राज कुमार ठुकराल
39—श्री राजेश शुक्ला
40—श्री ललित फर्स्वाण
41—श्री विक्रम सिंह नेगी
42—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
43—श्री विशन सिंह चुफाल
44—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
45—श्री संजय गुप्ता
46—श्री सरवत करीम अंसारी
47—श्रीमती सरिता आर्या
48—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
49—श्री सुबोध उनियाल
50—सुन्दर लाल मन्द्रवाल
51—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
52—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
53—श्री सुरेन्द्र राकेश
54—श्री हरक सिंह रावत
55—श्री हरबन्स कपूर
56—श्री हरिदास
57—श्री हरीश धामी
58—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
59—श्री हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद हरिद्वार में जारी किये गये बार लाईसेंस की संख्या सहित विवरण

**1–श्री नवप्रभात–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद हरिद्वार में कितने वर्ष लाईसेंस दिये गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में हरिद्वार जनपद मे कितने बार लाईसेंस प्रभावी हैं तथा उन संस्थानों (होटल/बार) का पूर्ण विवरण क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

जनपद हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2011–2012 में कुल 04 (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) अनुज्ञापन दिये गये हैं।

वर्तमान में जनपद हरिद्वार में 13 बार अनुज्ञापन प्रभावी है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. उर्वशी होटल (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) सिविल लाईन, रुड़की जनपद हरिद्वार।
2. क्लासिक रेस्टोरेन्ट (एफ0 एल0–07 सम्मिश्र बार) रुड़की, जनपद हरिद्वार।
3. प्रेम होटल (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) सिविल लाईन रुड़की, जनपद हरिद्वार।
4. राज पैलेस (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) हरिद्वार रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।
5. विशाल होटल (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) दिल्ली रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।
6. गोदावरी होटल (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) दिल्ली रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।
7. एम्ब्रोसिया रिसोर्ट (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) रुड़की रोड, बढेड़ी जनपद हरिद्वार।

8. मित्रास बार (एफ0 एल0–07 सम्मिश्र बार) रावली महदूद सिडकुल, जनपद हरिद्वार।

9. सेन्ट्रम होटल (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) दिल्ली रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।

10. आलिया रिसोर्ट (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) सिविल लाईन, रुड़की, जनपद हरिद्वार।

11. गार्डिनिया रिसोर्ट (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) सिडकुल, जनपद हरिद्वार।

12. रायल पैलेस (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) सिडकुल, जनपद हरिद्वार।

13. मोटेल पोलेरिस (एफ0 एल0–06 सम्मिश्र बार) सिविल लाईन, रुड़की रुड़की, जनपद हरिद्वार। (यह बार अनुज्ञापन, अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने के कारण अस्थाई रूप से स्थगित है।)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जनपद हरिद्वार का कोई क्षेत्र शराब की बिक्री के लिए प्रतिबन्धित है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार का क्षेत्र शराब की बिक्री के लिए प्रतिबन्धित है।

श्री नवप्रभात

मान्यवर, कौन सा क्षेत्र प्रतिबन्धित है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नगर पालिका क्षेत्र है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, क्या दिनांक 23 फरवरी, 2012 और 27 फरवरी, 2012 को शासन स्तए पर लाईसेंस जारी करने की कोई कायवाही हुई ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, क्या चुनाव आयोग से किसी ''बार'' को लाईसेंस देने के लिए अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही हुई थी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, निश्चित रूप से शायद माननीय मंत्री जी को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। दिनांक 22 और 23 फरवरी को दो लाईसेंस जारी किये गये हैं। वह लाईसेंस हरिद्वार से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, जहाँ नगर पालिका क्षेत्र समाप्त होता है, वहाँ पर जारी किये गये हैं। भौगोलिक दृष्टि से वह दोनों स्थान देहरादून जनपद में पड़ते है। नगर पालिका क्षेत्र के अनुसार उसकी सीमा के तीन किलोमीटर दूरी तक कोई भी इस प्रकार का लाईसेंस देने का प्राविधान नहीं है। वहाँ पर लाईसेंस जारी किये गये हैं। निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है जो हरिद्वार की मर्यादा और उसके धार्मिक स्वरूप को खराब कर रहा है। इसका निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप बड़े पुराने सदस्य है, अनुभवी भी है और सराकर में भी रह चुके है। यह विभाग भी आपके पास रह चुका है। यह ज्यादा अच्छा होगा यदि आप देहरादून जनपद पर इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते है तो उसको पृथक से लगायें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, नगर पालिका क्षेत्र के चारों ओर इतनी दूरी तक कोई भी शराब का लाईसेन्स नहीं दिया जा सकता है, माननीय सदस्य ने कहा कि क्या हरिद्वार नगर के नगर पालिका क्षेत्र में लाईसेन्स दिये जा सकते हैं और मैंने जानकारी दी कि हरिद्वार की नगर पालिका सीमा के अमुक दूरी तक लाईसेन्स नहीं दिया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह जिला कौन सा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से वह देहरादून जिला है, आपको जानकारी नहीं है इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जानकारी के लिए धन्यवाद।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसमें प्रतिबन्धित क्षेत्र की परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। माननीय सदस्य ने कहा कि नगर पालिका के तीन कि0मी0 की परिधि में है, तो क्या प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई लाईसेन्स जारी हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई लाईसेन्स जारी नहीं हुआ है।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, क्या कुम्भ क्षेत्र में लाईसेन्स देना प्रतिबन्धित है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इससे यह प्रश्न नहीं उठता है, इससे एक ही प्रश्न उठता है कि क्या हरिद्वार जनपद में जो लाईसेन्स दिये गये हैं उनकी सूची है, यदि आप देहरादून जनपद का कोई सवाल पूछेंगे और वहाँ कोई अनियमितता की गई है तो उसका उत्तर दिया जायेगा।

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य/संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत सिडकुल में स्थापित उद्योगों में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही तथा विवरण

*1–श्री आदेश चौहान–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा कार्यरत श्रमिकों को अधिकतर ठेकेदारी प्रथाा में सेवायोजित करने तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा श्रम कानूनों के तहत किन–किन उद्योगों में कितने अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है ?

क्या सरकार राज्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम, सेवायोजन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में वर्ष 2010–11 में श्रम कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कुल 22 एवं वर्ष 2011–12 में कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुई। ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में कोई शिकायते प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित उद्योगों का निरीक्षणोंपरान्त श्रम कानूनों का उल्लंघन पाये जाने पर उनके विरूद्ध अभियोजन दायर किए गये :–

क्र0सं0	प्रतिष्ठान का नाम	दायर अभियोजन की संख्या
1.	सूर्या प्रोसिड फूड प्रा0लि0 सिडकुल हरिद्वार	03
2.	गुलशन लेमी	02
3.	इंडो एशियन	02
4.	स्टैण्डर्ड	02
5.	जीनस पॉवर	05
6.	वी0आई0पी0	07
7.	एच0यू0 लेम्पस	08
8.	प्रिंस इण्डस्ट्री	07
9.	राजा उद्योग	16
10.	विजय इलैक्ट्रोनिक्स	02
	योग	54

वर्ष 2011–12 में श्रम कानूनों के अन्तर्गत सिडकुल हरिद्वार के निम्न उद्योगों के विरूद्ध अभियोजन दायर किए गये :–

क्र0सं0	प्रतिष्ठान का नाम	दायर अभियोजनों की संख्या
1.	परफैक्ट	05
2.	वी0एल0सी0सी0	03
3.	एक्मस ड्रग्स	04
4.	सेंचुरी मेटल	09
5.	स्पीड क्राफ्ट	05
6.	एंकर हैल्थ	04
7.	जीनस पॉवर	01
8.	पारस नाथ इण्टर प्राईजेज	02
	योग	33

राज्य श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रतिबद्ध है। श्रम कानूनों के उल्लंघन होने की शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार जाँच/निरीक्षण तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध उपशमन/अभियोजन/निर्देशवाद के सुसंगत धाराओं/नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिडकुल हरिद्वार के अन्दर फिलहाल कितने उत्तराखण्ड के रहने वाले श्रमिक कार्यरत् हैं और कितने उत्तराखण्ड के बाहर क हैं ? और दूसरा प्रश्न मेरा है कि कम्पनी रोल पर कोई भी श्रमिक कितने दिनों के बाद आयेगा यानि ठेकेदारी प्रथा पर जो श्रमिक काम कर रहे है वह कितने दिन बाद कम्पनी रोल पर आने चाहिए और तीसरा प्रश्न यह है कि कम्पनी रोल पर कितने श्रमिक कार्यरत् हैं और ठेकेदारी प्रथा पर कितने श्रमिक कार्यरत् हैं ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जहाँ तक ठेकेदारी प्रथा का प्रश्न है यह कॉट्रेक्ट लेबर लिबरेशन एक्ट एण्ड एबोलिएशन एक्ट भारत सरकार का है, इस एक्ट के अन्तर्गत ठेकेदारी प्रथा में रखने का अधिकार है।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि सिडकुल हरिद्वार के अन्दर कितने श्रमिक ऐसे हैं जो उत्तराखण्ड के रहने वाले हैं और कितने श्रमिक ऐसे हैं जो उत्तराखण्ड के बाहर के हैं ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, यह प्रश्न कितने सर्वे का है इसलिए इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लें।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप जरा सुन लीजिए। जिन लोगों की नियुक्ति हुई है और वे उत्तराखण्ड में ही रहे। हम लोगों ने यह प्रश्न वैसे भी जिस समय जाति प्रमाण–पत्र रिपोर्ट के सम्बन्ध में बुलाया, उस समय यह तय कर दिया था कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय जो लोग उत्तराखण्ड में निवास करते हैं, वे मूल निवासी माने जाते हैं। अभी मैंने सचिव से ये कहा कि इसके आधार पर जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिल रहे हैं, और मिलने

चाहिए, समस्या बहुत गम्भीर है। मान्यवर, उत्तराखण्ड गठन के बाद से जो लोग राज्य में निवास कर रहे हैं वे उत्तराखण्डवासी मान लिये गये हैं। ये आदेश कर दिया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, इसके लिए आपको बधाई। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इसकी घोषणा की है, लेकिन इसको आज जारी कर दिया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर आज एक प्रश्न जाति प्रमाण–पत्र को लेकर था तो मैंने सम्बन्धित सचिव को बुलाकर उनसे ये कहा कि जब हम लोग सिद्धांतः तय कर चुके हैं और यह कैबिनेट में फैसला हो चुका है और जब फैसला हो चुका है तो जाति प्रमाण–पत्र और मूल निवास प्रमाण–पत्र हेतु लोग क्यों परेशान हो रहे हैं और भटक रहे हैं। इसे तत्काल तय कर लिया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, तत्काल क्या तय किया गया ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी प्रबोधन हुआ है और उसमें बताया गया है कि आपको सवाल पूछने का अधिकार है। आप जवाब सुन लें। आज जब इस तरह का प्रश्न आया तो मेंने उनसे कहा कि इसमें स्पष्ट निर्देश जारी क्यों नहीं किये। ऐसे दो–तीन सवाल और भी थे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निर्देश क्या हैं, बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निर्देश यही है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय जो लोग, उत्तराखण्ड में थे वे लोग यहाँ के मूल निवासी माने जायेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बनेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, अस्थायी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नहीं–नहीं, उनको जाति प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, क्यों परेशान हो, यह कार्यवाही का हिस्सा हो गया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, हमारा तो आपने प्रबोधन कार्यक्रम करा लिया, लेकिन माननीय मंत्रियों का प्रबोधन कार्यक्रम क्यों नहीं कराया जाता है। यहाँ पर सही जवाब नहीं आते। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इन्हें 32 साल हो गये हैं, प्रबोधन सुनते–सुनते। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) इन्होंने यह सवाल किया था कि उत्तराखण्ड वाले कितने हैं और बाहर वाले कितने हैं। जब बाहर वाला कोई है ही नहीं तो अब क्या करोगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मैंने इतनी बड़ी न्यूज आपको दे दी है। ताली बजाओं। (सदन में मेंजों की थपथपाहट)

श्री मदन कोशिक–

मान्यवर, आपने कौशिक समिति की रिपोर्ट मान ली है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, क्या आपके लिए यह मामूली न्यूज है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बहुत बडत्री न्यूज है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आपने कौशिक समिति की रिपोर्ट मान ली, इसके लिए बधाई।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, सिडकुल के अन्दर जो 70 फीसदी रोजगार प्रदेश के नवयुवकों को देनें का फैसला हुआ था, उसका पालन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से अलग हो रहा है।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के अन्तर्गत कितने लोग ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और कितने लोग कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, अलग से प्रश्न लगा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, प्रश्नकाल चल रहा है, चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मान्यवर, मैंने इससे पहले वाली विधान सभा में भी कहा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा भवन में, ट्रांजिट हॉस्टल में जहाँ हम रहे है और सचिवालय में, क्या श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है ? वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे है, क्या उनको प्रोविडेंट फण्ड दिया जा रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) मूल प्रश्न सिडकुल से सम्बन्धित है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इसमें अलग से प्रश्न है, क्या सरकार राज्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? (व्यवधान) मान्यवर, यह सिडकुल का मामला नहीं है। यह पूरे राज्य का मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेश जुवांठा–

मान्यवर, प्रश्न है, क्या सरकार राज्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? सिडकुल की बात नहीं है, पूरे राज्य की बात है। (व्यवधान) वह अलग प्रश्न है और यह अलग प्रश्न है। इसमें दो अलग–अलग प्रश्न हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मूल प्रश्न सिडकुल के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, कया राज्य में श्रम कानून केवल सिडकुल में लागू होते है? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सब जगह लागू होंगे लेकिन मूल प्रश्न सिडकुल का है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, अलग प्रश्न है, (व्यवधान) क्या सरकार राज्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? (व्यवधान) मान्यवर, विधान सभा भी राज्य में आती है। (व्यवधान)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने जो मूल प्रश्न किया है, वह सिडकुल हरिद्वार से सम्बन्धि है। आपने कहा कि प्रदेश में यदि श्रम कानूनों का उल्लंघन होगा तो कया सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ? मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं राज्य में ही पूछ रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, मैं वही जानना चाह रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि कया सचिवालय और विधान सभा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या ट्रांजिस्ट हॉस्टल में जो कर्मचारी काम कर रहे है, वह भी राज्य के अन्दर आते है, क्या वहाँ पर श्रम कानूनों का पानल किया जा रहा हो, क्या वहाँ पर उनको प्रोविडेंट फण्ड, ई0एस0आई0, कम्पल्सरी बोनस, लीव इन कैश की सुविधा दी जा रही है ? अगर दी जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी उनके प्रोविडेंट फण्ड के नम्बर सदन में उपस्थित करेंगे? मैं यह जानना चाह रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वैसे इस पर पृथक से प्रश्न कीजिए लेकिन श्रम कानून सब पर लागू होते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, क्या यह राज्य में नहीं आते ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, श्रम कानूनों का अगर कहीं पर उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से उसका सरकार संज्ञान लेगी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आज भी हमारे ट्रांजिस्ट हॉस्टल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी प्रोविडेंट फण्ड नम्बर एलॉट नहीं है। (व्यवधान) किसी को पूर्ण भुगतान नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हाँ, किया जा रहा है। आपका कोई प्रश्न हो तो उसे लिखित में दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, क्या यह राज्य में नहीं है ? (व्यवधान) अलग से प्रश्न का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराज–

मान्यवर, क्या सिडकुल में सब जगह श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हाँ, पालन किया जा रहा है। अन्य जगह भी यदि आपको कहीं उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है और आप संज्ञान में लाएंगे तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें से एक भी कर्मचारी के पास प्रोविडेंट फण्ड नम्बर नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, अलग से लिख कर दे दीजिएगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराज–

मान्यवर, रूद्रपुर सिडकुल के टी0वी0एस0 चक्रा फैक्ट्री में जो लोग पिछले तीन साल से काम कर रहे हैं।....

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, पिछले सत्र के दौरान जो स्थिति थी, वही आज भी है। माननीय मंत्री जी कोई संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर व्यवधान)

देहरादून अन्तर्गत मसूरी के गाँधी चौक पर सड़क का चौड़ीकरण

*2–श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत गाँधी चौक पर सड़क चौड़ीकरण न होने पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास एवं पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

जी हाँ।

भविष्य में प्रारम्भ होने वाली इस प्रकार की केन्द्र पोषित योजनाओं में इसको सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्तानुसा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि "क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी स्थिति गाँधी चौक पर सड़क चौड़ीकरण न

होने से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।'' उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि ''जी हाँ'' मैंने पूछा था कि ''यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी।'' तो मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया कि ''भविष्य में प्रारम्भ होने वाली इस प्रकार की केन्द्र पोषित योजनाओं में इसको सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।'' तो मेरा यह कहना है कि यदि केन्द्र से कोई योजना नहीं आयेगी, तो क्या चौराहे का चौड़ीकरण नहीं होगा, क्या सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होगा, क्या हमारी स्थानीय एजेन्सियों, जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 या एम0डी0डी0ए0 की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक तरफ तो आप विकास की बात करते है (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि कोई योजना केन्द्र से नहीं आई तो क्या चौराहों का चौड़ीकरण नहीं किया जायेगा ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हमारी जो नगर पालिकायें हैं, उनके वित्तीय संसाधन बहुत सीमित होते है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि चौराहों के चौड़ीकरण आदि के लिए केन्द्र पोषित या वाह्य सहायतित योजनाओं की मदद ली जाय। ताकि नगर पालिकाओं पर ज्यादा बोझ न पड़े।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नगर पालिकाओं के पास फण्ड नहीं है, तो क्या राज्य सरकार के पास भी फण्ड नहीं है, क्या इसके लिए राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आज देहरादून की जो स्थिति है, जगह–जगह पर जाम लग रहे हैं, लोगों का आना–जाना मुश्किल है, जो बाहर से टूरिस्ट आते है, वे जाम को देखकर कहते है कि दोबारा देहरादून नहीं आयेंगे। तो क्या इस सबके लिये राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार गाँधी चौक के चौड़ीकरण के लिये कोई कार्य करेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, निश्चित तौर पर यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और हम इससे बचते भी नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नगर पालिकाओं के वित्तीय संसाधन सीमित हैं और भारत सरकार से तमाम योजनायें आती है, अगली केन्द्र पोषित योजना में इस योजना को प्रस्तावित करेंगे। वैसे यह विषय हमारी शहरी विकास विभाग का नहीं हैं, क्योंकि यह सड़क नगर पालिका की नहीं है, यह लोक निर्माण विभाग की सड़क है और मुख्य राजमार्ग है। जो मसूरी के गाँधी चौक के चौड़ीकरण का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, वहाँ पर वास्तव में दिक्कते ज्यादा होती हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही इसके चौड़ीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह लोक निर्माण विभाग की सड़क है, लेकिन शहरी विकास विभाग की यह भी जिम्मेदारी है कि जो भी क्षेत्र उसके अन्तर्गत आता है, उसकी सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। जैसे लोक निर्माण विभाग की बात है या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बात है, जिसकी जिम्मेदारी नियोजित विकास की है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि नगर पालिकाओं के पा सीमित साधन होने के कारण उन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग या एम0डी0डी0ए0 से सम्पर्क स्थापित कर या सहायता लेकर व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, बिल्कुल ठीक कहा जैसा मैंने पहले कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़क है। इसमें हम लोग निर्माण विभाग के अधिकारियों को एवं इससे जुड़ा जो वहाँ पर प्राधिकरण है मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, उनके अधिकारियों के साथ और हम स्वयं शहरी विकास के अधिकारियों के साथ बैठकर इस चौराहे का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है जैसा प्रश्न में भी आया है कि पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण चौक है और वास्तव में समय–समय पर जाम लगता है और इसको ठीक भी किया जाना है। माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, प्रश्न लगाया, इसके लिए धन्यवाद और इसके लिए शीघ्र हम कार्यवाही करेंगे।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपने उल्लेख किया कि भविष्य में प्रारम होने वाली योजनाओं में इसे शामिल किया जायेगा। क्या अभी कोई योजना प्रस्तावित है आपकी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, देखिए अभी हमारी जो केन्द्र पोषित येजनाएं हैं, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत अभी जो प्रथम फेज हमारा है, वो लगभग समाप्ति की ओर है और हमें उम्मीद है कि वर्ष 20013 या 2014 में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के द्वितीय फेज के तहत जो हमारा बजट आयेगा, उसमें हम इसको प्रस्तावित करेंगे।

3–श्री आदेश चौहान–

द्वितीय मंगलवार के स्थापित तारां0 प्रश्न संख्या–1 में स्थाग0।

तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा दुगड्डा सहित प्रदेश की समस्त नगर पंचायतों को नगर विकास हेतु स्टेट फण्ड के बजट देने पर विचार

*1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की नगर पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के अपने वित्तीय संसाधन न होने के कारण नगरों की विकास योजनायें प्रभावित रहती है ?

क्या सरकार दुगड्डा सहित प्रदेश की सभी नगर पंचायतों को नगर विकास के लिए स्टेट फण्ड से बजट देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

नगर निकायों को विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्रीमती विजय बडथ्वाल का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थी।)

*2–श्री दान सिंह भण्डारी–

निरस्त।

*3–श्री मदन कौशिक–

निरस्त।

देहरादून में सफाई व्यवस्था हेतु विशेष कार्ययोजना

*4–श्री मदन कौशिक–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से नगर की सड़कों, गलियों एवं पार्कों में गन्दगी फैलती जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा देहरादून को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि देहरादून में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नगर की सड़कों, गलियों एवं पार्कों में गन्दगी फैलती जा रही है ? उत्तर में आया जी नहीं। मान्यवर, यहाँ सत्ता पक्ष के लिए देहरादून के विधायक होंगे और हमारे विपक्ष के भी होंगे। देहरादून राजधानी होने के बाजवूद पूरे शहर की स्थिति बहुत खराब है और चारों तरह गंदगी ही गंदगी आ रही है औ माननीय मंत्री जी सम्भवतः, माननीय मंत्री जी को इस बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि देहरादून नगर में सफाई के मानक क्या हैं ? कितनी जनसंख्या पर कितने कर्मचारी होने चाहिए और वर्तमान में कितने कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं और एक प्रश्न और है कि कितना कूड़ा प्रतिदिन निकल रहा है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी हमारे पास 646 सफाई कर्मचारी है। मानक जो हमारे 60 वार्ड हैं, उनमें वार्ड वाईज इनकी जिम्मेदारियाँ हैं और 173 हमारे वेतनभोगी और संविदा के हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने कहा कि पूरे भारत सरकार, राज्य सरकार मानक तय करती है कि इतनी जनसंख्या पर इतने सफाई कर्मचारी होने चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, एक वार्ड में 10 सफाई कर्मचारी हमारे हैं। देहरादून की आबादी चार लाख सैंतालीस हजार है। 2001 की जनगणना के अनुसार और मानक, आवश्यकतानुसार इनको पूरे शहर में रखते है और इसमें साथ में जो मोहल्ला स्वच्छता समितियां है, उनसे 60 वार्डों में हम लोग काम लेते हैं। जो अन्य हमारे कर्मचारी है, उनको समय–समय पर आवश्यकतानुसार इनके क्षेत्र हमने बांटे हुए हैं।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, यह इसी प्रश्न के अन्तर्गत है कि क्या सरकार द्वारा देहरादून को स्वच्छ रखने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है और आपने लिखा है कि "प्रश्न नहीं उठता।" हम लोग देहरादून के निवासी है और राजधानी में रहते है। राजधानी की स्वच्छता और राजधानी को सुन्दर बनाना हमारा योगदान है, सरकार का भी इस ओर विशेष ध्यान होना चाहिए। प्रश्न नहीं उठता इसका क्या मतलब था, इसका स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह उत्तर इसलिए आया है क्योंकि अभी जो हमारे पास योजना लागू है, वह योजना पूरी तरह से बनी हुई है। जब यह योजना अच्छी तरह से चल रही है तो इसमें भविष्य की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, जिस तरह देहरादून की आबादी बढ़ रही है उसको देखते हुए और चारों तरह कूड़े के ढेर हैं, जिसके लिए योजना बनाई जानी अतिआवश्यक है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आप अपना प्रश्न एक बार पुनः दोहरा दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि सफाई के मानक क्या है ? माननीय मंत्री जी ने कहा वार्ड के हिसाब से 10–10 कर्मचारी बाँटे गये है। एक वार्ड में जनसंख्या 10 हजार, 12 हजार और 25 हजार है। सफाई के जो मानक है, शायद सम्भवतः उधर से भी उत्तर नहीं आया होगा। 10 हजार पर 28 कर्मचारी नियत होते है और उस आधार पर देहरादून में कितने सफाई कर्मचारी चाहिए और वर्तमान में कितने हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, ठीक है, 10 हजार पर 28 कर्मचारी है, लेकिन यह मानक हमारे यहाँ पर अभी लागू नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश में लागू है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी हमारे पास 646 सफाई कर्मचारी है। इसके अलावा हमारे पास 173 दैनिक वेतन भोगी और संविदा वाले है। 610 कर्मचारी हमारे स्वच्छता समिति के है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितना कूड़ा प्रतिदिन निकल रहा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, लगभग 200 टन प्रतिदिन कूड़ा निकल रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 200 टन प्रतिदिन कूड़ा निकल रहा है। इस कूड़े को निकालने के लिए जो सालिड वैस्ट मैनेजमेंट है उसमें कितना प्रतिदिन हो रहा है और बाकी नगर निगम कितना का रहा है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जो कूड़ा निस्तार का विषय उठाया गया है, यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि मेरे प्रश्न में ही कूड़े का निस्तरण होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या कूड़ा करकट आधारित सेन्ट्रलाइज पावर स्टेशन, जो कूड़ा करकट से बिजली बनती है जैसे आन्ध्र प्रदेश में बन रही है और उत्तर प्रदेश में भी कार्य शुरू हुआ है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत कूड़ा करकट आधारित ऊर्जा चालक संयंत्र लगाय जा सकता है, अगर यह योजना है तो यह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार

मान्यवर, अभी देहरादून के अन्तर्गत ऐसी कोई येाजना नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, क्या सरकार भविष्य में इस पर कोई विचार कर रही है, या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है ?

श्री प्रदीप बत्रा–

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हरिद्वारा जिले में इस तरह की एक योजना चल रही है। इस पर आगे कार्यवाही होगी।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, देहरादून के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत शेलाकुई में एक प्लांट लगना था। क्या वह प्लांट आपके संज्ञान में है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके विभिन्न प्रश्न जो आये है। ए0डी0बी0 के अन्तर्गत 3–4 कार्य लिये है। जहाँ भी पर्याप्त पैसा है, उसका प्रबन्धन और उसमें कूड़ा निस्तारण भी है। यह बिल्कुल सही है केवल देहरादून, हरिद्वार का प्रश्न नहीं, कूड़े का निस्तारण जो पूरी तरह से होना चाहिए वह नहीं है। मान्यवर, शहर, गाँव, ब्लाक साफ दिखायी देह, ऐसा नहीं हैं। गाँव की व्यवस्था इससे भी कठिन है क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, आदमी कूड़ा कहाँ डाले यह बड़ी परेशानी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद माननीय मदन कौशिक द्वारा प्रश्न उठाया गया है। इसके लिए जो कूड़ा निस्तारण की ए0डी0बी0 की येाजना है, कूड़े की री–साईकिलिंग आदि की, उसको लागू होना है। अभी किसी भी जिले में नहीं हो पायी है। ए0डी0बी0 के पास तीन कार्य है, पेयजल, सीवररेज और कूड़ा निस्तारण, उन्होंने जगह–जगह पर टेण्डर आदि निकाले है। जैसे सड़कें, हम इतनी सड़कें बनायेंगे और इतनी पी0डब्ल्यू0डी0 बनाएगा, इससे कठिनाईयाँ आ रही है तथा उनके अपने भी नियम है तो ए0डी0बी0 के अन्तर्गत ए0डी0बी0 के माध्यम से पूरे उत्तराखण्ड में कूड़ा निस्तारण करने की व्यवस्था लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे है। वह भी दो तीन बैठकें कर चुके हैं और मैं भी इस सम्बन्ध में बैठकें कर चुकी हूँ। यह व्यवस्था की जायेगी, यह अकेले देहरादून का सवाल नहीं है यह हरिद्वार का सवाल भी है। हर जनपद में कूड़ा निस्तारण की जो व्यवस्था है, आप शहर को साफ चाह रहे है और कर्मचारियों का जो मानक आपने पूछा कि कर्मचारी कम है। मान्यवर, हर जगह कर्मचारी कम है, ऊपर के स्तर पर भी कर्मचारी कम है और नीचे स्तर पर भी कर्मचारी कम है। लेकिन वह बढ़ भी जायें तब भी जो अपेक्षा हम कर रहे हैं कि साफ–सुथरा शहर हो जाये। हम इस कूड़े का निस्तारण पूरी तरह नहीं कर पायेंगे, जब तक नई मशीनें आदि नहीं आ जायें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह प्रश्न देहरादून जनपद के सम्बन्ध में है। देहरादून शहर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत हैं माननीय मंत्री जी ने अभी ए0डी0बी0 के बारे में विस्तार से जवाब दिया है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में कूड़ा निस्तारण के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? क्योंकि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का यह अन्तिम वर्ष है। पिछले पाँच साल में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत देहरादून जनपद में कूड़ा निस्तारण की क्या कार्यवाही की गयी ? चूँकि देहरादून शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 लागू था, उसकी जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, यह बात तो सही है। जिस प्रकार से देहरादून शहर का उच्च स्तर से उच्चीकरण हुआ। पहले नगर पालिका थी, फिर नगर निगम बना और फिर राजधानी क्षेत्र बना है। उस हिसाब से देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे वह नहीं है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से जैसे कूड़ा घर–घर से उठाने की व्यवस्था की गयी हैं। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि देहरादून शहर के अन्तर्गत जो दूध की डेरियाँ है और वे गोबर को नालियों में बहा देते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी उस नालियों से कूड़े को उठाकर उसकी सफाई करते है। क्या ऐसी ही योजना, जैसे घर–घर से कूडत्रे को उठाने की व्यवस्था है। क्या माननीय मंत्री जी, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दूध की डेरिया से भी गोबर उठाया जाय और उस एवज में उनसे शुल्क लिया जाय और जिस प्रकार से कूड़ा निस्तारण होता है उसी प्रकार से गोबर का निस्तारण किया जाय, चाहे वह गोबर प्लांट के माध्यम से किया जाय या चाहे ऊर्जा बनाने की विधि के माध्यम से किया जाय। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई उपाय करेंगे ? (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं आया है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत जो हमारी सॉलिड वैस्ट मैंनेजमेंट के कार्य चल रहे है। अभी 60 वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जब आपने विशेष कार्य योजना का जिक्र किया है, इसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जो सहायता प्राप्त हुई है। उसमें वर्ष 2007 से 2012 तक कैसे प्रयोग किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जो 60 वार्ड है उसमें हमने घर–घर से कूड़ा उठाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यहा योजना वर्ष 2007 से प्रारम्भ नहीं हुई है बल्कि वर्ष 2010 से प्रारम्भ हुई है। इस योजना को वर्ष 2013 तक पूरा होना है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से कोई ऐसी योजना भी प्रस्तावित की जा सकती है, जो गोबर नालियों में फेंकते है और बहाया जाता है वह वहाँ न फेंक कर सीधे डेरियों से उठाया जाय और उसका निस्तारण किया जाय।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह ठीक बात है और सही प्रश्न भी है। यह प्रश्न पिछले सत्र में भी उठाया गया था। यह बहुत बड़ी समस्या भी है। इसको मैं दिखवा लूँगा, और अगर यह सम्भव हो तो इसको भी इसमें शामिल कर लूँगा।

श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की कमी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सारी नगर पंचायतों में या नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की कमी है और मूल प्रश्न भी यही थी। इनकी कमी के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। क्या प्रदेश सरकार इन नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की जो नितान्त कमी हैं, उसको पूरा करने हेतु सरकार कोई कदम उठा रही है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वह समूह 'घ' की श्रेणी में आते हैं। अभी राज्य सरकार में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इसलिए उनकी नियुक्ति अभी सम्भव नहीं है।

वि0स0 क्षेत्र ऋषिकेश में यातायात नियंत्रित हेतु लगायी गयी ट्रेफिक लाईटों की लागत तथा सदुपयोग

*5–श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में 2003 में यातायात को नियंत्रित करने हेतु अन्य शहरों की भांति ट्रफिक लाईटों को लगाया गया था ?

यदि हाँ, तो इसकी क्या लागत थी ?

तथा इसका तब से सदुपयोग किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

इसकी कुल लागत रु0 8,97,660/– थी

जी नहीं।

अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 में सड़कों के विस्तारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा इनको हटा दिया है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाईट लगायी गयी थी। उसकी लागत 8 लाख 97 हजार 6 सौ 60 रुपये थी। मान्यवर, आपने वर्ष 2003 में ट्रैफिक लाईट लगाई और वर्ष 2004 में हटा दिया गया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक साल में क्या ऐसी बहुत ज्यादा परेशानी रही कि आपने उसे एक साल में हटा दिया, जबकि मेरी जानकारी में है कि सिर्फ एक माह तक उसका सदुपयोग हो पाया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने इसके लिए पहले कोई होमवर्क नहीं किया और उसको एक माह के सदुपयोग के बाद हटा दिया गया, अलग मेरा सवाल माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है कि आप स्वयं उसका निरीक्षण करना चाहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक समय में एक सवाल करें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, बड़ी मुश्किल से सवाल पूछने का समय आता है, चलिए ठीक है बाद में पूछ लेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्ष 2003 में जो पाँच ट्रैफिक लाईट लगी थी और वर्ष 2004 में अर्ध कुम्भ मेले की तैयारी के लिए चौराहे का चौड़ीकरण होना था इसलिए नटराज जो हमारा चौराहा है उसका चौड़ीकरण होना था इसलिए जो वहाँ पर लाईट लगी थी उसको हटाया जाना जरूरी था और वह चौराहा अब काफी बड़ा हो चुका है और वही पर कन्ट्रोलर भी लगा था और जो शेष लाईट हैं वह अभी भी यथावत् हैं, लेकिन अभी कन्ट्रोलर नहीं है। मान्यवर, इसलिए वर्ष 2004 में नटराज चौक से लाईट हटानी जरूरी हो गयी थी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि नटराज चौक के अलावा अभी भी चार लाईट बाकी हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने वर्ष 2003 में लगवाई और आज वर्ष 2012 है, तो 9 साल से उन लाईटों का एक माह के अलावा कोई सदुपयोग नहीं हुआ है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह जो लाईटिंग की व्यवस्था है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी उसके बाद कोई डिमाण्ड नहीं की गई है और इस मामले में निकट भविष्य में कोई डिमाण्ड आती है तो उस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार–बार सवाल कर रहा हूँ कि जो होमवर्क नहीं करने के बाद सिर्फ एक माह के लिए उन लाईटों का सदुपयोग हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे कि जनता की गाढ़ी कमाई लगभग 9 लाख रुपये को आपने ठिकाने लगा दिया और अब वर्ष 2012 चल रहा है और अब से लेकर अब तक कोई भी लाभ उस लाईट का नहीं हो पाया है, इसका जवाब दे दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पाँच साल तक आपको समय मिला था कि आप कोई कार्य करते। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह कोई जवाब नहीं हुआ। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह जवाब है। आपको पाँच साल तक कार्य करने का मौका मिला। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 'वेल' के समीप आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय श्री प्रेमचन्द अग्रवाल अपनी सीट पर चले गये।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी यही तो शिकायत है कि जो ट्रैफिक लाईट वर्ष 2003 में लगी थी, वह वर्ष 2004 में बन्द हो गयी और आपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की। मान्यवर, तब माननीय मंत्री जी तो सरकार में थे ही नहीं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, पाँच साल आपको मिले, आपने कार्यवाही क्यों नहीं की। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह सवाल सरकार से कर रहा हूँ सरकार किसकी है, यह इसका विषय है। यह कोई जवाब नहीं हुआ। इसका मतलब तो यह हुआ कि क्या यह सरकार पाँच साल तक कोई कार्य नहीं करेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो निर्णय लिया गया, जो हमारी यात्रा की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें इस बात का निर्णय लिया गया था कि कोई एक हमारी नगर पालिका इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जिस तरह की मुझे जानकारी है। चूँकि यात्रा की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था जो लाईटें लगनी है। फिर भी सदन में यह बात उठी है तो मैं इस प्रकरण को एक बार फिर दिखवाकर इसकी जाँच करवा दूँगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, सवाल पूरा तो आने दें। इसमें एक दूसरा विषय भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नटराज पर आपने जो लाईट हटवायी, चूँकि उस लाईट का सदुपयोग एक महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। तो क्या पूरे प्रकरण की जाँच माननीय मंत्री जी करवायेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रकरण की जाँच के लिए हटा दिया है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, क्या पूरे प्रकरण की जाँच करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आप बैठ जाईये।

जनपद देहरादून अन्तर्गत ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था हेतु योजना

*6–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र तीर्थनगरी ऋषिकेश में देश विदेशों से पर्यटक, तीर्थयात्री दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं किन्तु पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण उनके साथ–साथ क्षेत्रिय जनता को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था हेतु कोई योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी हाँ। पार्किंग निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में देश–विदेश से विदेशी पर्यटक, तीर्थयात्री दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं किन्तु पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण उनके साथ–साथ क्षेत्रीय जनता को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा, जी हाँ। मेरा दूसरा सवाल था क्या सरकार ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था हेतु कोई योजना बना रही है, इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा, जी हाँ। पार्किंग निर्माणाधीन है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि पार्किंग व्यवस्था ऋषिकेश में किस जगह पर बनाने जा रही है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, ऋषिकेश में घाट रोड़ पर पार्किंग की व्यवस्था है, जिसमें 50 चार पहिये और 50 दुपहियें वाहनों की कैपिसिटी है। दूसरी पार्किंग चार धाम टूरिस्ट बस कम्पाउण्ड है, उसमें हम लोग बना रहे हैं। इसमें वर्तमान में जो लगभग 1200 बसें है, उनकी व्यवस्था अभी है। पार्किंग हमारी निर्माणाधीन है, जैसे ही यह पूरी होगी तो इसकी कैपिसिटी लगभग 1500 की होगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया कि पार्किंग की 1200 की क्षमता है, बाद में वह 1500 की हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें सभी गाड़ियों की व्यवस्था है या खाली बसों की ही व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार

मान्यवर, अभी वहाँ पर जो व्यवस्था है, उसमें बाहर से भी बसें आती हैं और राज्य की जो बसें आती हैं, उनकी व्यवस्था वहाँ पर है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी, जो भी यात्री बाहर से आएगा, जरूरी नहीं है कि हर यात्री बस से आएगा। टैक्सी में, टवेरा में और दूसरी जो फोर व्हील गाड़ियाँ हैं, उनके माध्यम से भी यात्री आते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था इस पार्किंग में है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार

मान्यवर, हमारी जो छोटी गाड़ियाँ आती है, कारें, उनका ऋषिकेश में ठहराव बहुत कम है। हमारे पास वहाँ पर अपने वाली गाड़ियों के आंकड़े हैं, सारी गाड़ियाँ चार धाम यात्रा और अन्य जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उनकी ओर चली जाती है। वहाँ के लिए, अभी जो 1500 की क्षमता की जो पार्किंग वर्तमान में है, उनके लिए यह पर्याप्त है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि फोर व्हील गाड़ियाँ कार, टेवेरा आदि नहीं आती है। मेरा आपके माध्यम से एक बार फिर माननीय मंत्री जी से कहना है कि बहुत सी छोटी गाड़ियाँ जो वहाँ पर आती है, वह होटलों और धर्मशालाओं के आगे खड़ी हो जाती है, जिसके कारण ऋषिकेश की जो यातायात व्यवस्था है, वह बहुत ज्यादा चरमरा जाती है, जिसके कारण वहाँ पर रोज यातायात ठप रहता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा अव्यवस्था रहती है। माननीय सुबोध उनियाल जी यहाँ पर बैठे हैं, शायद उनके क्षेत्र में यह समस्या न हो लेकिन मेरे क्षेत्र में यह समस्या बहुत अधिक है। दूसरा, जिस पार्किंग व्यवस्था की आप बात कर रहे है, उसमें कितने लागत आयी है ? तीसरा, मेरा प्रश्न यह है, जिस व्यवस्था की बात माननीय मंत्री जी आप कर रहे हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे भी मैंने पहले चर्चा की थी, क्योंकि ऋषिकेश नगर में जो रोडवेज बस अड्डा था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसको भी वहाँ पर स्थानान्तरित किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी विषय में बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो माननीय मंत्री जी बता नहीं पाएंगे। (व्यवधान) मान्यवर, उसके कारण वहाँ पर बसों की संख्या बढ़ जाती है, फिर बाकी क्षेत्र की जो गाड़ियाँ आती है, उनके कारण वहाँ पर दिक्कत होती है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि रोडवेज बसों से आपको कितनी आय प्राप्त हो रही है, वहाँ पर आप कितना किराया बसों से ले रहे है ? उसके बाद कितनी क्षमता आपके पास बाकी रही रही है और कितनी लागत उस पार्किंग की आयी है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जैसा कि आपने बताया कि छोटी गाड़ियाँ, जो शहर में खड़ी रहती हैं, उससे काफी दिक्कत होती है। 1500 की क्षमता की जो हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इसमें जो आपने टवेरा और इस तरह की छोटी गाड़ियों की बात कही, उनके लिए भी हम इसको अधिकृत कर देंगे। 1500 में हम टवेरा और अन्य छोटी गाड़ियों जो बाहर से आने वाली हैं, उनको भी सम्मिलित कर लेंगे। इसमें आपने जो लागत की बात कही, जो स्वीकृत लागत है, वह 11 करोड़ 13 लाख रुपया है और अब तक इसमें जो खर्च हो गया है, वह 10 करोड़ 50 लाख रुपया है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से एक सवाल और किया था कि जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती है, उनमें किस गाड़ी से आप कितना किराया लेते हैं और आपने बताया कि इसमें 10 करोड़ 50 लाख रुपा लग गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक यह पार्किंग व्यवस्था पूरी हो जाएगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इसमें अभी तक हम जो शुल्क ले रहे हैं, वह 10 रुपया प्रति बस है। पिछले वर्ष 2011–12 में इससे जो आय हुई है, वह 420235 रुपया है और वर्ष 2012–13 में अभी तक जो हमारी आय हुई है, हमारे पास नवम्बर तक के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार 273260 रुपये की आय हमें इस पार्किंग से प्राप्त हुई हैं।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने रोडवेज बस अड्डे का तो बताया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–7, माननीय मयूख महर जी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोडवेज की जो बसें हैं, उनसे भी किराया ले रहे है क्या ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उसका पररीक्षण करा लेंगे।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो कोई बात नहीं हुई। यह तो बता दें कि रोडवेज बसों से किराया ले रहे हैं या नहीं। यह कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान) वहाँ पर रोडवेज बस अड्डा खत्म कर दिया गया है और रोजवेज बसें वहाँ जाकर खड़ी हो रही है। आप वहाँ पर फ्री में बसें खड़ी करवा रहे है या उनसे किराया ले रहे हैं, कृपया बता दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–7, माननीय मयूख महर जी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, पूरा जवाब तो अपने दीजिए। पूरा बस अड्डा खत्म कर दिया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, पर्ची जा रही है, पर्ची के माध्यम से ही कुछ तो पता चल जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कृपया बैठिए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो आने दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूँ कि परम्परा तो यह है कि एक माननीय सदस्य, जिसका यह प्रश्न है, दो अनुपूरक प्रश्न या बहुत आवश्यक हो तो तीन अनुपूरक प्रश्न ही पूछ सकता है। यदि एक ही माननीय सदस्य सभी अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे तो उससे इस प्रश्न में अन्य सदस्यों की भागीदारी नहीं हो पायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, आप जो भी आदेश देंगे, उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जायेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने इसीलिए ध्यान आकृष्ट कराया था। (व्यवधान) माननीय कौशिक जी, यदि माननीय अध्यक्ष जी इसे स्वीकार कर रहे हैं तो आप इस पर व्यवधान न करें, आप पुराने सदस्य हैं।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में गरीबों हेतु आवास निर्माण एवं चिन्हित बस्तियों की संख्या

*7–श्री मयूख सिंह–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र पोषित योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में गरीबों हेतु आवास का निर्माण किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो प्रदेश में कुल कितने मलिन बस्तियां चिन्हित है ?

व शहर वार कितने भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा इनमें कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं ?

क्या सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के अतिरिक्त भी भवन बनाये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या वह नियमानुसार हैं ?

यदि नहीं, तो किस निमय के आधार पर मलिन बस्तियों से बाहर निर्माण कार्य हो रहे हैं ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

यू0यू0एस0डी0आई0पी0 द्वारा कराये गये प्रारम्भिक सर्वे में कुल 582 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं।

प्रदेश में कुल 7068 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 1753 पूर्ण तथा 5315 अपूर्ण/निर्माण हेतु अवशेष हैं। निकायवार सूची संलग्न है। †

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मलिन बस्तियों के लिए जो भवन निर्माण किये जा रहे हैं, उनके लाभार्थियों के लिए क्या पात्रता है, ऐसे लोग जिनके पास भूमि है, उनको भी क्या भवन उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जो हमारी नगर पालिकायें हैं, वह चयन करती हैं कि इसके लिए कौन पात्र होंगे, पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर पाँच से अधिक परिवार होंगे, वह मलिन बस्ती में आयेंगे और शहरी क्षेत्र में 10 से अधिक परिवार होंगे, वह मलिन बस्ती में आयेंगे।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित कुछ जानकारी बाद में परिचालित की गई। इसमें 7068 भवन बनते थे, जिसमें से आज तक 1753 भवन बने हैं और 5315 भवन बनने बाकी हैं। प्रश्न यह उठता है कि जो 7068 भवनों के निर्माण की धनराशि थी, यह कब जारी की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कुल 76 करोड़ 26 लाख रुपये लागत की बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत परियोजाएं स्वीकृत हुए थे और कुल 177 करोड़ 54 लाख रुपये लागत की आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाएं हुए थे। यह धनराशि वर्ष 2010 से अवमुक्त की जा रही है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, भवन निर्माण में आज स्थिति यह है कि 1753 भवन बने हैं और 5315 भवन नहीं बने हैं। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराने पर विचार करेगी कि इस धनराशि का प्रयोग होने में दो वर्ष का समय क्यों लगा ?

† (देखिये संलग्नक नत्थ 'क' आगे पृष्ठ संख्या–148 पर)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इसमें 1578 भवन पूर्ण हो चुके हैं, आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत 1574 भवन पूर्ण हो चुके है और 175 दूसरी येजना बी0एस0यू0पी0 में पूर्ण हो चुके है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, पूर्ण होने की सूचना तो पहले ही दी जा चुकी है, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि एक–एक कमरे के यह भवन है, इनके निर्माण में देरी होने के कारण है, दो वर्ष पूर्व यह धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी और जहाँ तक मेरी जानकारी है वर्ष 2010 तक सारी धनराशि अवमुक्त हो चुकी थी। तो जो देरी हुई है, उस देरी का दोषी कौन है, क्या आप इस सम्बन्ध में जाँच करवायेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हमने बहुत ही गम्भीरता से इसको लिया है और बहुत विलम्ब से यह कार्य हुए है, और कुछ जगह जहाँ पर समय से कार्य पूर्ण नहीं हुए है, वहाँ की जाँच के लिए मेरे द्वारा पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, ये जाँच के आदेश कब दिये गये ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इसी वर्ष।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो सारी पात्रताएं रखते है, पर उनके पास भूमि नहीं है तो क्या ऐसे लोगों को भी भवन उपलब्ध कराये जाएंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, देखिये, जो हमारे शहरी गरीब है, उनको हम शहरी गरीब कहते हैं। जिनके अपने कच्चे मकान वहाँ पर है, उनको ही हम भवन बनाकर देंगे।

श्री सरवत करीम अंसारी–

मान्यवर, अभी सूचना आयी भवन की, मंगलौर के अन्दर 461 मकान बनने की, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मकान अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जितने इसमें दिखाये गये है, सारे के सारे अभी तक अधूरे है। में माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि सचिव को भेजकर जानकारी ले लें कि बने या नहीं बने क्योंकि ये रिपोर्ट गलत दी जा रही है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इसका संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है, जैसा मैंने पहले कहा उस जाँच के दायरे में ये आपकी नगर पालिका के मकान भी है, इनका संज्ञान पहले भी लिया जा चुका है। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 के निर्देश दिये जा चुके हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लगातार सरकार की घोषणा हुई कि हम मलिन बस्तियों का नियमितीकरण कर रहे है और कैबिनेट द्वारा भी इसको पास कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कब तक मलिन बस्तियों का नियमितीकरण कर दिया जायेगा। दूसरा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के मानक क्या हैं, कब तक इनका नियमितीकरण किया जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब संभव नहीं है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया हमारे एक सदस्य ने प्रश्न भी किया कि इसमें देर क्यों हुई। में जानना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री जी के माध्यम से, कि वर्ष 2010 में जो धन अवमुक्त हुआ, केवल धन अवमुक्त ही नहीं हुआ बल्कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया था, पूरे प्रदेश का काम एक ही ठेकेदार को दे दिया गया था और सारी की सारी डाउन पेमेंट उसने ले ली, सारी पेमेंट लेने के बाद भी गरीबों के आवास नहीं बने पूरे प्रदेश में। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र किच्छा में आवास नहीं बने। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है उस ठेकेदार के खिलाफ या जो पैसा जारी हो गया है, उसको वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आपने कहा कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। जैसे मैंने कहा उनके खिलाफ पहले ही पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये जा चके हैं और इतने ही नहीं उसमें यदि हमारे कोई भी अधिकारी, कर्मचारी की गलती होगी, वो भी उसके दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, पेमेंट लेने के बाद भी जिन गरीबों के मकान नहीं बने, उनका क्या होगा ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उन गरीबों के मकान पूर्ण होंगे। सरकार पौड़ी मॉडल के आधार पर प्रयास कर रही है कि कुछ जगह, जैसे कि जितने भवन जहाँ तक बन गये है, उनके बाद जो धनराशि बची है जो लाभार्थी है खुद उनको वो धनराशि उपलब्ध करा कर वो खुद भी तैयार कर सकते है। इस प्रकार से हमारे पौड़ी में भी बने है, श्रीनगर में भी बने हैं और जैसे मैंने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही करके धन की वसूली करके उनके मकान पूर्ण किये जाएंगे।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, कोई समय सीमा तय कर दें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, बहुत जल्दी ही हम लोग इसको कर लेंगे।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यू0यू0एस0डी0आई0पी0 द्वारा जो कुल 582 मलिन बस्तियाँ चिन्हित की गयी है, उसमें टिहरी जनपद की कितनी मलिन बस्तियाँ है, क्या टिहरी जनपद की मलिन बस्तियों में भी इन आवास के निर्माण पर सरकार विचार करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी आपको पूरी सूचना उपलब्ध करा दी गयी है और उसमें आप देख लें कि कितनी–कितनी कहाँ–कहाँ पर है। आपको सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर अपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि 582 मलिन बस्तियाँ चिन्हित की गयी है। आपने कहा कि इसमें दिया गया है कि कौन–कौन सी मलिन बस्तियाँ है, लेकिन यह टिहरी जिले की मलिन बस्तियों का नाम इसमें नहीं दिया गया है।

*8–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

स्थगित।

*9—श्री डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

मा0 सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

देहरादून सहित प्रदेश की समस्त निकायों में मानकों के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध कराने पर विचार

*10—श्री गणेश जोशी—

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के निगर निकायों विशेषकर नगर निगम देहरादून में विगत लम्बे समय से मानकों के अनुरूप कर्मचारी न होने से कामकाज एवं सफाई व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर निगम देहरादून सहित प्रदेश भर की सभी नगर निकायों में शीघ्रातिशीघ्र मानकों के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

पालिका केन्द्रीयत सेवा संवर्ग के अधीन सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग के चयन की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त नगर निगम देहरादून सहित आवश्यकतानुसार निकायों में कार्मिकों की तैनाती की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नगर निगम देहरादून में वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी तैनात हैं ? नगर निगम के मानक के अनुरूप कितने कर्मचारी होने चाहिए ? इसी प्रकार कितने जे0ई0, कितने ए0ई0, कितने क्लरिकल स्टाफ कार्यरत है और कितनों की कमी है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

मान्यवर, आपने जो पहला प्रश्न किया इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 646 नियमित सफाई कर्मचारी एवं 173 दैनिक सफाई कर्मचारी देहरादून में तैनात है। कुल 5886 अकेद्रीकृत सेवा के पद है, जिनमें हमारे 5 हजार 65 कर्मचारी कार्यरत हैं और 821 पद रिक्त हैं।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा और माननीय मंत्री जी ने बताया कि देहरादून में 646 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। मैंने कहा कि मानक के अनुरूप नगर निगम में कितने सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गये, इसका आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा मैंने पूछा, मानक के अनुरूप यहाँ पर कितने जे0ई0 और ए0ई0 होने चाहिए और कितना क्लरिकल स्टाफ होना चाहिए आपने इसका भी जवाब नहीं दिया। यह आपसे जानना चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यर, हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं एक होना चाहिए जौनल सेनेट्री अधिकारी दो होने चाहिए मुख्य सफाई निरीक्षक दो होने चाहिए, सफाई और खाद्य निरीक्षक चार होने चाहिए।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, नगर निगम के मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारी कितने होने चाहिए, कितने है और कितने की कमी है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी हैं वह पूर्ण हैं। क्योंकि अब जो हमारी सालिड वैस्ट मैनेजमेंट योजना शुरू हो गई है, इसीलिए अब हमारे पास सफाई कर्मचारी पर्याप्त है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया कि मानकों के अनुरूप सफाई कर्मचारी न होने से सफाई व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ। अब कह रहे हैं कि पर्याप्त हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरी दोनों बात सही है। इसलिए सही है कि सफाई की व्यवस्था हमारी समुचित है, प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन हमारे पद सफाई व्यवस्था के लिए पूरे हैं। इसलिए थोड़ा हमारा कार्य प्रभावित होता है जो हमारा अधियाचन लोक सेवा आयोग गया हुआ है, वहाँ से अभी हमें कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आपने कहा कि लोक सेवा आयोग अध्याचन गया हुआ है क्या सफाई कर्मचारियों की भी लोक सेवा आयोग से भर्ती करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जो हमारे समूह 'घ' के पद है वह समाप्त कर दिये गये हैं उन पर नियुक्तियाँ नहीं होनी है। जितने पद हमारे पास स्वीकृत हैं उसके सापेक्ष कार्मिक तैनात हैं।

मान्यवर, जितने स्वीकृत पद हैं उनके सापेक्ष हमारे पास पूरे कर्मचारी हैं। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, क्या संविदा पर सफाई कर्मचारी रखेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, सफाई कर्मचारी पूरे हैं तो संविदा पर हम लेकर क्या करेंगे ? (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, माननीय मंत्री जी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, केवल सफाई का काम ही नहीं है और भी काम हैं। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।) मान्यवर, आप जो कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की जायेगी। लेकिन हमारे पास सफाइ कर्मचारी पूरे हैं तो संविदा पर लेने की जरूरत नहीं है। पद मृत घोषित किये जा चुके है। (व्यवधान के मध्य)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आप यह बता दें कि मानक के अनुरूप नगर निगम में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है ? (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हमारे पास सफाई कर्मचारी पूर्ण हैं। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।) जितने पद हमारे पास सृजित हैं उनके अनुरूप हमारे पास कर्मचारी पूर्ण हैं। (व्यवधान)

मसूरी नगर पालिका द्वारा बहुउद्देशीय भवन/टाऊन हाल बनाये जाने पर विचार

*11–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देश के विभिनन प्रान्तों से ही नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटक मसूरी में भ्रमण हेतु आते हैं ?

क्या यह सत्य है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनारों के आयोजन के लिए बहुउद्देशीय भवनों/टाऊन हाल न होने के कारण यहाँ बडे आयोजनों के लिए स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी में बहुउद्देशीय भवन/टाऊन हाल बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर पालिका परिषद् मसूरी द्वारा टाऊन हाल के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि नगर पालिका परिषद् द्वारा टाऊन हाल निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनमें टेण्डर हो गये है ? अगर टेण्डर हो गये है तो उसकी स्वीकृति हो गयी है। अगर स्वीकृति हो गयी है तो कब तक काम शुरू हो जायेगा ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्ष 2004 में इसको ध्वस्त किया गया था। इसके बाद इसमें कई बार प्रयास किये गये हैं। इसके बनने में लगभग पाँच करोड़ रुपये आयेगी और इसको नगर पालिका मसूरी द्वारा पी0पी0पी0 मोड़ पर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अगर नगर पालिका मसूरी को पी0पी0पी0 मोड पर कोई अच्छी पार्टियां मिलेगी तो उसको शीघ्र बना दिया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और उन्होनें इसमें कहा कि मसूरी नगर पालिका द्वारा इसमें कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, वर्ष 2004 से यह मामला लम्बित चल रहा है और आज वर्ष 2012 हो गया है। मसूरी को उत्तराखण्ड की "पहाड की रानी" कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह कार्य गतिमान है। इस कार्य को तो गलत नहीं कर सकते हैं। अगर एक टेण्डर आयेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी प्रक्रिया जारी है जैसे ही हमको लोग मिलेंगे तो हम कार्य शुरू कर देंगे। मान्यवर, हमने टेण्डर आमंत्रित कर दिये हैं, अगर फिर भी नहीं मिलेगें तो उसके लिए पुनः टेण्डर कॉल करेंगे।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, क्या पी0पी0पी0 मोड पर अगर कोई नहीं मिलेंगी तो उसका निर्माण नहीं करेंगे। क्या सरकार अपने खर्च पर इसका निर्माण करेगी ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी पी0पी0पी0 मोड पर कार्यवाही गतिमान है। हम आशावादी लोग है और हमारा बहुत अच्छा टाऊन हाल बनेगा।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 में जब इस भवन का नगर पालिका ने ध्वस्तिकरण किया तो क्या उस समय नगर विकास विभाग ने किसी योजना की स्वी0ति पर विचार किया था।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जब इसका ध्वस्तिकरण हुआ था तो पुनर्निर्माण के लिए नगर पालिका ने इस पर विचार किया था और जो अन्तिम निर्णय लिया गया वह पी0पी0पी0 मोड में देने का निर्णय लिया गया है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, वर्ष 2004 में इसके लिए अवस्थापना निधि से पैसा देने की बात हुई थी यह मेरे संज्ञान में है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यह पैसा अवस्थापना निधि से दिया जाना था तो क्या यह सही है और यदि सही है तो वह पैसा बाद में क्यों नहीं दिया गया, क्या इसके कारण की जाँच करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उसमें हमें धन उपलब्ध नहीं हो पाया और फिर उसको पी0पी0पी0 मोड में देने का निर्णय लिया गया ओर वह कार्यवाही गतिमान है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, क्या विभाग को वर्ष 2005 के बाद अवस्थापना निधि से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उपलब्ध हुई लेकिन इसमें उपलब्ध नहीं हो पायी, तो अवस्थापना निधि में और भी बहुत सारे कार्य थे तो उसमें उपलब्ध करा दिया गया है और इसमें नहीं हो पाया तो उसको पी0पी0पी0 मोड में देने को निर्णय लिया गया है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जब पी0पी0पी0 मोड में आपको टेण्डर नहीं मिल रहा है तो आगामी बजट में अवस्थापना निधि से इस कार्य को करा दीजिए।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी तो हमने प्रक्रिया आरम्भ की है, टेण्डर तो मिलेंगे ही, इसमें बहुत लोग आयेंगे यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बोला कि पी0पी0पी0 मोड में देने की प्रक्रिया उन्होंने जारी कर दी है, तो उसके लिए उन्होंने कोई टेण्डर कॉल किया है, यदि कॉल किया है तो वह कौन–कौन से अखबार में आया है, उसमें क्या–क्या शर्तें रखी गई हैं क्या उनको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इसमें हम लोग टेण्डर कॉल करेंगे और उसमें जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, टेण्डर की लास्ट डेट क्या है। यदि कॉल नहीं किया है तो कब तक कॉल कर देंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी तो प्रक्रिया चल रही है अभी टेण्डर की डेट नहीं बता सकता। टेण्डर कॉल बहुत जल्द ही करेंगे। पहले जो कॉल किया था उसमें एक टेण्डर आया था।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी पूर्व नगर विकास मंत्री मानीय सदस्य श्री नवप्रभात जी ने कहा कि अवस्थापना के माध्यम से यह काम होते थे, तो क्या सरकार पी0पी0पी0 मोड में टेण्डर न आने की स्थिति में अवस्थापना निधि से टाऊन हॉल मसूरी को बनाने का काम करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इसमें अभी दोबारा से टेण्डर होने हैं, तो निश्चित तौर पर टेण्डर आयेंगे।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि टेण्डर न आने की स्थिति में।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, टेण्डर आयेंगे, अभी यह काल्पनिक प्रश्न है, क्योंकि जब यह कार्यवाही गतिमान है पी0पी0पी0 मोड में, तो हम दूसरीर बात अभी क्यों सोचें, जब नहीं होगा तो तब सोच लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी स्थित घनशाली को सरकार द्वारा नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार

1–श्री भीमलाल आर्य–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के क्षेत्र घनसाली को सरकार नगर पंचायत बनाने पर विचार करेंगी ?

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–11 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

ग्राम प्रधान चवासेरा घनसाली बौंर, विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 07–04–2012 द्वारा घनसाली को नगर पंचायत बनाये जाने का अनुरोध किया था। जिसके क्रम में शासन के पत्र सं0–मंत्री–8/IV(1)/2012–08 (ए0क्यू0)/12 दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को शासनादेश सं0 6250 दिनांक 10 सितम्बर, 1986 के अनुसार घनसाली को नगर पंचायत बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु जिलाधिकारी से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर घनसाली को नगर पंचायत बनाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

खटीमा नगर पालिका की सीमा विस्तार किये जाने की योजना

2–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में नगर पालिका के सीमा विस्तार किये जाने की योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक सीमा विस्तार किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवारा गौवंश को संरक्षण एवं पालन हेतु सरकार की योजना

3–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पशु पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आवारा गौवंश को संरक्षण एवं पालन हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

यदि हाँ, तो किन–किन स्थानों पर कितने आवारा गौवंश को संरक्षण दिया है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

राज्यान्तर्गत आवारा गौवंशीय पशुओं को शरण देने वाले गोसदनों (गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं) का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	संस्थाओं का नाम	गौवंश की संख्या
1	2	3
1.	श्री राधे कृष्ण गो–सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड, बाजपुर ऊधमसिंह नगर।	529
2.	कृष्णायन देशी गोरक्षा एवं गोलोक धाम सेवा समिति बसोचन्दपुर, गैंडीखाता, हरिद्वार।	488
3.	श्री शील नित्यानन्द पाद आश्रम, श्री श्री गौर राधाकृष्ण मन्दिर, परमा, हल्दूचौड़, नैनीताल।	230
4.	उत्तराखण्ड गो–संवर्धन समिति, गो–तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	109
5.	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की, जिला हरिद्वार।	107
6.	भद्रराज गौधाम समिति, ग्राम व पो0 छरबा, वि0ख0 सहसपुर, देहरादून।	102
7.	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गौरक्षार्थ न्यास, ग्राम झीवंरहेडी, पो0 खेड़ी शिकोहपुर, जिला हरिद्वार।	91
8.	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील किच्छा, ऊधमसिंह नगर।	79
9.	चिटवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट बूंगीधार, पट्टी–चौथान, तहसील थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल।	61

1	2	3
10.	श्री गुरू कृपा गो–सुरक्षा समिति, ग्राम–जैखाल, विकास खण्ड स्यालदे, जनपद अल्मोड़ा।	59
11.	श्री अनुमान गो–सेवा ट्रस्ट ग्राम हिटारा, बडेती, बिष्ट पट्टी, तहसील चिन्याली, उत्तरकाशी।	57
12.	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन वं ग्राम विकास संस्थान, निकट भुवन गदेरा, वि0ख0 पौखाल, दुगड्डा, पौड़ी।	58
13.	ग्राम समाज कल्याण समिति तोल्यो, ग्राम व पत्रालय तोल्यों (तल्ला सल्ट), जिला अल्मोड़ा।	56
14.	बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम विकास संस्थान, ग्राम ओडलसैण, निकट सतपुली, पौड़ी गढ़वाल।	53
15.	महर्षि दयानन्द विद्या मन्दिर समिति बारंगल, खल्दुआ, विकास खण्ड स्यालदे, जिला अल्मोड़ा।	52
16.	गोवर्धन गौतीर्थ आश्रम, ग्राम गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड़, पौड़ी गढ़वाल।	52
17.	स्वामी योगानन्द फॉरेस्ट एण्ड एनिमल वेलफयेर ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, गो–स्थल, सागर आश्रम, गोपेश्वर, चमोली।	42
18.	भौमिक पशुसेवा सुरक्षा समिति, पो0 सोल्टा, अल्मोड़ा।	29
19.	लक्ष्मी आंचल सेवा संस्थान, हुलानाखाल, पो0आ0 खोली, हडियाणा हिन्दाव जनपद टिहरी गढ़वाल।	21
20.	श्री केशव गोधाम समिति, ग्राम जुमला, पो0 बछेरा, जिला चमोली।	17
21.	ऋतुराज सेवा संस्थान, चम्पाखाली, शितलाखेत, ग्राम पठूरा, जिला अल्मोड़ा।	14
22.	मानव सेवा समाज, मेन बाजार, बेतालघाट, जिला नैनीताल।	11
23.	श्री कामधेनु गोविन्द गोधाम समिति, पूछडी रोड, रामनगर, जिला नैनीताल।	9

1	2	3
24.	गो–रक्षा केन्द्र महत गाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा	8
25.	कृष्णा सामुदायिक गो–सदन गौ–सदन, तुराचौरा ब्लॉक, स्यालदे, जिला अल्मोड़ा।	8
26.	प्रगति पथ सोसाइटी, निकट पी0जी0 कॉलेज, बोपेश्वर, जिला चमोली।	7
27.	श्री माधव सिंह, ग्राम पट्टी–मोलधार, तहसील थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।?	7
28.	सुश्री मानवी भट्ट मानद सचिव/ट्रस्टी, पीपुल फॉर एनमिल्स, अधोईवाला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	7
29.	श्री अनुसिया मन्दिर ट्रस्ट समिति, अनुसूया धाम, पो0 बैरागना, जिला चमोली।	3

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1378/XV–1/7(11)/11टी0सी0 दिनांक 13–12–2011 द्वारा जनपद पौड़ी एवं जनपद अल्मोड़ा में 500 गौवंश की क्षमता वाले 02 वृहद गौसदनों की स्थापना का निर्णय लिया गया है तथा शासनादेश संख्या 1282/XV–1/7(11)/11 दिनांक 05–12–2011 द्वारा पर्वतीय जनपदों की 100 वन पंचायतों में वन विभाग के माध्यम से गौसदन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में पशुपालकों को दुधारू गाय एवं भैंस पालने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित योजना

4–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पशुपालकों को दुधारू गाय एवं भैंस पालने हेतु सरकार प्रोत्साहित कर रही है ?

यदि हाँ, तो इसके लिए क्या–क्या प्रयास किये गये हैं तथा प्रदेश में पशु पालकों की कितनी बढोत्तरी हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

विभाग द्वार दुधारू पशुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें पशुधन बीमा योजना, बाँझपन निवारण शिविरों का

आयोजन, टीकाकरण, पशुचिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान एवं चारा विकास योजनाएं आदि प्रमुख हैं, जिनके फलस्वरूप दुधारू पशुओं की मृत्युदर में कमी आई है तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है।

18वीं राष्ट्रीय पशुगणना वर्ष 2007 के अनुसार पशुपालकों की संख्या 9,91,490 थी एवं 19वीं राष्ट्रीय पशुगणना वर्तमान समय में गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट मरचूला में स्थापित बन्द दुग्ध अवशीतन केन्द्र पुनः संचालन पर विचार

5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या दुग्ध विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र में सल्ट मरचूला नामक स्थान पर स्थापित दुग्ध अवशीतन केन्द्र वर्तमान में बन्द पड़ा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि दुग्ध अवशीतन केन्द्र कब से बन्द पड़ा है तथा बन्द होन के क्या कारण थे ?

क्या सरकार उसका संचालन स्वयं करने अथवा पी0पी0पी0 मोड़ में संचालित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं? तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

जी हाँ।

दुग्ध अवशीतन केन्द्र मरचूला वर्ष 2001 से बन्द है और उक्त अवशीतन केन्द्र बन्द होने के निम्न कारण है :–

मरचूला केन्द्र से दुध को अल्मोड़ा तक लाने में कम से कम 5–6 घन्टे से अधिक का समय लगता था, जिस कारण गर्मी के दिनों में दुध की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।

मरचूला से अल्मोड़ा दूध लाने में परिवहन लागत अत्यधिक आ रही थी, फ्लश सीजन में भी अधिकतक 250 से 300 लीटर दूध प्राप्त हो रहा था।

अवशीतन केन्द्र में चिलिंग व्यय तथा अन्य व्यय अधिक आ रहे थे।

मरचूला केन्द्र से बिजली विभाग का उपकेन्द्र लगभग 20 किमी0 दूर होने के कारण बिजली से सम्बन्धित समस्याएं हो रही थी।

अवशीतन केन्द्र आस–पास डीजल पम्प न होने के कारण डीजल लेने हेतु रामनगर जाना पड़ता था।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर के निकट मोहान में बन्द किये गये प्राचीन पशु मेले का पुनः संचालन

6—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि कुमाऊ एवं गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर के निकट मोहान में एक प्राचीन पशु मेला संचालित होता है जिसमें पर्वतीय आंचलों से लोग कृषि उपयोग हेतु दक्ष कर पशुओं की खरीद व बिक्री करते हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उपरोक्त पशु मेले को सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पशु मेले को पुनः आरम्भ करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पशु मेलों के आयोजन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

जनपद पिथौरागढ़ के बिण में कुक्कुट प्रक्षेत्र को बन्द किये जाने के कारण संस्थान की भूमि ग्रामवासियों को वापस किये जाने की योजना

7—श्री मयूख सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुक्कुट पालन प्राक्षेत्र बिण पिथौरागढ़ को सरकार बन्द करने जा रही है ? यदि नहीं, तो इसकी सारी गतिविधियाँ क्यों बनद कर दी गई हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त संस्थान की भूमि को ग्राम चैसर वासियों को वापस करेगी जिन्होंने उक्त प्रयोजन हेतु उक्त भूमि दान स्वरूप दी थी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिह पंवार–

जी नहीं।

कुक्कुट प्रक्षेत्र बिण पिथौरागढ़ की गतिविधियों बन्द नहीं की गई हैं, बल्कि कुक्कुट प्रक्षेत्र बिण के रिवाल्विंग फण्ड में विद्युत एवं अन्य सामग्रियों की दरों में हुई वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई कमी को बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना से पूर्ण करते हुए प्रक्षेत्र की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्ता प्रस्तर–2 में उल्लिखित कारणों से।

8–श्री मदन कौशिक–

द्वितीय सोमवार के अता0–65 में स्थाना0।

9–श्री दान सिंह भण्डारी–

स्थगित।

उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में आवारा पशुओं के लिए गौ सदन बनाने पर विचार

10–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में आवारा पशुओं की समस्या सामने आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार आवारा पशुओं के लिए गौ सदन बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा–9 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से गौसदनों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य में 29 गौसदन संचालित किये जा रह हैं। जिसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1378/XV–1/7(11)/11 टी0सी0 दिनांक 13–12–2011 द्वारा जनपद पौड़ी एवं

जनपद अल्मोड़ा में 500 गौवंश की क्षमता वाले 02 वृहद् गौसदनों की स्थापना का निर्णय लिया गया है तथा शासनादेश संख्या 1282/XV–1/7(11)/11 दिनांक 05–12–2011 द्वारा पर्वतीय जनपदों की 100 वन पंचायतों में वन विभाग के माध्यम से गौसदन की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में श्रम न्यायालयों को पुनः जिलाधिकारियों को अधिकार देने पर विचार

11–श्री मयूख सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने का काष्ट करेंगे कि प्रदेश के जनपदों से होने वाले श्रम वादों को जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र से हटाकर मण्डलों के श्रम न्यायालयों क्रमशः काशीपुर तथा देहरादून को सौंप दिया गया है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति एवं गरीबी से पीड़ित वादी को अत्यधिक खर्च कर सैकड़ों मील की दूरी तय कर इन न्यायालयों में आना पड़ता हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त न्यायालयों को वापस स्थानीय जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा–20 में हुए संशोधन के फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालयों (हल्द्वानी/काशीपुर/हरिद्वार/देहरादून) के पीठासीन अधिकारियों को अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वादों के निस्तारण हेतु 'आयुक्त' नियुक्त किया गया है।

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र

प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय, कार्यालय एवं आवासीय कालोनी की जीर्णोद्धार की योजना

12—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि राजकीय पशु चिकित्सालय, ऋषिकेश का कार्यायल एवं कर्मचारी आवासीय कालोनियों की हालत बहुत ही जीर्ण—शीर्ण अवस्था में हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करने की कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

राजकीय पशुचिकित्सालय ऋषिकेश के भवन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान पशुचिकित्सालयों एवं पशुऔषधालयों का सुदृढ़ीकरण एवं स्थापना केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालय ऋषिकेश के अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार की योजना 02 वर्षों के चरणवद्ध रूप से बनायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋषिकेश स्थित राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र कालोनी भवन का जीर्णोद्धार

13—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र कालोनी, ऋषिकेश स्थित भवन काफी जर्जर स्थिति में है ?

यदि हाँ, तो सरकार इसकी मरम्मत कराने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक, ऋषिकेश कालोनी के जर्जर भवन प्रक्षेत्र के कुक्कुट बाड़ों (शैडों) मे माध्य आने कारण जैव सुरक्षा (Bio security) को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में भवनों की मरम्मत कराये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में उक्त भवनों की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भवन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्तर—2 में उल्लिखित कारणों से।

देहरादून नगर में स्ट्रीट लाईट लगाये जाने के मानक एवं एकरूपता हेतु कार्यवाही

14—श्री पुष्कर सिंह धामी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर में स्ट्रीट लाईट लगाये जाने के क्या मानक हैं ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि गंगोत्रीविहार अमन विहान सहस्त्रधारा रोड में स्ट्रीट लाईट चुनिन्दा स्थानों पर ही लगायी गयी है ?

यदि हाँ, तो इस विषमता को दूर कर एकरूपता लायी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

स्ट्रीट लाईट बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर लगायी जाती है।

जी नहीं। उपलब्ध बजट के आधार पर पूर्ण क्षेत्र में यथा आवश्यकता स्ट्रीट लाईट लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित सिडकुल क्षेत्र में जहरीला पानी पीने से गायों की मृत्यु होने के कारण पशुपालकों को मुआवजा राशि

15—श्री आदेश चौहान—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि हरिद्वार रोशनाबाद स्थित सिडकुल क्षेत्र में जहरीला पानी पीने के सलेमपुर के दो पशुपालकों की 21 गायों की मृत्यु दिनांक 12—06—2012 व 14—06—2012 को हो गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त पशुपालकों को कोई भी मुआवजा अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा जब तक मुआवजा राशि दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित सिडकुल क्षेत्र में श्री गुलदार पुत्र अनवर निवासी ग्राम सलेमपुर एवं श्री हसीन पुत्र श्री नसीर निवासी रोशनाबाद के द्वारा क्रमशः 10 एवं 8 कुल 18 गायों की मृत्यु दिनांक 12–06–12 एवं 14–06–12 को होने की सूचना दी गई, किन्तु पशुचिकित्साधिकारियों की टीम एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार कुल 7 गायों की मृत्यु की पुष्टि हुई और मौके पर भी 7 पशु शव ही प्राप्त हुए, जिनके पोस्टमार्टम के उपरान्त भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, बरेली से कराये गये सैम्पल जाँच में आरसेनिक एवं लैड पॉयजनिंग की पुष्टि हुई है।

मुआवजे के सम्बन्ध में पशुपालन विभाग में कोई प्रावधान नहीं है।

गायों की मृत्यु से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन, रोशनाबाद को दिनांक 27–06–2012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के रानीपुर वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को हरिद्वार नगर निगम में शामिल करने पर विचार

16–श्री आदेश चौहान–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के 26 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कृपालनगर, रामधाम कालोनी, देवनगर दर्शननगर, गंगानगरी (राउली महदूद) व औद्योगिक क्षेत्र (सिडकुल) बहादराबाद, शिवालिक नगर विस्थापित टिहरी कालोनी (निकट पी0ए0सी0) की जनता लम्बे समय से इस क्षेत्र को नगर निगम हरिद्वार में शामिल किये जाने की माँग कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को नगर निगम हरिद्वार में शामिल करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

नगर निगम, हरिद्वार के निकटवर्ती ग्रामों/क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किये जाने की माँग के दृष्टिगत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा 26 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल, शिवालिक नगर निकट पी0ए0सी0 को नगर निगम, हरिद्वार में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। तद्नुसार प्रस्ताव औचित्यपूर्ण पाये जाने पर प्रस्तावित क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

कृपालनगर, रामधाम कालोनी, देवनगर दर्शनगर, गंगानगरी (राउली महदूद) व बहादराबाद को नगर निगम, हरिद्वार में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनागब में नगर पंचायत बनाये जाने की कार्यवाही

17–श्री नारायणराम आर्य–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग में नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो सरकार इसे नगर पंचायत बनाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्ताव औचित्यपूर्ण पाये जाने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून अर्न्तगत गढ़ीकैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने की योजना पर विचार

18–श्री गणेश जोशी

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के गढ़कैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेस–2 या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत गढ़ीकैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री.....

जी नहीं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेस'2 प्रारम्भ करने की भारत सरकार द्वारा आधिकारित घोषणा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विकास नगर में नगर पालिका द्वारा निर्मित शापिंग काम्पलैक्स की दुकानें विस्थापित को आवंटित

19--श्री नवप्रभात--

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद देहरादून के विकास नगर शहर में 28 फीट रोड पर एक शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया गया है ?

यदि हाँ, तो इस शापिंग काम्पलैक्स की दुकाने विस्थापित दुकानदारों को आवंटित कर कब्जा प्रदान कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार--

जी हाँ।

दुकानों की निर्माण लागत के आधार पर आंकलित प्रीमियम की धनराशि दुकानदारों द्वारा जमा नहीं किए जाने के कारण विस्थापित दुकानदारों को दुकानों का आवंटन/कब्जा नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के हरबर्टपुर में स्थित पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण एवं प्रगति

20--श्री नवप्रभात--

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरबर्टपुर शहर में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार--

जी हाँ।

पशुचिकित्सालय हरबर्टपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम ढकरानी हरिपुर स्थित भूमि पशुपाल विभाग को हस्तान्तरित की गई है एवं शासनादेश संख्या 520/XV-1/1(37)/05 दिनांक 22-8-2006 के द्वारा ` 35.25 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था पेयजल निगम को उपलब्ध कराई गई हैं।

वर्तमान में भूमि का सीमांकन कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं भूमि का परवाना जारी किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी विकासनगर द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी, देहरादून को प्रेषित किया गया है।

जनपद देहरादून के हरबर्टपुर में रेशम विभाग से प्राप्त भूमि को नगर पंचायत को उपलब्ध कराने पर विचार

21–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरबर्टपुर शहर में रेशम विभाग से प्राप्त हुई भूमि को हरबर्टपुर नगर पंचायत को उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति है ?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननी सदस्य श्री राजकुमार, श्री मदन कौशिक, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री दान सिंह भण्डारी, राज कुमार ठुकराल, श्री चन्दन राम दास, श्री प्रेम सिंह तथा श्री ललित फर्स्वाण की कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं श्री राजकुमार, श्री मदन कौशिक, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री चन्दन राम दास, श्री प्रेम सिंह एवं श्री ललित फर्स्वाण की कुल 7 सूचनाओं को मैं नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

*श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत ही आवश्यक है, पूरे विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों को हाल बहुत बुरा है।

प्रश्नोत्तर की प्रति के अतारांकित प्रश्न संख्या–1 में माननीय सदस्य के नाम आगे उनके पद का उल्लेख नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

*नेता प्रतिपक्ष (अजय भट्ट)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं आपकी आज्ञा से लेना चाह रहा हूँ। मान्यवर, आज जो अतारांकित प्रश्न संख्या–1 है, जो कि माननीय भीम लाल आर्य जी द्वारा उठाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। मान्यवर, इस सदन में जो लोग चुनकर आते हैं, यह गौरव और किसी को प्राप्त नहीं है, यहाँ का जो माननीय विधायक है, उसको प्रिविलेज्ड होते हैं, जैसे माननीय संसद के सदस्य प्रिविलेज्ड होते हैं। मान्यवर, चाहे कितना ही बड़ा रुपये-पैसे वाला आदमी हो, कितना ही बड़ा उच्च अधिकारी हो, लेकिन उसको यह प्रिविलेज नहीं है। मान्यवर, इस सीट पर बैठने के लिए लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, लोगों के जूते घिस जाते हैं, तब इसके अन्दर आते है, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। अगर उनका ठीक से सम्मान नहीं होगा, उचित तरीके से उन्हें रिसपेक्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। मान्यवर, परम्पराओं को जिंदा रखना, उनकी रक्षा करना, इनको संरक्षित करना। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, आपकी तरफ से सबके ऊपर छात्रछाया बराबर रहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो अतारांकित प्रश्न संख्या-1 है। माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य जी घनसाली के माननीय विधायक हैं, वैसे तो ये कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, यह बात अलग है कि कोई इनसे मिलने तक नहीं गया। मान्यवर, विधायिका का कोई भी व्यक्ति जाना चाहिए तो इतनी कर्टसी होना चाहिए कि, कोई जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। यह बात वे अलग से रखेंगे। मैं एक नयी बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आज हमें यहाँ जो उत्तर दिया है, इसमें ऊपर से ही हमने किस तरह से लिख दिया हैं। "श्री भीमलाल आर्य द्वारा पूछा गया विधान सभा के तृतीय सत्र 2012 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न"। मान्यवर, यह भीमताल आर्य है कौन, ये कौन भीमलाल आर्य है, ये यही भीमलाल आर्य हैं या कोई और आर्य हैं। कैसे हम इनको रिसपेक्ट करेंगे, कैसे हम उनको विशेषाधिकार की रक्षा करेंगे।

मान्यवर, जो शहरी विकास मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया है, इसमें चाहे अधिकारियों की गलती हो, चाहे ट्रैजरी बैंच की गलती हो। या बहुत बड़ी गलती है, यह अक्षम्य है, इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। आज पूरे सदन के विधायकों को कहीं न कहीं विशेषाधिकार से जुझना पड़ता है। कोई अधिकारी हमारे विधायक को गाली बक दे रहा है, कोई कह रहा है तेरे जैसे विधायक तो हमने देख लिये है। कोई कुछ कह दे रहा है और कोई कुछ कह दे रहा है। मान्यवर, एक दम से नये-नये विधायक यहाँ आये हुए हैं। विधायक सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में ये बातें कहाँ से आ गयी। हम उत्तर प्रदेश में विधायक रहे है, विधायक के क्या अधिकार हैं, उसका क्या प्रोटोकॉल है ये कम से कम यहाँ एक प्रबोधन अधिकारियों का भी लेने की आवश्यकता है। चीफ सेक्रेटरी लेने आयेंगे और उनको छोड़ने दरवाजे तक आयेंगे, उसमें विधायक के लिए क्लियर लिखा है। कोई भी प्रमुख सचिव या कोई भी अधिकारी खड़े रहेंगे। यहाँ तो जिलाधिकारी मंचों पर बैठते हैं, डॉक्टर मंच पर बैठता है और आपके विधायक को नीचे बैठाा जाता है। मान्यवर, आखिर यह

प्रदेश कैसे बचेगा कोई नियम कानून तो होना चाहिए। नेता सदन आज यहाँ पर बैठे हैं मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि सबके विशेषाधिकार की, क्योंकि यह भीमलाल जी एक व्यक्ति नहीं है या अजय भट्ट कोई एक व्यक्ति नहीं है, हेमंत या कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। ये एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने इस माननीय सदन में आये हैं। इसलिए मैं माननीय नेता सदन से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल की जैसे अनदेखी और माननीय विधायकों का जैसा अपमान यहाँ पर हो रहा है, वैसा वहीं देखा नहीं जा रहा है। इसमें कोई कड़ा रूख मान्यवर,, अख्तियार करें। आखिर यह आया कैसे इसमें, इसमें माननीय सदस्य क्यों नहीं लिखा गया। मान्यवर, इसी तरह से हमारे एक नये विधायक जी को कह दिया कि उनको ज्ञान नहीं था कि हमकों यहाँ लाना है तो उनसे कहा दिया कि तेरे जैसा विधायक तो बहुत होते हैं मैं तो एटा का रहने वाला हूँ, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। आखिर इसमें क्या हैं, कोई कही का भी रहने वाला है। अगर शिष्टाचार विधायकों से आप कल्पना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि शिष्टाचार में रहें तो संसदीय परम्पराओं का अनुपालन भी कराना ट्रेजरी बैंच अधिकारियों को दिखायें। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं चाहता हूँ इसमें कोई बड़ा रूख रहे, इसमें आपके कोई निदेश आने चाहिए, आपके वक्त–वक्त पर जो निदेश आते हैं। वे हमारी नजीर बनते हैं यही निदेश भविष्य के लिए नजीर बनेंगे। इसमें कोई न कोई कड़ा विनिश्चय दें, ताकि कोई दुबारा हिम्मत न कर सके। धन्यवाद।

*श्री भीमलाल आर्य–

श्रीमन्, अवमानना हुई है, इस पर आपको कड़ा रूख लेना चाहिए। यही नहीं मैंने नियम–310 के तहत सूचना भी लगायी है कि मैं 11 दिन क्रमिक अनशन पर रहा और 9 दिन तक आमरण अनशन पर रहा, धुत्तू जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों के हक–हककों की रक्षा के लिए।

श्री अध्यक्ष–

जब आपकी सूचना आएगी, तब बोलिएगा।

श्री भीमताल आर्य–

श्रीमन्, आपने इसे ग्राह्य ही नहीं किया है। (व्यवधान) मैंने नियम–310 में सूचना लगाई है। (व्यवधान) इस पर विषय पर कड़ा रूख होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भट्ट जी ने जो बात यहाँ माननीय सदस्यों के सम्मान और प्रोटोकॉल की उठाई है, वह अपने आप में बहुत गम्भीर प्रश्न है। मैं यह निर्देश देता हूँ, सभी विभाग के अधिकारियों को और सरकार को कि सम्मानित विधायकों का जो प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुरूप ही वे कार्य करें। कहीं पर भी माननीय सदस्य को ऐसा न लगे कि उनकी अवमानना हो रही है। (मेजो की थपथपाहट)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि नियम–310 में जो सूचनाएं आयी हैं, उनको आप नियम–58 में चेंज कर दें। हम चाहते हैं कि सदन चले, ब्लेम नहीं लगना चाहिए। बार–बार यह कहा जाता है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता है। हम चाहते है कि आज अच्छी तरह से सदन चले।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 की 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसमें पहली सूचना है अजय भट्ट जी और उनके साथियों की, जो बेरोजगारी भत्ते के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री भीमलाल आर्य जी की है और तीसरी सूचना श्री चन्दन राम दास जी की है। इनमें से पहली सूचना, जो माननीय अजय भट्ट जी और उनके साथियों की है, इसको मैं नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता के लिए स्वीकार करता हूँ और शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–300 की सूचना पर माननीय सदस्य श्री राजकुमार का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, नियम–310 की हमारी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अनुसूचित वंचित समाज का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–58 की सूचना नहीं बन पा रही है।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बैकलॉक का मामला है और आरक्षण पर विधेयक लाने का मामला है। इतना महत्वपूर्ण मामला है और पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसको आगे फिर दे दीजिएगा, तब देख लेंगे।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, आगे कब देंगे ?

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कर्मचारियों में बडत्री दरारें पड़ रही हैं। यह बैकलॉग का मामला है और कोई मामला नहीं है इसलिए चाहे आज ले लें, चाहे सोमवार को ले लें। जैसा आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको सोमवार को ले लेंगे।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

प्रदेश के आर0एफ0सी0 के गोदामों में इलेक्ट्रानिक कांटों की कमी तथा मिड–डे मिल के लिए सामान का भाड़ा न मिल पाने से व्यापारियों को रहे रहे घाटे के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

मान्यवर, 1–माननीय शहरी विकास मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि ए0डी0बी0 द्वारा जो शहर की स्थिति खराब हुई है। इसका सुधार कब तक हो पाएगा या शहर के लोग ऐसी ही बदहाली में रहने को मजबूर रहेंगे।

2–माननीय खाद्य मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आर0एफ0सी0 के गोदामों में इलेक्ट्रानिक कांटे लगाकर प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला व्यापारी को सामान तौल कर देने का संकल्प कब पूरा होगा, क्या व्यापारी बिना तौले सामान ल जा कर हमेशा घाटा उठाने के लिए है और मिड–डे–मील के लिए व्यापारियों के दिए जाने वाले सामान का भाड़ा व्यापारियों को कब से नहीं दिया गया और कब दिए जाने की सम्भावना है ?

जनपद हरिद्वार के जिला चिकित्सालय, मेला चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सालय में डाक्टरों, मशीनों तथा दवाईयों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद के मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय, मेला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय की स्थिति बहुत खराब है। जिला केन्द्र होने कारण प्रत्येक दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सैकड़ों मरीज यहाँ आते हैं, लेकिन डाक्टरों, मशीनों एवं दवाईयों की कमी के कारण निराश लौटते हैं। तीनों चिकित्सालयों में फिजीशियन, कार्डियोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट निश्चेतक जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। जिला अस्पताल में 22 में से 7, मेला अस्पताल में 10 में से 5 व महिला अस्पताल में मात्र चार डाक्टर हैं। डेंगू के कारण सबसे अधिक प्रभावित इस जिले, जिला अस्पताल में ब्लड सेप्रेटर तक उपलब्ध नहीं है। सुविधाओं एवं डाक्टरों की कमी के कारण आम लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा एवं आक्रोश व्याप्त है। विषय अविलम्बनीय, तात्कालिक एवं लोकमहत्व का है। अतः सदन के सम्मुख प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा में जिला समाज कल्याण कार्यालय में कार्मिकों की कमी के परिणाम स्वरूप कल्याण योजनायें प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा में समाज कल्याण कार्यालय में कार्मिकों की कमी के कारण समाज कल्याण योजनायें अत्यधिक प्रभावित हो रही है। कार्मिकों का ढांचा बहुत कम लाभार्थियों की संख्या के अनुरूप वर्षों पुराना, लेकिन वर्तमान में सभी प्रकार की येजनाओं में लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को समय पर कल्याण योजनाओं का लाभ न मिलने से असन्तोष का वातावरण बन रहा है तथा लोग आन्दोलित हो रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि जिला समाज कल्याण कार्यालय, अल्मोड़ा में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की संख्या सुनिश्चित करायें ताकि कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर हो सकें।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा विकास खण्ड की भौगोलिक रूप से विस्तृत विकास खण्ड के दो भागों में बांटे जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ओखलकाण्डा विकास खण्ड जो कि काफी पिछड़ा क्षेत्र है तथा जिसके अन्तर्गत लगभग 76 ग्राम सभायें हैं, भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। इसका एक छोर गौलापार है तथा वही दूसरा छोर चम्पावत जनपद के ढोली गाँव से लगा हुआ है, जिस कारण क्षेत्र पंचायत की बैठक में दूरस्थ क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बैठक में पहुँच ही नहीं पाते हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा कई समय से मांग की जाती रही है कि

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओखलकाण्डा विकास खण्ड को दो भागों में बांटा जाय, ताकि क्षेत्र का विकास द्रुत गति से हो सके एवं क्षेत्र से प्रत्येक गाँवों तक विकास की किरण पहुँच सके। ओखलकाण्डा का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण विकास की गति बहुत ही धीमी है, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए नियम–300 के अन्तर्गत सदन में चर्चा की माँग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड में ग्राम सभा ढोला गाँव तथा रानीकोट के गोमती नदी पर पैदल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में ग्राम सभा ढोल गाँव में रानीकोट में गोमती नदी पर पैदल पुल की माँग विगत कई वर्षों से की जा रही है। जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा की गयी थी। इस स्थान पर यातायात का कोई अन्य साधन नहीं होने से क्षेत्रवासियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त माँग के लिए क्षेत्रवासी लम्बे समय से संघर्षरत् हैं। जिस कारण क्षेत्र में भारी जनाक्रोश है। अतः लोक महत्व की इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुल को स्वीकृत कराने की माँग करता हूँ।

नानकमत्ता विधा सभा क्षेत्र का एक मात्र हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में वर्षों के उपरान्त कला भवन का निर्माण न होने तथा आवश्यक विषयों का संस्थागत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह–

मान्यवर, नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र का एक मात्र हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में वर्षों उपरान्त भी कला भवन का निर्माण न होने से आवश्यक विषयों जैसे बी० कॉम व समाजशास्त्र विषयों का संस्थागत न होने से छात्र–छात्राओं को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों हेतु दूर–दूर भटकना पड़ रहा है। वर्तमान में नया भवन तो दूर बल्कि पुराने भवन की जर्जर स्थिति के कारण छात्र–छात्राओं ही नहीं बल्कि स्थानीय जनता का अभिभावकों में व्यापक असन्तोष व्याप्त हो रहा है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का रूप में ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बागेश्वर के गरूड़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कौसानी–भतड़िया–मछियाबगड़ मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललित फर्स्वाण–

[मान्यवर, जनपद गरूड़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कौसानी–भतड़िया–मछियाबगड़ मोटर मार्ग के किमी0 14 पर वर्ष 2008–09 में पुल की निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसकी लागत उस समय रु0 76 लाख थी। अधिशासी अभियन्ता व ठेकेदार की मिलीभगत वे वह पुल आज तिथि तक नहीं बन पायी है। वर्तमान में इस पुल की कीमत रु0 1.5 करोड़ हो चुकी है। पांचवी बार भी निविदा लगाने के बाद भी पुल निर्माण नहीं होना एक गम्भीर विषय है। पर्यटन व यातायात की दृष्टि से पुल निर्माण किया जाना आवश्यकीय है।

महोदय क्षेत्र में यातायात की दृष्टि से उक्त प्रकरण पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

श्री मदन कौशिक, विधान सभा ने बजट कम खर्च होने के बाद भी राज्य की विधान सभा के समक्ष अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–299 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी की एक सूचना प्राप्त हुई हैं जो बजट कम खर्च होने के बाद भी राज्य की विधान सभा के समक्ष अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में हैं, को मैं सदन के समक्ष पढ़कर सुना रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसके बारे में सदन को मैं बता देता हूँ और इसमें दो मिनट का समय भी रहता ही है। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तराखण्ड राज्य का बजट 31 मई, 2012 को प्रस्तुत किया था उस बजट को...............।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना को पढ़कर सुना दें अन्यथा मैं सुना रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो स्वीकार हो गई है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप पढ़कर सुना दें या मैं सुना रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो बताना ही पड़ेगा कि यह प्रश्न क्यों लाना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई परम्परा नहीं है, आप बैठिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ भारत के संविधान के अनुच्छेद–205 तथा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, नहीं परम्परा नहीं है, आप बैठिये।

भारत के संविधान के अनुच्छेद–205 तथा उत्तराखण्ड विधान भा की कार्य–संचालन नियमावली के नियम–182–184 के अधीन राज्य की विधान सभा में अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान की माँगें प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद–205(क) के अनुसार, "अनुच्छेद 204 के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या (ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई रकम व्यय हो गयी है, तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए माँग प्रस्तुत करवाएगा।"

वर्ष 2012–13 की प्रथम अनुपूरक माँगों के प्रस्तुतीकरण की टिप्पणी के बिन्दु संख्या–3 में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान अनुपूरक माँग प्रस्तुत करना इसलिए भी आवश्यक है कि मूल वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के बाद अनेक केन्द्र पोषित योजनाओं तथा तद्विषयक धनराशि का समावेश, वचनबद्ध मदों में वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि कम पड़ने की सम्भवना, "राज्य आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति, नई मदों पर व्यय जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए आय व्ययक में कोई व्यवस्था सम्मिलित नहीं की गई थी, उस पर विधान मण्डल की स्वीकृति अपेक्षित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। अतः वर्ष 2012–2013 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की माँगों के प्रस्तुतीकरण में संविधान के किसी अनुच्छेद या कार्य संचालन नियमावली के किन्ही नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः यह सूचना औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आती है। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब सरकार ने खर्च ही नहीं किया तो सरकार कैसे कह रही है कि कितना हुआ। मान्यवर, हमें इतना मौका तो देंगे कि हम बतायें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियमावली के अनुसार, परम्पराओं पर यह सदन चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी कि किसी बात का संज्ञान न लिया जाय।

उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री साधू राम एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री लीला राम शर्मा के निधन पर शोकोद्‌गार

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री साधू राम जी ज्योलाजिस्ट थे और बहुत ही कर्मठ जनसेवक थे और वे सहसपुर से विधायक चुने गये थे और माननीय तिवारी जी के मंत्रि मण्डल के कई विभागों के मंत्री भी रहे और मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति के साथ मेरा शायद ही जीवन मे परिचय हुआ हो। उनके समय में उनके कार्यकाल मे विकास तो हुआ ही, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति से सम्बन्धित मुद्दे उठाये और शासन का ध्यान आकर्षित किया तो में कह सकता हूँ कि वह बहुत ही सजग प्रहरी थे जन कल्याण योजनाओं के और जनभावनाओं का सम्मान करने के लिए। उनके निधन से हम सबको शोक है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम उनके परिवार को अपना शोक संदेश भेजते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, री लीला राम शर्मा जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वह विधायक भी रहे उनका जन्म वर्मा में हुआ था, उनका सारा राजनीतिक जीवन इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहा। कुमाऊँ मण्डल निगम एवं पर्वतीय विकास परिषद्

के वे निदेशक रहे। डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में वह सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने समय–समय पर नागरिकों के अधिकारों, जल, जंगल, जमीन में ग्रामीणों के हितों की पुरजो वकालत की है। ऐसे जन सेवक और ऐसे नेता का निधन एक कमी महसूस कराता है। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमकों भी संकल्प करना चाहिए कि हम उनके आदर्शों पर चल करके समाज और राज्य की सेवा करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्व0 श्री इन्द्र कुमार गुजराज जी के शोक संदेश के समय हम और हमारे साथी उपस्थित नहीं रह पाये और ऐसे अवसर पर यह विवाद का विषय भी नहीं रहा। अगर हमारे विधान सभा का प्रस्ताव वहाँ जाय तो मेरे को और हमारे पूरे दल को उससे सम्बद्ध करके भेजा जाये। क्योंकि ऐसे अवसर विधान सभा के होते हैं तो उसमें सभी लोगों का संदेश सम्मिलित होकर जाना चाहिए, वर्मा उससे बड़ी बदनामी होती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि उस प्रस्ताव में हमें सम्मिलित माना जाये।

मान्यवर, श्री साधू राम जी 01 अगस्त, 1939 को पैदा हुए और यही के ग्राम पेलियों, नाथूवाला, देहरादून के निवासी थे उनके साथ हमें ओर इस सदन के कई सदस्यों को सदन में साथ–साथ काम करने का अवसर मिला। उनका स्वभाव बहुत सुशील था ओर जब कभी वह किसी से मिलते थे तो वह लोगों को हंसाते रहतेथे, चाहे उनको कितना भी कष्ट हो। यहाँ भी जब वह सदन में प्रश्न का उत्तर देते थे तो उनके उठते ही ऐसा होता था कि स्वयं ही लोग हंसते थे, इतना अच्छा उनका व्यक्तित्व था, ऐसा चमत्कारित व्यक्तित्व उनका था। यानि कि वह एक जिन्दा दिल इनसान थे, उनसे हमको काफी प्रेरणा भी मिलती थी, जब उनके साथ मुझे एक दो बार बैठने का मौका मिला तो उन्होंने काफी दुःखद घटनायें भी बताई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं हंसता रहता हूँ। उनको बहुत अच्छा साहित्यिक ज्ञान था और वे बड़े कर्मठ थे। उनके निधन से हम सब लोग स्तब्ध है। में और मेरा दल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा आपसे निवेदन करते हैं कि उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुँचाने की कृपा करें। मान्यवर, लीलाराम शर्मा की जन्म 5 सितम्बर, 1930 को म्यांमार वर्मा में हुआ था। आप एक वकील थे और एक बहुत अच्छे वकीलों में पिथौरागढ़ में उनका नाम आता था और काफी लम्बे समय तक वह वकालत करते रहे। उनका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राजनैतिक जीवन प्रारम्भ हुआ, वर्ष 1972 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और आजन्म व कांग्रेस के सदस्य बने रहे। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वह विधायक रहे हैं। वे बहुत ही विनम्र और नियम कानून तथा संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह समाज में कहीं भी जाते थे तो उनका दलगल राजनैतिक से उठकर बहुत बड़ा सम्मान था। दलों का बन्धन उन पर लागू नहीं था। वे कई दलों के सम्पर्क में रहे और समय–समय पर

नागरिकों के अधिकारों, जल, जंगल जमीन में ग्रामीणों के हितों की पुरजोर वकालत की है। जिला नागरिक सुरक्षा समिति की स्थापना की जिसमें सभी दलों में भागीदारी सुनिश्चित की। उनके निधन से हम सब स्तम्भ हैं और हम सब दुःखी हैं। वास्तव में इससे अपूर्ण क्षति हुई हैं। दिनांक 31 जुलाई, 2012 को 83 वर्ष की आयु में वे स्वर्गवासी हुए हैं। मैं और हमारा पूरा विधान मण्डल दल उनको श्रद्धांजति अर्पित करते है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक अवश्य भिजवा देने की कृपा करें।

*श्री हरीदास–

मान्यवर, मैं अपने आपको माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ सम्बद्ध करता हूँ। वर्ष 2002 में स्व0 श्री साधूराम जी हमारे साथ विधायक रहे थे। वह बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वह जब मंत्री पद पर थे तो पूरी विधान सभा को खुश रहते थे। यदि कोई प्रश्न विधान सभा में उनसे पूछा जाता था तो दीदी उन प्रश्नों का जवाब देती थी, लेकिन वह कहते थे कि प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। मान्यवर, हम लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से पाँच साल गुजारे हैं। वह पहले नौकरी में रहे उनके बाद राजनैतिक में आकर हमारे साथ विधायक रहे है। मान्यवर, हमारा दल इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है और हमारी श्रद्धांजति उनके परिवार तक अवश्य भिजवा देना कि कृपा करें। मान्यवर, स्व0 लीलाराम शर्मा जी हमारे से पहले विधायक रहे है और उनका नाम अच्छे वकीलों में जानना जाता था। इनका कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं रहा। वह कांग्रेस के सदस्य रहे है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारी दल की श्रद्धांजति उनके परिवार तक अवश्य भिजवा देने की कृपा करें।

शहरी विकास एवं पशुपालप मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री साधू राम जी के निधन से निश्चित तौर पर हम सब को बहुत दुःख हो रहा है। वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक मैं भी जब इस सदन का सदस्य था और माननीय श्री साधू राम जी माननीय मंत्री के रूप में इस सदन में थे और मैंने उन्हें हमेशा देखा कि वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, उनका जो सामाजिक जीवन रहा है और उनके जो कार्य करीबों के लिए रहे है वे हमेशा याद करने लायक है और उन्होंने हमेशा अपने जीवन में गरीबों की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और उनके निधन से जो अपूरणीय क्षति हुई है वह अपने आप में हम सब लोगों के लिए दुःखदायी है और श्री लीलाराम शर्मा जी को उत्तर प्रदेश में विधायक रहे है, उनका भी जो राजनीतिक जीवन है, उनकी विभिन्न सामाजिक कार्यों में जो रूचि थी, लेखन में उनकी रूचि थी और वे एक रंगकर्मी भी थे, जो उनके निधन से भी हमें क्षति हुई है और हमें बेहद दुःख है उन दोनों के निधन का, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि शोक संतृत्त परिवार तक हमारी संवेदना को पहुँचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायणराम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस संसार में अनेक मनुष्य जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने नश्वर शरीर को छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी विभूतियां होती है जो शरीर छोड़कर इस संसार से चले जाते है लेकिन अपने द्वारा किये गये सामाजिक कार्यों की छाप को छोड़कर चले जाते है और उसी में से आज हम अपने दो पुराने साथियों का नाम ले रहे है, उसमें से प्रथम साथी श्री साधू राम जी है, उनका जन्म 1 अगस्त, 1939 को पेलिया नत्थूवाला, देहरादून में हुआ था और उन्होनें विज्ञान स्नातक के रूप में डी0ए0बी0 कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् राजकीय सेवा को चुना और उसके पश्चात् राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड के प्रथम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उत्तराखण्ड के पं0 नारायण दत्त तिवारी जी के मंत्री मण्डल में आपको राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला और साथ ही उसी समय मुझे भी श्री साधू राम जी के संगत में आने का सौभाग्य मिला, ये बडेत्र्‌ ओजस्वी, सौम्य स्वभाग और हंसमुख स्वभाग के व्यक्ति थे, आज भी जो माननीय सदस्य इन सदन में उपस्थित है उनके सामने श्री साधू राम जी का हंसमुख्य चेहरा आ रहा होगा इन्होंने अपने मंत्री काल में समाज के हर वर्ग की समस्यों उठाई है और समाज का हर वर्ग आज उनके निधन से दु:शी है, इस समाज सेवक का देहावसान 22 जून, 2012 को हुआ, आज सारा सदन और पूरा उत्तराखण्ड उनको याद कर रहा है, हम सब माननीय श्री साधू राम जी की दिवंगत आत्मा के लिए परपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते है और उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनके परिवार को इस भंयकर आहत को सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। मान्यवर, मेरा यह संदेश उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, दूसरे ऐ विभूति पूर्व विधायक श्री लाला राम शर्मा जी है, जिनका जन्म 5 सितम्बर, 1930 को म्यांमार वर्मा में हुआ था, आपने स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् एल0एल0बी0 की और एक वकील के रूप में अपना पेशा आरम्भ करते हुए समाज सेवा में हमेशा तल्लीन रहे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राजनीतिक जीवन की शुरूआत करते हुए वर्ष 1972 में आपने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और तब से निधन तक आजीवन कॉंग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में बने रहे, मुझे स्वयं श्री लीला राम शर्मा जी के साथ बचपन से ही काम करने का सौभाग्य मिला और आप बड़े निर्भीक, कुशल और न्यायप्रिय अधिवक्ता थे, आपने गरीबों की, समाज की सेवा की और 1991 में डीडीहाट विधान सभा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य रहे और उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद वर्ष 2005 में वन एवं पर्यावरण सहाकारिता समिति के माननीय अध्यक्ष भी रहे। आपने पिथौरागढ़ जनपद में चाहे पेयजल की समस्या हो या नागरिकों के सुख सुविधाओं की समस्या हो, या वहाँ क जर, जंगल या जमीन की समस्या हो, को हर मंच में निर्भीकता से उठाते हुए आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आपका निधन 31 जुलाई, 2012 को 83 वर्ष की अवस्था में हुआ। आप जैसे कर्मठ व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हम परपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और आपके परिवार को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी यह शोक संवेदना उसके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पूर्व विधायक श्री साधू राम के निधन पर मुझे गहरा दुःख का अनुभव हुआ है। और श्री साधू राम का जन्म 1 अगस्त, 1939 को हुआ था। श्री साधू राम के पिता श्री मन्साराम स्वयं भी स्वतंत्रता सेनानी थे। श्री साधू राम की प्रारम्भिक शिक्षा नया गाँव, पेलियों में, माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय विद्यालय एफ0आर0आई0 में व स्नातक की शिक्षा डी0ए0वी0 कालेज, देहरादून में हुई इनका विवाह 11 मई, 1970 को श्रीमती सुशीला देवी से हुआ। श्री साधू राम 1962 में सर्वे ऑफ इण्डिया की सरकारी सेवा में गए तथा वर्ष 1997 में सीनियर ज्योलाजिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री साधू राम विभिन्न सामाजिक एवं सहकारी संगठनों से जुड़े रहे। वे नाथूवाला पेलियो सहकारी समिति के वर्ष 1993–96 में अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा में योगदान दिया। वे निर्धन विकलांग एवं वृद्धजनों के अधिकारों के लिए सदैव संघर्षरत रहे। श्री साधू राम वर्ष 2002 में सहसपुर विधान सभा क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा माननीय नारायण दत्त तिवारी की उत्तराखण्ड सरकार में (जिसमें मैं भी उद्यान, खादी एवं ग्रामद्योग तथा लघु उद्योग मंत्री था) गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री (सम्बद्ध माननीय मुख्यमंत्री) थे। उन्होंने मंत्री–परिषद् के एक प्रभावी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अत्यन्त दुःख का विषय है कि 22 जून, 2012 को उनका निधन हो गया। उनके परिवार में दो पुत्र हैं। श्री साधू राम के निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं आप सबकी भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को दुःख की इस घड़ी को सहने की क्षमता प्रदान करे। मैं सदन की भावनाएं उनके परिजनों तक पहुँचा दूँगा।

श्री लाल राम शर्मा के निधन से मुझे गहन दुःख की अनुभूति हुई है। श्री लीला राम शर्मा का जन्म 5 सितम्बर, 1930 में म्यांमार (वर्मा) में हुआ था। श्री शर्मा के पिता का नाम पं0 श्री गंगाराम व माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। श्री शर्मा ने हाई स्कूल की परीक्षा किंग जार्ज सिक्स्थ कोरोनेशन हायर सैकेण्ड्री स्कूल, पिथौरागढ़ से उत्तीर्ण की तथा आगे की शिक्षा अल्मोड़ा, बिड़ला कालेज पिलानी, राजस्थान एवं डी0ए0बी0 कालेज, कानपुर से प्राप्त की तथा वर्ष 1957 में कानपुर में वकालत प्रारम्भ की। पिथौरागढ़ में तत्कालीन एस0डी0एम0 द्वारा नियम तथा कानून को ताक पर रखकर जनता के हो रहे शोषण के विरूद्ध उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पिथौरागढ़ का गठन कर आवाज उठाई।

स्व0 श्री शर्मा का नाम सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में लिया जाता है। पिथौरागढ़ में डिग्री कालेज खोलने हेतु पहली बार आपके नेतृत्व में आन्दोलन हुआ। आपने समय–समय पर नागरिकों के अधिकारों, जल–जंगल–जमीन में ग्रामीणों के हितों की पुरजोर वकालत की और समय–समय पर अपने परामर्श से शासन को भी अवगत कराया। आपने कुमाऊँ मण्डल विकास निगम एवं पर्वतीय विकास परिषद् के निदेशक के पद पर कार्य किया। वर्ष 1991 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी हुए। राज्य निर्माण के बाद आप वर्ष 2004–2005 में वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड के उपाध्यक्ष (दर्जा राजमंत्री स्तर) रहे। आपके द्वारा ''उत्तराखण्ड वन एवं पर्यावरण'' पुस्तक भी प्रकाशित की गई तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं उठाने हेतु ''अनन्त विजय'' नाम से मासिक पत्रिका निकाली। दिनांक 31 जुलाई, 2012 को 83 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। श्री शर्मा के निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं आप सबकी भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को दुःख की इस घड़ी को सहने की क्षमता प्रदान करे। मैं सदन की भावनाएं उनके परिजनों तक पहुँचा दूँगा। अब हम दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट के मौन के लिए खड़े हुए।)

उत्तराखण्ड विधन सभा के वर्ष 2012 के द्वितीय सत्र में नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2012 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दिनांक 12 सितम्बर, 2012 की रात्रि को भारी वर्षा एवं बादल फटने के ध्वस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ''विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दिनांक 12 सितम्बर, 2012 की रात्रि को भारी वर्षा एवं बादल फटने से हुई ध्वस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती हंसा धनिक एवं निवासीगण, ग्राम पंचायत सूडिव, विकास खण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र कपकोट में बहने वाली नदियों एवं नालों से बरसात में आबादी क्षेत्र एवं कृषि भूमि कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''विधान सभा क्षेत्र कपकोट में बहने वाली नदियों एवं नालों से बरसात में आबादी क्षेत्र एवं कृषि योग्य भूमि कटाव की सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्रीमती हंसा धानिक एवं निवासीगण, ग्राम पंचायत सूडिंग, विकास खण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र कपकोट में विगत दिनांक 12 सितम्बर, 2012 की रात्रि को वर्षा से ध्वस्त मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''विधान सभा क्षेत्र कपकोट में विगत दिनांक 12 सितम्बर, 2012 की रात्रि भारी वर्षा से हुई ध्वस्त मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती हंसा धानिक एवं निवासीगण, ग्राम पंचायत सूडिंग, विकास खण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012

परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक,2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 की बैठक में दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 से दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिसम्बर, 2012

07 शुक्रवार (1) विधायी कार्य

(1) वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) असरकारी कार्य।

द्वितीय सत्र, 2012 के लम्बित असरकारी संकल्प

(1) श्री मदन कौशिक, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में स्थापित की जाय।" (30 मिनट)

(2) श्री नवप्रभात, " यह सदन उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने का संकल्प लेता है;

यह सदन उत्तराखण्ड में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि महत्वपूर्ण पावन नदियों के क्षेत्रीय परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखते हुए राज्य के संसाधनों के विकास, स्थानीय निवासियों के रोजगार एवं सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करता है;

यह सदन अनुभव करता है कि राज्य के बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण राज्य की ऊर्जा आवश्यकता के साथ–साथ सुदूर क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक उत्थान, आर्थिक प्रगति एवं स्थानीय निवासियों को बेहतर जीवन–यापन का अवसर प्रदन करने के लिए आवश्यक है।

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए आवश्यक सभी निर्देशों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।" (30 मिनट)

3. असरकारी संकल्प

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल "इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।" (30 मिनट)

2. श्री बिशन सिंह चुफाल "यह माननीय सदन प्रदेश सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में वर्षाऋतु में प्रतिवर्ष अचानक भारी बारिश एवं बादल फटने की दुर्घटनाओं से जान, माल एवं सम्पत्ति की गम्भीर दुर्घटनाओं के दृष्टिगत मौसम का पूर्वानुमान लगाने एवं सयम से पूर्व सुरक्षात्मक उपायों हेतु मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में डाप्लर रडार स्थापित किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।" (30 मिनट)

3. श्री मदन कौशिक "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।" (30 मिनट)

4. नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।" (30 मिनट)

08 शनिवार	अवकाश
09 रविवार	अवकाश
10 सोमवार	(1) विधायी कार्य।
	(2) वित्तीय वर्ष, 2012–2013 के अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
	(3) उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, ये यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, ये यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 1–श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्र शेखर, श्री अरविन्द पाण्डे एवं श्री राजेश शुक्ला, 2–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, 3–री गणेश जोशी एवं हरबंस कपूर, 4–री सहदेव पुण्डीर, 5–श्री राजेश शुक्ला, 6–श्री दिलीप सिंह रावत, 7–श्री महावीर सिंह तथा 8–श्री राज कुमार ठुकराज की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री मदन कौशिक, श्री चन्द शेखर, श्री अरविन्द पाण्डेय एवं श्री राजेश शुक्ला, 2–श्री गणेश जोशी एवं श्री हरबन्स कपूर एवं 3–श्री राजेश शुक्ला की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। 2253 लोगों के जीवन यापन का मामला है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। 2253 लोगों की नौकरी का प्रश्न है।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, सिडकुल में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पुलिस जबरन उनको उठा रही है, उनका शोषण हो रहा है, उत्तराखण्ड के युवाओं का वहाँ पर शोषण हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, 2253 लोगों जीवन यापन का, उनके परिवार के जीवन यापन का, उनकी नौकरी का प्रश्न है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, सरकार की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से 2253 लोगों को नौकरी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

जीना जी, बाद में।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आप इसे सोमवार को ले लें।

श्री अध्यक्ष–

जीना जी, बैठिये।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने नियम–58 के अन्तर्गत कार्य स्थगन के रूप में मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है। लगभग 01 लाख 72 हजार ऐसे किसान हैं जो गन्ने से प्रभावित होते हैं। आज वर्तमान समय में प्रदेश में जो 10 चीनी मिल हैं वह सब चल चुकी है। लेकिन आज तक उन 1 लाख 72 हजार गन्ना किसानों को यह मालूम नहीं है कि उनका जो गन्ना मिलों में जा रहा है उसके उनको दाम क्या मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जो कोल्हू और चरखियाँ चल रही हैं यदि किसान अपना गन्न उनमें डालता है तो वह किस रेट में डालें। यदि उनको कम दाम मिलेगा और सरकार के द्वारा क्या घोषित होगा उनको यह मालूम नहीं है। मान्यवर, यह नकदी फसल है, मिल वाले यह कहें कि अभी सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कियाा है तो इस कारण से हम आपको भुगतान नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केवल इतना ही नहीं है माननीय सदस्य सुरेन्द्र राकेश जी इधर बैठकर गन्ना किसानों की चिन्ता करते थे और हम उधर बैठै थे हमने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य घोषित किया था।

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, जो हम चिन्ता करते थे उसको इस सरकार ने आज पूरा किया है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ है तो जनता देखेगी। उनके क्षेत्र में इतनी जनता है कि इन्होंने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया तो जनता इनको वहाँ देख लेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये आकड़े अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ। इस सरकार बजट हुआ था तो इन्होंने खुद स्वीकार किया कि गन्ना एक ऐसी फसल है, जहाँ पर इस प्रदेश के 40 प्रतिशत क्षेत्र में इसकी खेती होती है। लगभग चार जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल प्रमुख रूप से इससे प्रभावित होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह देश का पहला राज्य है कि जिसने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा, पंजाब, यू0पी0 सब राज्यों ने घोषित कर दिया है। यदि कोई राज्य घोषित नहीं करता है तो क्या उत्तराखण्ड उन राज्यों के अनुसार चलेगा। इससे चार जिलों के 01 लाख 72 हजार किसान प्रभावित हैं, 10 शुगर मिल हैं। आज किसानों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है। जितने भी किसानों के संगठन हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इतने गम्भीर विषय को हंसी मजाक में मत लीजिए। यह किसानों के जीवन मरण का सवाल है, सरकार इस पर गम्भीर नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के जितने भी संगठन हैं वह लगातार धरने और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से माँग कर रहे हैं कि गन्ना मूल्या घोषित करो। स्थिति आज यह है कि कभी भी बहुत बड़ा आन्दोलन हो सकता है। आज लगातार बार–बार माँग करने के बावजूद आज मिलों को चले लगभग काफी समय हो गया है, चर्खियाँ चल रही हैं, कोल्हू चल रहे हैं। किसान अपने गन्ने को ले जाकर इन तीनों में डालकर फिर पूछता है कि मेरा गन्ना कितने का है। तो मिल वाले कहते हैं आप देहरादून में जाकर सरकार से पूछिये। उसके बाद यदि किसान देहरादून में आता है तो यहाँ सरकार उस पर विचार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे स्पष्ट है कि गन्ना मूल्य घोषित करने के लिए सरकार को कुछ करना नहीं है। मान्यवर, गन्ना मूल्य निर्धारण की समिति बनती है, जिसमें किसानों के चार प्रतिनिधि होते हैं तथा वैज्ञानिक होते है और वह पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपती हैं। सरकार उस आधार पर गन्ना मूल्य घोषित

करती है। वह समिति लगभग तीन महिने पहले बन जाती है। उस समिति की बैठक देहरादून में, हरिद्वार में, ऊधमसिंह नगर जिले में और नैनीताल जनपद में होती है। वह सारा विषय रखने के बाद वह गन्ने का मूल्य घोषित होता है। लेकिन मुझे पता नहीं कि सरकार ने वह समिति भी घोषित की है या नही की है। यदि समिति घोषित की है तो उस समिति की रिपोर्ट क्या है ? अगर रिपोर्ट आ गयी है तो उसके आधार पर गन्ना मूल्य घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं ? मान्यवर, मुझे यह भी भय है कि यह सरकार किसानों के साथ धोखा न कर दे ओर यह सरकार पिछले वाला मूल्य घोषित न कर दे। मान्यवर, मैं यह कह सकता हूँ कि यह सरकार केवल पाँच रुपये, बीस रुपये या पचास रुपये ही बढ़ायेगी। मुझे इस सरकार के प्रति संदेह है कि कहीं न कहीं किसानों को धोखे में तो नहीं रख दें और कहीं पिछले वर्ष वाला गन्ना मूल्य घोषित न कर दें। किसानों की माँग है कि कम से कम 300 रुपये से 350 रुपये तक गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाय। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, किसानों के कई प्रतिनिधियों के पत्र हमारे पास भी आये हैं और वह पत्र सरकार के पास भी आये होंगे। वह लगातार माँग कर रहे है कि जो गन्ना मूल्य निर्धारित करने वाली समिति है उसके रिपोर्ट के आधार पर इस प्रदेश में गन्ने का मूल्य घोषित किया जाय। मान्यवर, आज हम कार्य स्थगन के रूप में इस प्रश्न को लेकर आये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह प्रश्न लोक व्यवहार का है, अविलम्बनीय है और किसानों की समस्या का है। इसको स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा करायी जाय और तत्काल सरकार को निर्देश दिया जाय की सदन उठने से पहले गन्ना मूल्य घोषित करे।

गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि जो बात यहाँ पर रखी गयी है। वह कहीं न कहीं सदन को गुमराह करने वाली बातें रखी गयी हैं। मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है, उस आपत्ति के बारे में बाद में बात करना चाहूँगा। अगर हम किसानों के हितों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए कार्य प्रणाली को बेहत्तर बनाने की आवश्यकता होगी और मैं थोड़ा सा आकड़ा देना चाहता हूँ कि जो पहले की बात आपने उठायी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय नेता सदन को तथा धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी कैबिनेट को, पहली बार एक ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। कई सालों से जो चीनी मिलों पर 498 करोड़ रुपये का बकाया था और विशेष कर पिछले पाँच सालों का था। उसको एक झटके में किसानों के हितों को देखते हुए चीनी मिलों पर 498 करोड़ माफ किया है। (मेज की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सदन को गुमराह मत करें। पिछले वर्ष का कोई बकाया नहीं था। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 498 करोड़ रुपये के या मिलों का बकाया था या जो बकाया लोन था। (कई माननीय सदस्यगण एक साथ बैठे–बैठे बोलने प घोर व्यवधान)। मान्यवर, जो बात आपने कही हैं उसकी बात का उत्तर मैं दे रहा हूँ। उस बात पर भी आऊँगा। क्योंकि सदस्य द्वारा मुख्य विषय को नहीं कहा गया और ज्यादा ढंग से अलग बातों को रखा गया है। मैं उन बातों का जिक्र करना चाहूँगा। अगर सरकार 498 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करती तो आज एक भी चीनी की मिल चलने की स्थिति में नहीं होती। मान्यवर, उसका कारण यह है कि कोई बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं था। वह नगेटिव नेटवर्किंग में चले गये थे। यह महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको इन्होंने नहीं कहा है। मान्यवर, यह सरकार का एक साहसिक निर्णय था कि पाँच सौ करोड़ रुपये का भुगतान किया या समाप्त कर दिया या जिसे सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। मान्यवर, नम्बर–2, दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पिराई सत्र दिसम्बर से शुरू होता है और मार्च तक समाप्त होता है और मार्च में यह सरकार कब अस्तित्व में आई इससे आप लोग विदित हैं और जो 1209 करोड़ और 136 करोड़ का बकाया पिछली सरकार का था, उसको भी हम लोगों ने सरकार के खाते से जो किसानों का बकाया था उसका भुगतान किया। (व्यवधान) मान्यवर, कोई भी जनप्रतिनिधि, सदन का मेम्बर सदन को गुमराह करता है तो उससे बेहतर है कि हकीकत को जानने के लिए उनको धैय को अख्तियार करना चाहिए। (व्यवधान) मैं उन बातों को पहले कहना चाहता हूँ जिनको आपने पहले उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से हमारे सदस्य आते हैं या हमारे पूर्व गन्ना मंत्री जी हैं जिनको स्वाभाविक रूप से हरिद्वार के बारे में चिन्ता होना स्वाभावित है वहाँ पर भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर अधिकतर चीनी मिलें प्राईवेट हैं और यह मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली बार हुआ है और काँग्रेस कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि लगभग 25 करोड़ रुपये का जो बकाया किसानों का प्राईवेट चीनी मिलों पर था सरकार ने उनको गारण्टी दी और बैंक से लोन दिलवाया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो वर्ष 2003 में भी हुआ है।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आप गन्ने का मूल्य बता दें।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आप प्राईवेट मिलों की चिन्ता ज्यादा करते हैं, आप तो सारी मिले प्राईवेट में दे रहे थे, अगर जनता ने विरोध नहीं किया होता तो आप पी0पी0पी0 मोड में दे देते।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट को छोड़कर सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक तथा गन्ना मंत्री को सुनने के पश्चात् वे इस सूचना को अग्राह्य करते है।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर आकर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माामले नियम–58 में थे, अगर उन मामलों को दो–दो मिनट के लिए लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यह विधायिका से सम्बन्धित विषय है। मुझे मजबूरी में 'वेल' में बैठना पड़ेगा। कृपया इस विषय को लेने का कष्ट करें। मान्यवर, यह विधायिका में निहित जनहित का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने नियम–310 के अन्तर्गत सूचना लगायी तो उसमें स्वीकार नहीं हुई इसके बाद मैंने नियम–58 में लगायी तो वह नियम–58 में भी स्वीकार नहीं हुई है। मान्यवर, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है एक विधायक 24 दिन तक लगातार सड़क पर बैठा है और उस प्रश्न को इस तरह से इग्नोर कर दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि यह विधायिका के हित में नहीं हैं। चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के हित में नहीं है। मान्यवर, यदि नहीं लिया जाता है तो मुझे मजबूर होकर विधायिका की रक्षा के लिए "वेल" में बैठना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें निर्णय हो चुका है।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना सोमवार को दे दीजिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य अपनी बात कहते हुए 'वेल' में बैठ गये।)

श्री राजेश शुक्ला

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मान गये है।

(माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य अपने स्थान पर चले गये।)

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वाविदित है कि जल निगम और जैसा विभाग जोकि जीवन से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विभाग है। आज इस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण अपनी मांगों को लेकर दिनांक 16–11–2012 से तालाबंदी कर हड़ताल पर हैं। परन्तु उनकी मांगों पर कोई विचार नही किया गया। मान्यवर, 4 दिसम्बर से पूरे प्रदेश के कार्मिकों द्वारा तालाबंदी कर कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। निश्चित रूप से पेयजल निगम से सम्बन्धित जो भी योजनाएं हैं, वे सभी प्रभावित हो रही हैं। वैसे भी हमारा प्रदेश पर्वतीय प्रदेश है और प्रदेश में प्रत्येक घर तक पानी पहुँचाना आज भी एक समस्या बनी हुई है। इसमें पेयजल निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऐसी स्थिति में इनकी समस्या का निस्तारण किया जाना चाहिए। मान्यवर, वे एक सूत्रीय मांग को लेकर आन्दोलन पर है। जब आप उनको सभी सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, टी0ए0 और डी0ए0 दे रहे है और सेवानिवृत्ति के बाद आप उन्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो ऐसे में उनकी मात्रा एक ही मांग है कि उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाय और इसमें सरकार द्वारा जो तीन बिन्दुओं पर वार्ता दिनांक 2–12–2011 को हुई थी, उन तीनों बिन्दुओं पर समझौता भी हुआ था, परन्तु आज तक उस समझौते का सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। जोकि निश्चित रूप से अपने आप में बहुत गम्भीर समस्या है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व की है और तात्कालीक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार आज ही इस पर अपना निर्णय यहाँ पर सुना दें जिससे कि जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी इस महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े हुए हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं वे अपने कार्य पर लौटें और सारे कार्य को संभालें।

सदन की अधिकारी दीर्घा में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। पिछले सदन में भी मैंने कहा था, यहाँ पर अधिकारियों को रहना चाहिए, जो अधिकारी बैंच यहाँ पर दिख रही है, कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है मात्र सदन के ही अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। यह स्थिति बार–बार आती है। इतना बड़ा सदन है, सारी चीजें इस समय रूक जाती हैं। और तो और जिलों में जो कर्मचारी होते है, सदन के दौरान उनकी छुटिटयाँ तक कैंसिल कर दी जाती हैं। यह तो बहुत बड़ा मजाक है, चीफ सैक्रेटरी नहीं भी आ पा रहे हैं, तो सारे सैक्रेटरीज को यहाँ होना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी प्रदेश की बातें हमारे सदस्यगण उठा रहे हैं, चाहे कही के भी सदस्यगण उठा रहे हों, इधर या उधर, इसका संज्ञान कौन लेगा ? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने चीफ सैक्रेटरी को विशेष रूप से कहा, यह सही है कि जिस समय जिस विभाग से सम्बन्धित विषय यहाँ पर आता है, उस समय पूरा विभाग, केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा विभाग यहाँ पर होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में सख्त निर्देश दे, चीफ सेक्रेटरी को। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी निवेदन कर रही हैं कि आप निर्देश दे दें। आप किसको निर्देश देंगे ? सरकार में ये बैठी है। आप तो सरकार को निर्देश देंगे और सरकार कह रही है कि आप निर्देश दें। मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई, वह अपने आप में बहुत गम्भीर बात है। मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ कि भविष्य में यह स्थिति सामने न आए। जितने भी सम्बन्धित प्रमुख सचिव है, सचिव हैं और विभाग के अधिकारी है, वह निश्चित रूप से जब हाऊस चलता है तो हाऊस चलता है तो हाऊस में उपस्थित रहें। (मेजो की थपथपाहट)

कार्य–स्थगन की सूचनाएं (क्रमांगत)

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य विधान सभा श्री हरबन्स कपूर जी और माननीय विधायक श्री गणेश जोशी जी ने नियम–58 की जो

सूचना दी है, उस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ कि पेयजल निगम की जो हड़ताल चल रही थी। विगत कई वर्षों से उसके कर्मचारी यह मांग करते आ रहे थे कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाय, उसमें जो इंदु कुमार कमेटी गठित हुई थी, उसके माध्यम से जो रिपोर्ट आयी है, उसमें यह बात आयी कि इस तरह के कई और निगम भी हैं, वे भी यह मांग करेंगे, इसलिए यह रिपोर्ट तो अभी निगेटिव आयी है लेकिन उनकी जो अन्य मांगे थी, जो उनके वेतन का मामला था, उनकी पेंशन भुगतान का मामला था, उस पर सरकार ने यह तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल बैठक हुई, माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से और हमारे माध्यम से बैठ कर इस विषय पर त्रिपक्षीय वार्ता हुई, उसमें यह तय हुआ कि हमारा जो पेयजल निगम है, वह जिस वजह से घाटे में चल रहा था, उस घाटे को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको सेंटेज कम मिलता था, साढ़े बाहर प्रतिशत सेंटेज था। सरकार ने उसको बढ़ा कर 21.5 प्रतिशत कर दिया है ताकि जो घाटा होता था, उस घाटे को पूरा किया जा सके। जहाँ तक कामों का सवाल है तो काम भी पेयजल निगम को दिये गये जाएंगे, उस पर सरकार एग्री हो गयी है। इस वजह से सारे कर्मचारी, मुझे आने में विलम्ब इसीलिए हुआ, क्योंकि हमारी बैठक चल रही थी। जो तालाबंदी थी, वह तालाबंदी वे विड्रॉ कर रहे हैं और वे सहमत हो गये है कि जो 21.5 प्रतिशत सेंटेज बढ़ा है, उसके हिसाब से काम की गुणवत्ता और काम को बढ़ाने के हिसाब से उनके पदाधिकारियों ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि काम के मामले में हम कोई कम्प्रोमाईज नहीं करेंगे। हम काम करके दिखाएंगे। इस पर सहमति बनी है और यह मामला अब पूर्ण रूप से निस्तारित हो चुका है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, क्या हड़ताल समाप्त हो गई है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जी हाँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यव, एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है कि जो सेंटेज हम अभी दे रहे थे, वह आपने ठीक कहा कि अब इनको भी देंगे। लेकिन क्या हमारे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी इफिसियेंट नहीं है या उनमें कार्य क्षमता नहीं है जो हम अभी भी उत्तर प्रदेश को ही यहाँ के सारे काम दे रहे हैं। हम क्यों नहीं पूरा काम अपने प्रदेश के विभागों को दे रहे हैं, जबकि हमारे पास इतने डिपार्टमेंट हैं और इंजीनियर्स की एक लम्बी फौज उपलब्ध है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सरकार ने इस मामले में बहुत गम्भीरता से विचार किया है और निर्णय लिया है कि अन्य एजेंसियों के सापेक्ष पेयजल निगम को अधिक काम दिये जायेंगे। ताकि जो सेंटेंज की व्यवस्था आज आई है, अगर हम सेंटेंज को 21.5 प्रतिशत काम को देने की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पेयजल निगम को अधिक से अधिक कार्य दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरबन्स कपूर एवं माननीय पेयजल मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ सिडकुल पंतनगर द्वारा एसोटेक और सुपरटेक का एक ज्वाइंट बैंचर है, उसे दिनांक 08 जून, 2006 को 47.27 एकड़ भूमि जिसकी कीमत 69 करोड़ 74 लाख, 66 हजार, 831 रुपये है। उसमें से उनके द्वारा सिर्फ 20 करोड़ रुपये दिये गये और बाकी रकम एक महीने के अन्दर सरकार के पास जमा करानी थी, 07 जुलाई, 2006 तक यह रकम जमा होनी थी लेकिन आज 6 साल बीत जाने पर भी यह राशि सरकार के खाते में जमा नहीं कराई गई और उस कम्पनी ने उस भूमि पर मेट्रोपोलिस सिटी, फाइव स्टार होटल फ्लैट और दुकानें बनाकर बेच दी गई है। आज 6 साल बाद भी उस कम्पनी पर 50 करोड़ 76 लाख रुपया बकाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है या नही, सरकार यह भी बताये कि इस पैसे को लेने के लिए उसने क्या किया और किन परिस्थितियों में वह जमीन को बेच रही है। मान्यवर, वहाँ पर कब्जे भी दे दिये गये हैं, जब कि वह एक डिफाल्टर कम्पनी है, फिर भी पता नहीं उसके ऊपर क्या मेहरबानी है कि सरकार उस कम्पनी को वहीं सिडकुल में फिर से जमीन देने की योजना बना रही है और तो और पिछली सरकार के दौरान जब हम पंतनगर यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेम्बर थे तो 50 एकड़ की कीमती जमीन को हाईटैक मण्डी बनाने के लिए दी थी वह भी अधिकारियों की सांठ–गांठ से इसी तरह की संस्था को दी जा रही है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस पैसे को सरकार वसूलने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है और इसके लिए क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की गई, यदि की गई तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और एक डिफाल्टर कम्पनी को कैसे फिर से जमीन दी जा रही है, इस विषय पर भी सरकार से उत्तर चाहूँगा। इस प्रकरण पर मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सिडकुल पंतनगर में एसोटेक एवं सुपरटेक एक ज्वाइंट बैंचर है, को 47.27 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसकी कीमत 69 करोड़, 74 लाख 66 हजार, 831 रुपये है। जिसके एसोटेक और सुपरटेक द्वारा लीज अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार 35 किश्तों में जमा किया जाना था तथा विलम्ब की स्थिति में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन पर ब्याज की गणना करते हुए किश्त जमा कराया जाना था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि पहले मूलधन पर ब्याज की कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि समायोजित की जायेगी। अभी तक एसोटेक और सुपरटेक संयुक्त उपक्रम द्वारा उक्त के सापेक्ष्ज्ञ कुल 56 करोड़, 20 लाख्वा 11 हजार, 129 धनराशि जमा कराई जा चुकी है। मान्यवर, जिसमें से पूर्व भूमि मूल्य के रूप में 38 करोड़ 43 लाख, 32 हजार, 741 तथा विलम्ब स्वरूप मूलधन पर ब्याज के रूप में 17 करोड़, 76 लाख, 78 हजार, 788 जमा कराया जा चुका है। अब संयुक्त उपक्रम द्वारा भूमि मूल्य की अवशेष धनराशि 31 करोड़ 31 लाख, 34 हजार, 91 जमा करायी जानी शेष है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विलम्ब पर 18 प्रतिशत ब्याज का प्राविधान है तथा सम्बन्धित फर्म से धनराशि ब्याज सहित वसूल की जा रही है। धनराशि जमा कराये जाने हेतु फर्म के साथ समय–समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसके क्रम में फर्म द्वारा रुपया 20 करोड़ की धनराशि 31–12–12 तक जमा कराये जाने का लिखित प्रत्युत्तर दिया गया है तथा मंदी के दृष्टिगत शेष धनराशि को 12 किश्तों में ब्याज सहित जमा कराये जाने का अनुरोध किया है। पूर्ण धनराशि 31–12–2000 तक जमा करवाये जाने की कार्यवाही की गयी है कि 31–12–12 तक सब धन जमा करें, लेकिन वो अभी अपना एक्सटेंशन चाहते हैं कि हम इतना पैसा जमा करेंगे। 18 प्रतिशत ब्याज पहले ही लिया जा रहा है। यह सही है, अभी तक 31 करोड़ 31 लाख, 34 हजार रुपये प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस समय यह शर्त रखी गयी थी जब सिडकुल ने इसकी बिड निकाली, उसमें यदि यह बताया गया होता कि इसको 10 साल तक या 08 साल तक या 06 साल तक जमा करना है 18 प्रतिशत लेट ब्याज देकर तो शायद इसमें और कम्पनियां भी भाग लेती है। तब यह 04 हजार 91 रुपया वर्ग फिट न बिकती। तब तो आपने यह कहा कि एक माह के अन्दर पूरी धनराशि देनी है और अब जो कम्पनी लगतार 06 साल से सरकार को धोखा दे रही है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं हुई उल्टा उसको और जमीन आप देने जा रहे हो। यह गम्भीर प्रश्न है, इस पर जवाब आपकी ओर से आना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सही है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्राईवेट काम कर रहे हैं हरिद्वार में भी, देहरादून में भी, रुद्रपुर में भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। पैसा यथासमय जमा कराया जाना चाहिए था, अन्यथा दंडित किया जाना चाहिए था। मैं इस सम्बन्ध में और स्पष्ट आख्या प्राप्त कर, कि क्या हो रहा है और जैसा कि आपने कहा और जमीन देने की बात है, ऐसे संज्ञान में नहीं है। इसके सम्बन्ध में उत्तर भी है मेरे पास, खैर इससे प्रश्न उठता नहीं है, इसलिए मैं उसका उत्तर नहीं दे रही हूँ। इस पर कार्यवाही कर आपको अवगत कराया जायेगा, सदन को अवगत कराया जायेगा।

*कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो मण्डी की 50 एकड जमीन दिये जाने की बात कही, ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरी नियम–310 की सूचना को नियम–58 में स्थानान्तरित कर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं एक ऐसी समस्या को पूरे सदन के सामने रख रहा हूँ जो पूरे सदन से सम्बन्धित हो सकती है। सरकार ने अभी बेरोजगारी भत्ता 09 नवम्बर को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने मांग कि 30 तारीख तक आपने क्या दिया है, 30 नवम्बर तक क्योंकि इधर सदन चलने वाला था। तो जो आंकड़े आये हैं मान्यवर, वो बहुत डरावने आंकड़े आये हैं। 07 लाख 03 हजार 599 बेरोजगार हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और 834 लोगों को अभी तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अल्मोडा में 63 हजार 377 और कुल मिला है 102 लोगों को, जिसका प्रतिशत है 16.15 प्रतिशत, बागेश्वर में 24 हजार, 121, सिर्फ 29 लोगों को मिला है, ऊधमसिंह नगर में 68 हजार 582, सिर्फ 56 लोगों को मिल रहा है। पिथौरागढ़ में 50 हजार 421, सिर्फ 110 लोगों को मिल रहा है। चम्पावत में 18 हजार 526, 12 लोगों को मिल रहा है। नैनीताल में 70 हजार 151, सिर्फ 120 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। रूद्रप्रयाग में 27 हजार 681, सिर्फ 30 लोगों को मिल रहा है। पौड़ी में 66 हजार 486, सिर्फ 60 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मान्यवर, टिहरी में 52 हजार 182 में से सिर्फ 47 लोगों को यह भत्ता मिल रहा है। उत्तरकाशी में 36 हजार 315 में से सिर्फ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षा नहीं किया।

42 लोगों को मिल रहा है। देहरादून में 01 लाख 31 हजार 602 में से 137 लोगों को मिल रहा है। हरिद्वार में 7 हजार 257 में से सिर्फ 53 लोगों को मिल रहा है। चमोली में 33 हजार 898 में सिर्फ 26 लोगों को मिल रहा है। मान्यवर, यह स्थिति सिर्फ मेरे क्षेत्र की नही हो सकती है मेरे जिले की नहीं हो सकती है कामोवेश हर सदस्य के जिले की हो सकती है। इसका टोटल प्रतिशत 0.11 आया है, जो बहुत ही कम है। सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम को लिया है हम इसके लिए आपकी तरीफ भी कर रहे है और आपको बधाई भी देते है। हमारी सरकार ने नहीं किया कोई बात नहीं। हम यह भी नहीं कहना चाहते है कि हमने किया अपने किया वाहवाही लूटें नहीं लूटें। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने यह लागू नहीं किया। लेकिन जिस किस्म के आंकड़े आ रहे है। ये आंकड़े बेरोजगारों के साथ खुलेआम धोखा है। इसलिए मैं धोखा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि आपने इतने कठोर नियम बना दिये हैं यह अभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एक हमारे साथी मुझसे कह रहे थे कि आंकड़े अजय भट्ट जी ने गलत दिये हैं और उनको उत्तराखण्ड से माफी मागनी चाहिए। माफी मैं नहीं माँगूगा जो यह कह रहे है कि हमसे माफी माँग उनको माफी माँगनी चाहिए। ये जो आकड़े हैं, ये प्रभारी उप निदेशक सेवायोजन निदेशालय, देहरादून ने दिये हैं। ये आंकड़े सरकार की तरफ से जिलेवार आये हैं। ये आकड़े मेरे घर के नहीं है।

मेरा यह कहना है कि बेरोजगारी भत्ता अगर दे रहे हैं तो नियमों को शिथिल करिये। आपने कह दिया कि इस योजना का लाभ 25 से 35 साल के लोगों को मिलेगा बिल्कुल ठीक है। प्रमाण–पत्र आप माँग रहे हैं हाई स्कूल का, लेकिन हाई स्कूल वालों को इसमें रख नहीं रहे है। कक्षा आठ वालों को भी आप इसमें रख नहीं रहे है। पंजीकृत जितने हैं उनका तो सवाल ही नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि हाई स्कूल और कक्षा आठ को भी इसमें शामिल करें और पंजीकृत लोगों को भी कोई न कोई कौशल दिलवायें। जो अनपढ़ है वह भी कुछ कर सकता है टायर का पंचर लगा सकता है, ऐसा नही है कि वह नहीं सीखे। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये आंकड़े आते हैं, बिल्कुल गलत हैं। मैं एक चीज और बता रहा हू कि इसमें मिलेगा कैसे इसमें आ ही नहीं सकता कोई, जैसे आज मैं हाई स्कूल में हूँ, मैंने हाई स्कूल के प्रमाण–पत्र से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत करवा लिया अब मैं चार साल बाद बी0ए0 में जाता हूँ जिस समय बी0ए0 या बी0एस0सी0 करता हूँ उस समय मुझे पंजीकरण नवीन कराना पड़ेगा। वह आगे के चार सालों तक मान्य होगा और चार साल मुझे फिर वेट करना होगा। अब मैंने बी0ए0 कर लिया बी0ए0 का कुछ मिला नहीं, फिर मैंने एम0ए0 कर लिया, एम0ए0 का सार्टिफिकेट लेकर फिर गया मैं कि मेरा एम0ए0 का रजिस्ट्रेशन मे नवीनीकरण कर दीजिए। वह नवीनीकरण इस एक्ट के आधार पर नहीं माना गया है, उसको चार साल

फिर इन्तजार करना पड़ेगा। आपने जो धारा–5 बनाई है उसकी बानगी दिखाता हूँ, चार वर्ष की अवधि की गणना, अन्तिम शैक्षिक अर्हता के आधार पर पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। अन्तिम शैक्षिक अर्हता इस पर सभी सदस्य जरा गौर फरमायेंगे। अन्तिम शैक्षिक अर्हता इसका मतलब क्या है कि हाई स्कूल के बाद इण्टर लगाता हूँ तो इण्टर के बाद वह चार साल गिने जायेंगे। इण्टर के बाद में बी0ए0 लगाता हूँ तो फिर चार साल गिने जायेंगे। एम0ए0 लगाता हूँ तो फिर चार साल गिने जायेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है यह पूरे प्रदेश का मामला है, इसलिए इसको बहुत गम्भीरता से देखने की बात है। अब इसकी धारा–6 बना दी इसमें है कि दो साल बाद रोजगार मिलने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा यह भत्ता, ठीक बात लिखी। अगर रोजगार दो साल बाद नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे, ये तो कहीं आपने लिखा ही नहीं है। आपने एक्ट में यह भी प्रोविजन कर दिया है कि हम इनको कहीं भी बुला सकते हैं। अगर ये बुलाने पर नहीं आयेंगे जिनको भत्ता दे रहे हैं तो इनका भत्ता स्वतः समाप्त हो जायेगा। पर्वतीय क्षेत्र में ही नहीं तराई क्षेत्र में भी वही हालात है, आपने कहा, दूर दराज के गाँव में पढ़ाने जाइये, माना मेरे क्षेत्र को कोई व्यक्ति रानीखेत से सिलोर में जाता है तो उसका 30 रुपये रोज का, 15 रुपये आने और 15 रुपये जाने का लगेगा। आपने कह तो दिया , 900 रुपया तो मेरा महीने में आने–जाने में खर्च हो जायेगा। मान्यवर, मुझे केवल पाँच सौ रुपये मिला। अगर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने में नौ सौ रुपये का खर्च आता है आप मात्र पाँच सौ रुपये दे रहे हैं और मेरे वहाँ न जाने पर पाँच सौ रुपये भी शून्य हो गया। इस प्रकार आपने यह कितना कठिन बना दिया है उसमें मुझे एफिडविट लगाना है कि में जिन्दा हूँ, मैं कहीं से कोई भत्ता नहीं ले रहा हूँ और मैं बेरोजगार ही हूँ। इस प्रकार से मुझे एक एफिडेविट भी लगाने के लिए कोर्ट आना पड़ेगा। मान्यवर, जो फार्म है वह इतना कठिन है कि आम आदमी तो इस फार्म को भी नहीं भर सकता है। जो प्रारूप दिया है, उसमें लिख दिया गया है कि आवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में रोजगार हेतु किये गये प्रयासों का विवरण, कितनी बार आपने रोजगार हेतु प्रयास किया है। उसका विवरण भी देना है। आवेदन के परिवार की आय अनुलग्नक में अंकित प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें। मान्यवर, मुझे पहले आय लाना है, कितनी आय है, समस्त स्रोत, व्यवसाय यह सब निकाल रखा है। आवेदक के परिवार एवं माता–पिता की परिसम्पत्तियों का विवरण यानी सम्बन्ध क्या है परिवार के सदस्य का नाम, प्रकार कृषि है, अनावासीय है, व्यावसायिक है, सम्पत्ति का पता, ग्राम/नगर/जनपद। गाटा नम्बर।

मान्यवर, एक बेरोजगार आदमी पटवारी के वहाँ कहाँ जायेगा। अच्छे–अच्छे लोग वहाँ पर अपनी लाईन लगाये हुए होते है और फिर बेरोजगार को निकालना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है ओर वह सूचना बेरोजगार न देनी है यह भी देना है कि वर्तमान में बाजार मूल्य है। यह कैसा फार्म बना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मान्यवर, अब आया

भवन इसके बारे में भी फार्म में दिया हुआ है। आवेदक से सम्बन्ध, प्रकार में आर0सी0सी0/पक्का/अर्द्धपक्का/कच्चा और भवन का पता और भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन बना है और आच्छादित क्षेत्रफल और वर्तमान में बाजार मूल्य। यह एक बेरोजगार के लिए फाम्र है, जब वह इतनी सूचना लायेगा तक वह पाँच सौ रुपये पायेगा और इसके बाद चल सम्पत्ति वह सदस्य जिसके नाम से निवेशित किया गया है और आवेदन से सम्बन्ध और धनराशि और संस्था का नाम जहाँ निवेश किया है और प्रकार में बचत खाता, आर0डी0, एफ0डी0आर0, बाण्ड, बीमा, शेयर आदि। मान्यवर, वह तो बेरोजगार है। इसके पास ये चीजें कहाँ से आयेंगी। यह फार्म किसने बना दिया है। सरकार को इस सारी चीजों की ओर देखना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता को जाने। केवल टी0वी0 में कहने से नहीं होगा कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता लागू कर दिया गया है। मान्यवर, इसमें बेरोजगार तो खुश हुआ होगा, लेकिन जब उसको चार साल इंतजार करना पड़ेगा तो उसको भी पता चल जायेगा और भत्ता लेने में सारी सारी हवा निकल जायेगी। मान्यवर, यह कोई छोटा–मोटा प्रश्न नहीं है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, जो मैंने यहाँ पर उठाया है। यह पूरे सदन से सम्बन्धि प्रश्न है ऐसा नहीं कि प्रश्न मेरा है। मान्यवर, सरकार यह कहेगी कि हमने 9 नवम्बर से चालू किया है और इसको आगे करेंगे। अगर आपने इस फार्म में संशोधन नहीं किया तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए यह मामला मैंने सदन में उठाया है। मान्यवर, इस प्रश्न को मैंने नियम–310 में रखा था, मैं चाहता हूँ कि यह सदन का महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, ऐसे विषयों पर सदन में चर्चा अवश्य होनी चाहिए। आपके आदेश से अभी तक सदन में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, सदन का हर सदस्य इसमें भाग लेना चाहेगा, संशोधन करने के नियत से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सरकार का पूरा ढोंग कहा जायेगा और यह राजनैतिक सोच कहा जायेगा। अगर सरकार इसको ठीक करती है तो सरकार के साथ हम कन्धे से कन्धा मिलकर साथ देने के लिए तैयार है। मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सारे नियम को निरसित कर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो नियम–310 पर सूचना दी थी आपके द्वारा नियम–58 पर ग्राह्यता पर स्वीकार किया। इसकी ग्राह्यता पर उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, जो सेवायोजन कार्यालय है उसमें बेरोजगारों की संख्या लगभग 7 लाख है। लेकिन प्रदेश के अन्दर इससे ज्यादा होंगे, जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं किया है। इस रूप में देखा जाय तो 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। अगर यह बेरोजगारी भत्ता ही है तो उन 8 लाख लोगों को क्यों सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यदि यह बेरोजगारी भत्ता है तो सरकार आश्वस्त करे और जनता को बताये।

मान्यवर, जो पढ़े–लिखे लोग हैं हम केवल उन्हीं को ही देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे पास सरकार के आंकड़े है, जो इस बार सरकार के बजट में आया जिसमें उन्होंने बताया कि सेवायोजन कार्यालय में जो पंजीकृत होने की रफ्तार है वह 2 लाख बेरोजगार प्रतिवर्ष पंजीकृत हो रहे है, मेरे पास एक साल का विवरण है, यह 1–1–2011 से 31–12–11 तक का आंकड़ा है, इसमें उन्होंने अल्मोड़ा में 15 हजार 5, नैनीताल में 19 हजार 316, पिथौरागढ़ में 12 हजार 44, ऊधमसिंह नगर में 20 हजार 347, बागेश्वर में 6 हजार 287, चम्पावत में 5 हजार 18, देहरादून में 31 हजार 309, टिहरी में 16 हजार 130, उत्तरकाशी में 9 हजार 722, हरिद्वार में 26 हजार 931, पौड़ी में 18 हजार 819, गोपेश्वर में 10 हजार 659, रूद्रप्रयाग में 7 हजार 310। मान्यवर, एक साल में 1 लाख 96 हजार लोग पंजीकृत हुए है, तो एक साल की स्पीड लगभग इतनी है और जो बेरोजगारी भत्ता देने की स्पीड जो है वह भी सरकार की तरफ से आयेगा कि कितना दे रहे है, तो 2 लाख प्रतिवर्ष जुड़ रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता कितनों को दे रहे हैं यह स्पष्ट हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं अभी सरकार के आँकड़े ले तो अभी जो हाईस्कूल से कम के हैं ये वर्ष 2010 तक के आँकड़े हैं यह 59 हजार 270 है, वर्ष 2010 कक बाद बढ़े होंगे ओर जो हाईस्कूल उत्तीर्ण हैं वे 1 लाख 16 हजार 327 हैं, यानी लगभग ये दो से ढाई लाख पहले से ही सरकार ने बाहर निकाल दिये, कहा कि इन पर हम कन्सीडर नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाईस्कूल या उससे कम वाले लोग हैं, ये वे आँकड़े हैं जो पंजीकृत हैं वे पहले ही निकल गये हैं और जो पंजीकृत नहीं है वह इनसे ज्यादा होंगे। मान्यवर, स्थिति यह है कि आपने कहा कि 25 और 35 वर्ष के बीच में मिलेगा, आपने कहा कि पूरे विचार की आय 12 हजार 500 होनी चाहिए, आपने कहा कि एक परिवार में 3 लोग बेरोजगार हैं तो एक को ही मिलेगा, तो इस सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई कि एक घर में यदि तीनों लेना चाहते हैं तो कैसे होगा, आपने कहा कि एक को मिलेगा, फिर उससे एफिडेविट माँगेंगे कि घर से लिखवाकर लाओं 'नो ऑब्जेक्शन' कि बड़े को मिलेगा या छोटे को मिलेगा। तो यह एक बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ है, आप बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए आप तय करें कि हम रोजगार देंगे, यह सबसे बड़ी बात है कि आप रोजगार दें। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विषय है कि इस प्रदेश की जनता भी देख रही है कि इस सदन के अन्दर जो सरकार बेरोजगारी भत्ते के लिए जोर शोर से कह रही है और हमने बहुत बड़ा काम किया है तो वह भी देखना चाहती है कि इस पर सरकार का जवाब क्या है इस विधान सभा के आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार स्पष्ट करे कि दो लाख की संख्या बढ़ रही है और बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक वर्ष कितने को देंगे, यह निश्चित है क्या इसलिए यह विषय अविलम्बनीय है, लोक महत्त्व का है, तात्कालिक है इसलिए मैं चाहूँगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर सबको चर्चा करने के लिए कहें, तब इस पर निर्णय होगा।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने जो आज यहाँ पर कहा है, माननीय श्री अजय भट्ट जी ने जो आँकड़े प्रस्तुत किये है कि 4 लाख्या 3 हजार 509, तो जो लोग सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन कराते हैं तो सरकार ने सह रोजगार भत्ता देने का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से हम यह काम करेंगे, यह सरकार की मंशा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने उत्तराखण्ड के शिक्षित बेरोजगार को रोजगार श्रम और बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2012 दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को प्रख्यापित की गई थी, नवम्बर, 2012 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस योजना का विधिवत् आरम्भ किया गया था, रोजगार सह कौशल विकास भत्ता के लिए पंजीयन अभ्यर्थियों में से वही अभ्यर्थी पात्र हैं जो इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तथा जिनको अन्तिम शैक्षिक योग्यता में पंजीयन कराते हुए 4 वर्ष पूर्ण हो गये हों तथा जो 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हों। मान्यवर, अभ्यर्थी की समस्त स्रोतों से आर्थिक वार्षिक आय 30 1 लाख 50 हजार से अधिक न हो और एक परिवार से एक ही व्यक्ति को यह सह कौशल विकास रोजगार भत्ता दिया जायेगा। मान्यवर, योजना आरम्भ होने की तिथि से 30 नवम्बर, 2012 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कुल 3152 फार्म दिये जा चुके हैं, जिनमें से 952 फार्म भरकर कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 834 अर्थात् 88 प्रतिशत लोगों को भत्ते हेतु चयनित किया जा चुका है ओर 97 प्रकरण विचाराधीन है तथा 21 प्रकरणों को निरस्त किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों को आय प्रमाण–पत्र तथा अन्य विभिन्न नियमों को पूर्ण करने में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें सेवायोजन कार्यालय द्वारा यथासम्भव सहयोग किया जा रहा है। मान्यवर, भविष्य में तहसील तथा ब्लाक स्तर पर कैम्प आयोजित करके अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, इसमें मेरा सभी माननीय सदस्यों से विशेष निवेदन है कि यह नहीं योजना है इसे लागू हुए मात्र एक माह का समय हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि विपक्ष भी इसका समुचित प्रचार–प्रसार करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके और इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने कहा कि 18 प्रतिशत लोगों को दिया जा रहा है तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह 18 प्रतिशत आपका कैसे आ गया। जब 700000 लाख में से 834 लोगों को दे रहे हैं। यह 0.11 प्रतिशत आता है, यदि कम्प्यूटर है तो आप निकाल सकते हैं। यह 18 प्रतिशत इसमें कैसे आ रहा है। कुल पंजीयन है तो जिसको चार साल पंजीयन किये हो जायेगा उसी को यह भत्ता जायेगा। (व्यवधान)

श्री हरिश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जो संख्या आप बता रहे हैं वह कुल पंजीयन संख्या है। हमारी सरकार ने नार्मस तय किये हैं, उसके सापेक्ष हमारा प्रतिशत है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें सरकार भी गम्भीरता नहीं है, इसको पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है और देख रही है। इसमें सरकार गम्भीर नहीं है, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, इसमें आपका उत्तर आना चाहिए था, हाँ हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, हम इसमें सरलीकरण करेंगे, हम फाम्र को दुरस्त करेंगे, आपका उत्तर आना चाहिए था कि हम जो साल के बाद कह रहे है कि यदि रोजगार नहीं मिलता है तो दो साल के बाद यह स्वतः मिलेगा और यदि रोजगार मिल जाता है तो स्वतः ही यह भत्ता समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, आपका उत्तर आना चाहिए था कि अगर दो साल के बाद भी रोजगार नहीं मिलता है तो हम इसको आगे बढ़ायेंगे। आपने इसमें एक भी बिन्दु को ठीक ढंग से नहीं कहा है। इसमें साफ–साफ बात आनी चाहिए, यह सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर दे रहे हैं उनका मतलब नहीं है और ट्रेजरी बेंच में जो बैठे है, उनसे सब बेरोजगार पूछेंगे, इसमें मजाक का सवाल नहीं है। मान्यवर, और तो और आप जिस सीट पर बैठे है हम बहुत दिल से ह्रदय से आपका आभारी है और आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपके क्षेत्र में भी लोग आपसे पूछेंगे, इसलिए इसमें सारी चीजों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। मान्यवर, इसमें आपकी तरह से सरकार को कोई ऐसे स्पष्ट निर्देश जाने चाहिए। यह युवकों का मामला है, यह राजनीतिक का मामला नहीं है। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का कोई ऐसा डिसीजन या वक्तव्य आना चाहिए जो यहाँ के युवाओं के लिए हितकर और युवाओं को जो वास्तविक लाभ दिला सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य मदन कौशिक जी और माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, वर्तमान में श्रमिकों के वेतन का भुगतान केन्द्रीय अधिनियम "वेतन भुगतान अधिनियम 1936" की धारा–6 में की गयी व्यवस्थानुरूप नकद अथवा चैक अथवा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। मान्यवर, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की

धारा–6 के परन्तुक, जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि नियोक्ता कर्मचारी की सहमति से वेतन का भुगतान चैक के माध्यम से कर सकता है, ये क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में श्रमिकों के वेतन भुगतान को पारदर्शी बनाये जाने हेतु राज्य के बैकों के द्वारा चैक एवं ई–पेमेंट से और जहाँ बैंक की व्यवस्था न हो वहाँ पोस्ट आफिस के माध्यम से भुगतान किये जाने के लिए केन्द्रीय अधिनियम "वेतन भुगतान अधिनियम 1936" की धारा–6 में उत्तराखण्ड राज्य परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मान्यवर, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (केन्द्रीय अधिनियम सं0–4 वर्ष 1936) की धारा–6 इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दी जाय कि धारा–6 समस्त वेतन का भुगतान बैकों के चैक या तत्काल सकल भुगतान (रियल टाईम ग्रॉस सैटलमेंट) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अन्तरण (नेशनल इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर) अथवा इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा प्रणाली (इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस सिस्टम) के द्वारा अथवा पोस्ट चैक के द्वारा किया जायेगा। परन्तु यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी प्रकृति का है अथवा नियोजित व्यक्ति प्रवासी है और वह अपने अर्जित वेतन का नकद भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो सेवायोजक कार्यक्षेत्र में तैनात सहायक श्रम आयुक्त के पद से अनिम्न अधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात् सम्बन्धित नियोजित व्यक्ति को वेतन का नकद भुगतान कर सकेगा। वेतन भुगातन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 को उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है। विधेयक के खण्ड–1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है। विधेयक के खण्ड–2 में मूल अधिनियम की धारा–6 को उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विधेयक संशोधन मात्र है। अतः इसके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त विधायी शक्तियों की प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है। प्रस्तावित निधेयक संशोधन मात्र है। अतः इन संशोधनों के फलस्वरूप किसी प्रकार का वित्तीय भार अन्तर्ग्रस्त नहीं है। प्रस्तावित संशोधनों में आवर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, वेतन भुगतान उत्तराखण्ड (संशोधन विधेयक) 2012, जिसके उद्देश्य और कारण के बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया। यह मेरे तारांकित प्रश्न, जो पिछले सत्र में आया था, उसमें नेता सदन के द्वारा भी भरोसा दिलाया गया था कि मिनिम वेजेज को शीघ्र देश की राजधानी दिल्ली के बराबर कर देंगे और जो श्रमिक है, उनको चैक से भुगतान कराएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में यह संशोधन विधेयक

आया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी दूँगा। पिछले सत्र में जो नेता सदन ने यहाँ पर कहा था, उस पर कार्यवाही की है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इसमें, जैसा मैंने आज सुबह भी प्रश्न किया था, आम तौर पर श्रमिकों के हित को हम व्यापारियों से जोड़ देते हैं। जबकि सरकार भी प्रिंसिपल एम्प्लायर है, उसके पास भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रेक्ट में और ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, विधान सभा भवन, जहाँ हम सभी सदस्यगण बैठते हैं, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है, वहाँ भी बहुत सारे लोग ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं और उनका शोषण पूरी तरह से किया जा रहा है। आज भी जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे है, मैं उनसे पूछ कर आया हूँ कि क्या तुम्हारा पी0एफ0 काटा जाता है, क्या तुमको चैक से पेमेंट मिलती है ? लेकिन सभी कर्मचारियों का कहना है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका पी0एफ0 नम्बर भी है, उनको ई0आई0एस0 की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कोई चैक से भुगतान नहीं हो रहा है। 12–12 घन्टे काम कराने के बाद उनको तीन–साढ़े तीन हजार रुपये वेतन दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको जो महत्वपूर्ण कारण है, विधेयक को लाने के बाद भी इसका समाधान नहीं किया गया है। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि यदि कर्मचारी नकद भुगतान प्राप्त करना चाहेगा, तो उसकी मर्जी से उनको नकद भुगतान भी कर सकते हैं। मान्यवर, यदि कोई कर्मचारी काम करता है, वह अपने मालिक के अधीन काम करता है, किसी ठेकेदार के अधीन काम करता है, अगर ठेकेदार उससे सिर्फ एक पत्र लिखवा ले कि मैं नकद भुगतान चाहता हूँ, तो फिर इस अधिनियम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, लेबर लॉज के अनुसार भी दिल्ली जैसे शहरों में 90 प्रतिशत भुगतान चैक के माध्यम से होना चाहिए, यह निर्देश श्रम मंत्रालय द्वारा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अधिनियम में जो यह संशोधन है कि अगर कर्मचारी चाहेगा तो उसको नगद भुगतान भी किया जा सकेगा, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, वह तो कभी भी किसी से ऐसा पत्र ले लेगा। मैं चाहूँगा कि इसमें 90 प्रतिशत चैक से भुगतान होने का प्राविधान होना चाहिए, वैसे तो शत प्रतिशत चैक से भुगतान होना चाहिए। आज कल जीरो बैलेन्स एकाउण्ट खुल जाते हैं, एक अनपढ व्यक्ति भी एकाउण्ट खोल सकता है। ऐसी कोई बाध्यता या दिक्कत ही नहीं है कि कोई भी अपना एकाउण्ट ही नहीं खोल सकता। आपने कहा भी है कि जो बैंक में एकाउण्ट नहीं खोलना चाहता है, वह पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकता है। मैं नहीं चाहता कि यह किसी की मर्जी पर चले। इसमें सरकार पूरी तरह से संशोधन करे कि शत प्रतिशत लोगों को जो ठेकेदारी प्रथा पर कार्य कर रहे है, उनको चैक से भुगतान होगा। उनका प्रोविडेंट फण्ड उनको एलॉट किया जायेगा और आजकल तो सारी

चीजें ऑनलाईन हैं और यदि उनको एकाउन्ट नम्बर दे दिया जाता है और तो उनके मोबाईल में मैसेज आ जाता है। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, पूरे प्रदेश के श्रमिकों और शोषित समाज का मामला है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि संशोधन में इस चीज को जोड़कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो अभी दिल्ली की बात कही है, मैं स्वयं श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में दिल्ली गया था। वहाँ पर विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों ने भी यह बात उठाई कि चैक के माध्यम से मजदूरों का भुगतान होना चाहिए और उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की, कि उत्तराखण्ड सरकार ने इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया है। उन्होंने तो इस तरह की माँग की और हमने कैबिनेट में इसे फाईनल किया और विधान सभा में भी ले आये हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन जो क्लू छूट गया है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी अपनी सहमति से चाहता है कि मुझे नकद भुगतान दिया जाय तो....... (व्यवधान) शत–प्रतिशत नहीं तो 90 प्रतिशत तो भुगतान करवा दीजिये।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो विचार रखे हैं, उनके अनुसार सरकार संशोधन करेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इसे क्या इसमें जुड़वा भी दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012

(विधेयक संख्या..................वर्ष 2012)

(भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–6 का संशोधन

2\. वेतन भुगतान अधिनियम 1938 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 04 वर्ष 1936) की धारा–6 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"6 समस्त वेतन का भुगतान बैंको के चेक या तत्काल सकल भुगतान या राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण अथवा इलैक्ट्रानिक समाशोधन सेवा प्रणाली के द्वारा अथवा पोस्टल चैक द्वारा किया जायेगा;

परन्तु यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी प्रकृति का है अथवा नियोजित चाहता है तो सेवायोजन कार्यक्षेत्र में तैनात सहायक श्रम आयुक्त के पद से अनिम्न अधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात् संम्बन्धित नियोजित व्यक्ति को वेतन का नकद भुगतान कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्पति से स्वीकृत हुआ)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

*सहकारिता एवं राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–29 की उपधारा–7 में संशोधन के संदर्भ में, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। वर्तमान में राज्य में लागू सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–29 की उपधारा–7 में प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति के संदर्भ में एक वर्ष छः माह की समाप्ति से पूर्व प्रबन्ध कमेटी को पुनर्गठित करने की व्यवस्था है। हमने भारत सरकार द्वारा संविधान के (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप राज्य सहकारी समिति अधिनियम में एक नियमावली को संशाोधन करने की तैयारियों में लगने वाले समय को देखते हुए प्रशासक के निर्धारित कार्यकाल में छः माह बढ़ाने का निर्णय लिया है। मान्यवर, इसकी वजह यह है कि सहकारी समितियों के चुनाव, गठन, प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा कतिपय व्यवस्थायें निर्धारित की गयी है।, जिसके अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा लागू अधिनियम आदि में दिनांक 15 फरवरी, 2013 से पूर्व संशोधन किये जाने अपेक्षित है। मान्यवर, संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम , 2011 द्वारा सहकारी समियों के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैः एक तो प्रबन्ध समितियों का कार्यकाल 05 वर्ष निर्धारित किया गया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरा निर्वाचन के लिए एक विशेष अभिकरण का गठन किया जाना है। तीसरा प्रबन्ध समिति में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए एक स्थान तथा महिलाओं के लिए दो स्थान सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है। चौथा समिति से सदस्यों द्वारा सूचनााएं प्राप्त करना, अभिलेख देखना, शीर्ष समितियों का लेख विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना, राज्य स्तरीय समितियों के गठन समिति की आकस्मिक रिक्तियों को भरे जाने तथा प्रशासकों की नियुक्ति की एक समाज व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया हैं। प्राथमिक समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि ही केन्द्रीय व शीर्ष सहकारी समितियों की सामान्य निकाय का गठन करते है। मान्यवर, संविधान संशोधन के अनुरूप अभी राज्य में लागू अधिनियम में संशोधन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण नहीं हुआ है जबकि निर्वाचन से पूर्व उक्त कार्य पूर्ण किये जाने आवश्यक हैं ताकि संविधान संशोधन के अनुरूप पुनः निर्वाचन कराने की आवश्यकता न रहे। मान्यवर, सहकारी समितियों के यथास्थिति प्रशासक एवं कमेटी के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि "एक वर्ष छः माह" के स्थान पर "दो वर्ष" किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि नई निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उक्त प्रस्तावित विस्तार अवधि में समस्त अपेक्षित संशोधन कर लिये जायें। मान्यवर, हमने अभी संविधान संशोधन समिति की बैठक 27–11–2012 को सम्पन्न की है और जो केन्द्र सरकार की वैद्यनाथन समिति की संस्तुतियाँ हैं और राज्य सहकारी समियों को और अधिक स्वायतता दिये जाने की दिशा में भारत सरकार ने 97वां संविधान संशोधन किया है मान्यवर, यह संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2012 से लागू हो गया है। मान्यवर, चूँकि राज्य सरकार समितियों के निर्वाचन निष्पक्ष और पारदर्शी कराये जाने के लिए वचनबद्ध है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन भारत के संविधान 97वें संशोधन, 2011 के प्राविधानों के अनुरूप ही कराये जायेंगे। इसलिए मान्यवर, भारत का संविधान 97वें अधिनियम, 2011 के अनुरूप राज्य सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली को संशोधन करने की तैयारी में लगने वाले समय को देखते हुए प्रशासक के निर्धारित कार्यकाल को 06 माह अधिक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि सहकारी समितियों का कार्यकाल प्रभावित न हो।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा वर्तमान में लागू सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–29 की उपधारा–5 में कतिपय परिस्थितियों में प्रशासक या प्रशासक कमेटी के गठन की व्यवस्था को उप धारा–7 में प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति से 01 वर्ष 06 माह की समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की जो व्यवस्था है, उसमें संशोधन का आपने प्रस्ताव रखा है और इस धारा में जब पूर्व में पहले से डेढ़ साल

निर्धारित है तो अब इस समय सरकार को इतनी बड़ी क्या मुसीबत आ गयी जो उसको 06 माह बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गयी और 06 माह में कौन सी इतनी बड़ी आवश्यकता पड़ गयी कि इतना बड़ा संशोधन इस सदन में लाने की आवश्यकता पड़ गयी। जब बैद्यनाथ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यवस्था आपके पास है तो मैं समझता हूँ कि इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता इस समय नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस संशोधन के विरोध में जो मैं कह रहा हूँ मान्यवर, आप इस संशोधन को हटा कर पूर्व की भाँति डेढ़ साल कर दें तो बहुत अच्छा होगा और यदि इसमें ज्यादा ही दिक्कत है तो इस संशोधन को प्रवर समिति में रख देते हैं, उसका जो निर्णय आयेगा उसको बाद में देख लेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, अभी उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता समिति अधिनियम प्रभावी है। यदि हम इस अधिनियम में बिना संशोधन किये चुनाव कराते हैं तो हमें बाद में संशोधन के 97वें संशोधन के अनुसार दूसरी बार चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी इसमें आरक्षित पदों का भी प्राविधान होना है। महिला आरक्षण होना है, एस0सी0, एस0टी0 आरक्षण होना है, ओ0बी0सी0 है। अभी हमारे रूद्रप्रयाग जिला है वहाँ पर बैंक की स्थापना करनी है। बागेश्वर में इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इसको आप सर्वसम्मति से पारित कर दें।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप नये जनपदों के सृजन के लिए अधिनियम ला रहे है। मुझे लग रहा कि आप अपने और कार्यकर्ताओं को समायोजन के लिए ला रहे हैं। कुछ और लोगों को प्रशासक बनाने के लिए संशोधन लाय हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, बागेश्वर जिले में जिला सहकारी बैंक की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..................वर्ष 2012)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–29 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–29 की उपधारा (7) में परन्तुक सहित शब्द "एक वर्ष छः माह" के स्थान पर शब्द दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 खण्ड–2 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किये जाने का संकल्प

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार की तरफ से आ जाये कि हम घोषित कर रहे है तो मैं इसको वापस ले लूँगा। तो इसमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जो हम कर रहे हैं, जो घोषित कर चुके हैं उसी को बोलेंगे।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बने, इस सम्बन्ध में यह केवल इन्डीविज्वली प्रस्ताव मेरा नहीं है। जहाँ तक मैंने इस चीज को पढ़ा है आपकी भी यही इच्छा है, आप भी गैरसैंण में राजधानी बनने के एक कदम आगे बढ़े हैं आपने भी इस चीज को स्वीकार किया है। (सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग इससे परेशान लग रहे हैं कि हम राजधानी का संकल्प लेकर आये हैं। हम तो वापस ले लेंगे, आप घोषणा कर दीजिए। मान्यवर, आप जो भी बनाना चाहते हैं, हम उसको मान लेंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं बता दे। मान्यवर, जहाँ तक गैरसैंण का सवाल है पहले भी कहा था और हमारे भाई श्री प्रीतम सिंह जी भी बैठे हैं, उनकी तरफ से भी कोई प्रयास नहीं हुआ। यदि प्रयास किया होता तो सरकार को इस चीज का आभास होता कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती थी। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान)

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, कौन से प्रीतम सिहं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यू0के0डी0 वाले प्रीतम सिंह पंवार जी। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

शहरी विकास एवं पशुधन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, इसमें अगर मेरा नाम आया है तो मैं भी थोड़ा इसमें बोल लूँ। मान्यवर, हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि हमारी राजधानी गैरसैंण हो और हमने जब इस राज्य की लड़ाई लड़ी तो गैरसैंण केन्द्र बिन्दु है, उसको ही राजधानी घोषित की थी। मान्यवर, आज हम सरकार में हैं तो यह हमारी उपलब्धि है कि सरकार की एक कैबिनेट गैरसैंण में हुई और अब सत्र भी होगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यहाँ पर माननीय मैखूरी जी बैठे हैं उन्होंने भी कहा था कि राजधानी गैरसैण में हो, चाहे ग्रीष्मकालीन ही सही। मान्यवर, यह विषय दिनांक 19 नवम्बर, 1991 से चल रहा है, यह आज से नहीं चल रहा है। हमारे बीच में माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी भी बैठे है वह उस समय उत्तर प्रदेश में मंत्री भी थे और उस समय डा0 निशंक जी तथा श्री पूरन चन्द्र शर्मा जी भी थे। मान्यवर, उस समय उप शिक्षा निदेशालय का कार्यालय का शिलान्यास भी किया था और उस समय भी कहा था कि राजधानी गैरसैंण बने। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, यह सरकार गैरसैंण को लेकर गम्भीर नही हैं केवल जनता को गुमराह कर रहे है। मान्यवर, एक मंत्री जी का बयान आ रहा है कि उस समय मैं भाजपा के साथ था, जो भाजपा ठीक नहीं है। मान्यवर, यह जवाब उस मंत्री का है जो इस सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी है। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, आपकी तरह से भी आया है कि राजधानी गैरसैंण बने और उस क्षेत्र में माननीय सांसद जी की तरफ से भी आया है। आज इस सम्बन्ध में यू0के0डी0 के भी माननीय मंत्री जी कह रहे है की मन से चाहते है, यदि मन से चाहते तो सरकार के साथ गठबन्धन करने से पहले यह गैरसैंण राजधानी के बारे में कहती। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसलिए कृषि निदेशालय को पौड़ी ले जा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपको जो भी ले जाना है उसे गैरसैंण ले जायें। सरकार गैरसैंण की तरफ गदम तो बढाये। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, यह सरकार केवल गैरसैंण के ऊपर राजनैतिक करना चाहती है, कभी कहते हैं हम भवन बनायेंगे। मान्यवर, जब सरकार गैरसैंण में सब कुछ करना चाहती है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने में क्या कष्ट है। आपको इस चीज की घोषणा करनी चाहिए और मैं अपने इस निजी संकल्प को सरकार के समर्थन मे वापस ले लूँगा। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी माननीय सदस्यों की भावना जुड़ी है। मान्यवर, यू0के0डी0 के माननीय सदस्य की भावना इस विषय पर जिन्दा होगी तो इस विषय पर जरूर बोलेंगे। मान्यवर, हमारे माननीय ओम गोपाल जी तो [XXX] रहे है। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान) (हँसी) मान्यवर, मेरा कहना का मतलब यह है कि इस समय वह सदन के सदस्य तो नहीं है। मान्यवर, यह आपका मूल विषय है, कहीं न कहीं जनता के बीच में रहता है कि यह गैरसैंण में होना चाहिए।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं सरकार में हूँ और हमारी सरकार ने आज गैरसैंण के अन्दर जो जनभावना से अनुरूप कार्य किये हैं उसका चारों तरफ स्वागत हुआ है और जिन सदस्यों का आप उल्लेख कर रहे हैं वे आपकी सरकार में भी रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने तब नहीं किया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर हमने नहीं किया तो हम इधर बैठ गये और आप करना चाहते हैं तो बताये। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विषय है जिसे मैं प्राईवेट संकल्प के रूप में लाया हूँ, इस पर सारे माननीय सदस्य अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं और निश्चित रूप से यू0के0डी0 जिनकी मूल भावना शुरू से रही है, वह गैरसैंण के पक्ष में रही है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने भी इस चीज को बहुत जोर–शोर से कहा और और यह अलग बात है कि हमारे डा0 हरक सिंह रावत जी पहले कहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सम्बन्ध ठीक नहीं है इसलिए उस बात को आगे बढ़ाने के लिए कहींन कहीं इधर–उधर रखते हैं, इससे कोई बात नहीं लेकिन गैरसैंण सबके लिए ऐसा स्थान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने गैरसैंण के संकल्प पर बल देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सरकार इसकी घोषणा करे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो गैरसैंण का प्रश्न है, आप जो संकल्प लाये है, इसमें अच्छी तरह से हमारे माननीय श्री मदन कौशिक जी को, हमारे पूरे सदन को, हमारे सभी माननीय सदस्यों को और उत्तराखण्ड की जनता को पूरी तरह से विदित है कि यह संकल्प लिया गया और यह घोषणा की गई और स्वयं गैरसैंण में जाकर एक कैबिनेट की गई और यह भी तय किया गया कि वहाँ विधान भवन बनेगा और एक एम0एल0ए0 के लिए हॉस्टल तथा अधिकारियों के रहने के लिए भी स्थान बनाया जायेगा और इसका शिलान्यास 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सम्बन्धित क्षेत्र के लोग जो भी हमारे साथी जिसमें भागीदारी करेंगे सब जायेंगे, तो यह घोषणा भी है, घोषणा भी है, विधान भवन भी बनेगा, उसके शिलान्यास का भी कार्यक्रम होगा और कोशिश की जायेगी कि शीघ्र हो, पर्वतीय क्षेत्र में विधान भवन भी बाकायदा बनेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक सत्र होगा तो अपने आप हो गया, जो घोषणा की है वही बतायेंगे, वहाँ साल भर में एक सत्र किया जायेगा, इसलिए माननीय विधायकों के रहने के लिए, सरकार के लोगों को रहने के लिए, अधिकारियों के रहने के लिए व्यवस्था की जायेगी और विधान भवन बनाया जायेगा, यह घोषणा हो गई है और उसके लिए राशि भी निर्धारित कर ली गई है, 29–30 करोड़ रुपया जो लगेगा वह लगाया जायेगा, यदि और की आवश्यकता होगी तो और लगाया जायेगा यह घोषणा हो चुका है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और न हमें इसमें कोई भ्रम पैदा करना है, गैरसैंण के बारे में अभी निर्णय लिया गया है वहाँ की क्या परिस्थितियां होंगी, किस तरह इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे, उस दिन कैबिनेट की बैठक करने में ही काफी दिक्कतें हुई, तमाम सरकारी भवन हमें लेने पड़े, तो वहाँ की कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर आवागमन के साधन और चीजों की व्यवस्था करनी होगी, केवल हम घोषणा कर दें और कर न पायें, एक घोषणा सुनिश्चित है कि वहाँ विधान भवन बनेगा, वहाँ सत्र होगा, एम0एल0ए0 और अधिकारियों के रहने की जगह होगी यह इसका उत्तर है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर को दृष्टिगत रहते हुए अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि यदि वे ग्रीष्मकालीन राजधानी भविष्य में चाहे चार साल में बनायेंगे इसकी घोषणा कर दें कि हम बनायेंगे तो मैं इसको वापस ले सकता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक विधान भवन बनेगा, एक सत्र होगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक

मान्यवर, वहाँ पर विधान सभा होगी तो पाँच दिन का एक सत्र करके आ जायेगी। मान्यवर, चार महीने की राजधानी बनेगी या छः महीने की राजधानी बनेगी, यह तो बतायें। कम से कम वहाँ पर नियोजित विकास तो हो पाये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम नियोजित विकास का कार्यक्रम थोड़ी रोक देंगी। पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो, इसलिए जरूर करेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार की मंशा साफ नही है। सरकार की मंशा जनता के प्रति कहीं न कहीं गुमराह करने वाली है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से सरकार कहीं न कहीं इनकार कर रही है, इसलिए मैं अपने इस संकल्प पर जोर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प ''सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित की जाय''।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रताा एवं अविरलता बनाये रखने का संकल्प

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जल विद्युत परियोजनाओं और उनके सम्बन्ध में उपजे हुए मुद्दों पर मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया था। इसमें मेरा मकसद इस माननीय सदन का ध्यान प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई और हमारे राज्य के सबसे बड़े संशाधन के महत्व के ऊपर ध्यान आकर्षित करना था। मेरा मकसद था कि सरकार एक स्पष्ट जल विद्युत नीति तैयार करे, जिससे कि जो लोग जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर आपत्ति उठाकर बनी हुई परियोजनाओं का काम रूकवाने का प्रयास करते हैं, उनको कुछ संतोष हो सकें। हम पर्यावरण की परम आवश्कताओं के बीच में एक संतुलन स्थापित करते हुए विकास की एक सही दिशा की ओर कदम बढ़ा सकें। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार ने प्रयास किया होगा। मान्यवर, मैं विस्तार में अपने सुझाव और अपनी बात अपने संकल्प के प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत कर चुका हूँ और मेरी जिज्ञासा है कि सरकार ने जिन चीजों के ऊपर जो भी निर्णय लिये हों या जो नीति निर्धारित की हो वह आज इस संकल्प में सरकार के उत्तर के रूप में, उनके पक्ष के रूप में अंकित हो जायं तो शायद हमें चीजों के निस्तारण में आसानी होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के सहयोग से राज्य की गंगा एवं उसकी सहायक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नदियों की जल गुणवत्ता का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है। विश्लेषण आख्याएं नियमित रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश के अप स्ट्रीम में जल गुणवत्ता ''ए'' श्रेणी की है जोकि पीने योग्य है। ऋषिकेश में डाउन स्ट्रीम व हरिद्वार में जल की गुणवत्ता ''बी'' श्रेणी की है जोकि नहाने योग्य है। शहरों से जनित सीवरेज के शुद्धिकरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) की स्थापना का कार्य उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जाता है।

मान्यवर, राज्य में स्थापित उद्योगों द्वारा जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) की स्थापना की गई है। जिन उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख–रखाव समुचित प्रकार से नहीं किया जाता है, उसके विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। राज्य बोर्ड द्वारा 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्रदान की जाती है। 25 मेगावाट से 50 मेगावाट से जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस0ई0आई0ए0ए0) द्वारा एवं 50 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। इन अनुमतियों में सम्बन्धित द्वारा नदी में न्यूनतम उत्प्रवाह एवं जल गुणवत्ता बनाये रखने की शर्त आरोपित होती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा वन्य जीवों के वास स्थलों एवं वन्य जीवों के वास स्थलों एवं वन्य जीवों के आवागमन हेतु वाईल्ड लाईफ कोरिडोर्स को सुरक्षित रखने के प्रयास किये जाते हैं। कैचमेंट एरिया ट्रीटमैंट प्लान के अन्तर्गत वन्य जीव सुरक्षा व संरक्षण के सम्बन्ध में भी विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं एक बार पुनः इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूँगा, आपने जिन प्रयासों की जानकारी दी, वह प्रयास तो होते रहे हैं और लगातार एक व्यवस्था के अधीन है। हमें अपनी नीति निर्धारित करते समय इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो विरोध के स्वर पर्यावरण के नाम से उठ रह हैं, वह स्वर संतुष्ट किये जा सकें। यह मेरा इस संकल्प को लाने का मकसद था और एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ कि जल विद्युत हमारा सबसे बड़ा संसाधन है इसको बहुत गम्भीरता से देखा जाना चाहिए और जिन तरीके से हमारी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास रूका है, उसके कारणों पर और उसकी पृष्ठभूमि पर सरकार को निश्चित रूप विचार करना चाहिए। यह कोई ऐसा प्रश्न नही है कि जिसको इस सदन का कोई भी सदस्य यह सोचकर करे कि यह किस

दल से सम्बन्धित है, यह प्रश्न हमारे राज्य के भविष्य से सम्बन्धित है, हमारे संसाधनों से सम्बन्धित है। हम अपने पड़ोसी राज्यों से, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे समान है, उनसे अगर कुछ शिक्षा या प्रेरणा लेकर उस गति से विकास का प्रयास कर सकें तो निश्चित रूप से यह राज्य के हित में होगा। चूँकि सरकार ने हमारी बात को गम्भीरता से सुना, मैं इस बात से आंशिक रूप से असंतुष्ट रहते हुए भी अधिकांशतः संतुष्ट होते हुए अपने संकल्प को वापिस लेने की अनुमति मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री नवप्रभात द्वारा दिनांक 01 हून, 2012 को प्रस्तुत संकल्प "यह सदन उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने का संकल्प लेता है,

यह सदन उत्तराखण्ड में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावन नदियों के क्षेत्रीय परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखते हुए राज्य के संसाधनों के विकास, स्थानीय निवासियों के रोजगार एवं सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करता है,

यह सदन अनुभव करता है कि राज्य में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण राज्य की ऊर्जा आवश्यकता के साथ–साथ सुदुर क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, रोजगार सृजन, समाजिक उत्थान, आर्थिक प्रगति एवं स्थानीय निवासियों को बेहतर जीवन यापन का अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

इस सदन का सुनिश्चित मत हे कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए आवश्यक सभी निर्देशों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।" जो वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किये जाने का संकल्प

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि इस माननीय सदन की सर्वसम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।

मान्यवर, उत्तराखण्ड को बने लगभग 12 वर्ष हो गये हैं और इस बीच जब उत्तराखण्ड का गठन हुआ तो देहरादून को अस्थाई राजधानी घोषित किया गया। इस 12 साल के अन्तराल में जो राजधानी की आवश्यकतायें हैं, उसके अनुसार निर्माण और अवस्थापना का कार्य देहरादून में इन 12 सालों में हुआ। हम सब जानते हैं कि इस अन्तराल में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय का विस्तारीकरण, राजभवन, एम0एल0ए0 हॉस्टल और सचिवों के आवास तथा कर्मियों के आवास भी बनाये गये। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की विधान सभा के भवन के लिए 88 करोड़ रुपया दिया गया, सरकार द्वारा अभी तक विधान सभा भवन के निर्माण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, आज के युग में किसी भी राजधानी की स्थापना के लिए वहाँ पर रेलवें लिंक, रोड लिंक और एयर लिंक का होना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि हम सभी मन से जानते हैं कि जिन आवश्यकताओं की जरूरत है, वह देहरादून में भलीभाँति विकसित हो चुकी है। हमारे पास जौलीग्रांट का हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है और हाईवे का ऐसा जाल है, जिसका केन्द्र बिन्दु हमारा देहरादून है। यह एक राजनैतिक मुद्दा जरूर रहा है कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए और उसके लिए दीक्षित आयोग का भी गठन किया गया, दीक्षित आयोग ने भी कोई स्पष्ट जगह नहीं सुझाई। मेरा यह मानना है कि जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, लगभग हर व्यक्ति तो मन से यह मान चुका है कि देहरादून हमारी राजधानी है, बस सदन में एक सर्वसम्मति की आवश्यकता है।

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर।)

माननीय मदन कौशिक जी, यह कांग्रेस की बात नहीं है, यह मेरा प्राइवेट बिल है। (व्यवधान) यदि हम सही बात भी सदन में न रखें, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि सभी मन से जानते हैं कि यहाँ से राजधानी नहीं हटने जा रही है। जो कहीं और की भी माँग करते है, उन्हें भी पता है कि राजधानी नहीं हटने जा रही है। यह भी सही है कि यदि आप कही और स्थान पर राजधानी की घोषणा कर दें तो उसके लिए दसियों हजार करोड़ की आवश्यकता होगी, जो इस राज्य के बस की बात नहीं है और यह भी बात सही है आज हम लोग एम0एल0ए0 हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कितने देहरादून में आकर पढ़ते हैं। यदि हम कह दें कि वहाँ पर राजधानी बनाने जा रहे हैं और वहाँ पर एक सरकारी स्कूल और एक डिग्री कालेज खोल दें, तो क्या उस राजधानी के सरकारी स्कूल और डिग्री कालेज में आप बच्चों को पढ़ायेंगे। यहाँ के अधिकारी वहाँ पर पढ़ायें तो मैं मान सकता हूँ कि आप सही बात कर रहे हैं।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, यह इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर एक तरह तो ऐसा संकल्प रख रहे हैं और दूसरी तरह हेलीकाप्टर से गैरसैण जा रहे हैं। वहाँ पर आपने जाकर कैबिनेट करवाई, इतना खर्च करवाया, 30 करोड़ रुपये भवन के लिये दे दिये। (घोर व्यवधान) मिनिस्टर लोग तो हेलीकाप्टर से जायेंगे, हम लोग कैसे जायेंगे, क्या हमको मरवाने की मंशा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, यह सरकार का चेहरा है, ये जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, हम तो टैक्टर से भी चले जायेंगे, इससे आपका चेहरा जाहिर हो रहा है, आप कहीं भी राजधानी ले जायं, लेकिन ड्रामा बन्द करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि और मैं समझता हूँ जो हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं सबसे विनम्र निवेदन है कि स्थायी राजधानी के रूप में देहरादून का संकल्प पारित किया जाय।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, किसी भी प्रदेश की राजधानी, उसका विधान भवन उस प्रदेश की अस्मित का प्रतीक है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है और 12 वर्ष इस प्रदेश को बने हुए हो गये और अभी तक राजधानी पर निर्णय न लिया जाना, विधान भवन जो स्थाई रूप से विधान भवन बनना है, उस पर निर्णय न लिया जाना, यह अपने आप में बहुत ही दुःख का विषय है। मान्यवर, हम भी चाहते थे और ये सदन चाहता था कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो माननीय सदस्य जिन्हें चुनकर यहाँ पर भेजा गया है, जनता ने चुना है, उनकी आवाज जन–जन तक पहुँचाया जाए, उसका सीधा प्रसारण जनता टी0वी0 पर देख सके जैसे अन्य विधान सभाओं या लोक सभा या हमारे राज्य सभा में यह सुविधा उपलब्ध है, परन्तु यहाँ पर स्थान के अभाव में यह सम्भव नहीं हो पाया। इसी प्रकार जो मेरे पत्रकार मित्र पत्रकार दीर्घा में उपस्थित हैं, यद्यपि यदि हम देखें तो उनकी संख्या बहुत अधिक है, जो सदन की सीधी कार्यवाही देखना चाहती है, परन्तु

हमारे पास पत्रकार दीर्घा में इतना स्थान उपलब्ध नहीं है कि हम उन सबको अकोमडेट कर सकें। इसी प्रकार से जो दर्शक दीर्घा है, वे भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है और इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर इसी विधान भवन में ही शार्ट सर्किट से आग भी लगी, क्योंकि ये जो भवन बनाया गया था ये मात्र मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय था ओर जो विधान भवन के लिए हमें यहाँ पर भवन की आवश्यकता है निश्चित रूप से यहाँ पर वो पर्याप्त नहीं है। हम देखते हैं कि जब सदन लगता है तो पूरे हरिद्वार रोड को दोनों ओर से बन्द कर दिया जाता है और इसी तरह से अगर कोई डिफेंस कालोनी की तरफ जाना चाहे तो वे नहीं जा पाता। तो जहाँ एक ओर जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, 12 साल में इन्हीं सरकारों ने राजभवन भी बना दिया, इन्हीं सरकारों ने मुख्यमंत्री आवास भी बना दिया, अगर न बनता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अगर मुख्यमंत्री आवास न बनता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था।

मान्यवर, सचिवालय भी बना दिया, योजना भवन भी बन गया, पुलिस मुख्यालय भी बन गया। अफसोस है कि विधान भवन जिसकी बहुत आवश्यकता थी वह अब तक नहीं बन पाया। जनता बड़ी बेसब्री से इस ओर देख रही है। निश्चित रूप से हमारे देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाॅ दो–दो राजधानियाँ है, जम्मू और काश्मीर है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। मेरा मत है कि इस मसले को ज्यादा देर लटकाये जाना न तो जनहित में है और न प्रदेश के हित में है। जब माननीय जस्टिम श्री दीक्षित जी को इस राजधानी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और हमारी जिम्मेदारी थी कि रिपोर्ट का अध्ययत कर उस पर कार्यवाही करे। उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर आ चुकी है। मेरा आपसे और इस सदन के अनुरोध है कि ये जो गतिरोध बना हुआ है हम सभी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में जनता के हित में यहाँ की खुशहाली के हित में अब समय आ चुका है कि हम एक सुदृढ़ निर्णय लें और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य सिंघल साहब ने प्रस्ताव रखा है तो इस पर निर्णय लेते हुए स्थाई राजधानी का भी, स्थाई रूप से विधान भवन पर माननीय सदन विचार करे और जल्द से जल्द इसकी आवश्कयता को पूरी करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–24 (2) पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाये जाने का संकल्प

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ– "यह माननीय सदन केन्द्र सराकर से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

मान्यवर, जो ये ग्रीन बोनस का मामला है हमारे उत्तराखण्ड में 65 प्रतिशत वन क्षेत्र है। जहाँ 50 से अधिक वृक्षों की प्रजातियाँ लगभग 2449.50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, 06 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 02 आरक्षित वन क्षेत्र हैं व अन्य में नदी, गधेरे, तालाब, पोखर के रूप में है। इस कारण माननीय अध्यक्ष जी, राज्य अपनी भूमि का उपयोग विकास कार्यों हेतु नहीं कर पाता है। केवल20 प्रतिशत भूमि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जाता है। पूरे देश में उत्तराखण्ड राज्य अरूणाचल और सिक्किम के बाद तीसरे स्थान पर है। पूरे प्रदेश का लगभग 24 प्रतिशत वन क्षेत्र हमारे प्रदेश में है। माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि मैंने कहा कि 2449.50 हेक्टेयर भूमि में फैले वृक्षों से लगभग 58671 टन कार्बन संचित कर पूरे देश को आक्सीजन प्राप्त होती है और विलुप्त हो रहे पशुओं जैसे बाघ प्रजाति को हमारे यहाँ से वनों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। दो पड़ोसी राज्य चीन और नेपाल की सीमा हमारे प्रदेश से लगी हुई है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ इन वनों से होने वाली आय की अपेक्षा प्रत्येक वर्ष लगभग 15–20 प्रसेन्ट व्यय बहुत अधिक होता है। मान्यवर, और ये सभी जानते है कि यदि इन वनों में कमी होगी और यह सत्य बात

भी है कि पूरे देश में प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, अतिवृटि और अनावृष्टि एक साथ होने की भावना बढ़ जायेगी और माननीय अध्यक्ष जी, अगर वन कम होगे तो धरती गरम हो जायेगी और धरती गरम होगी तो सभी जानते है ग्लोवन वार्मिंग जैसे कारण उत्पन्न हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ जहाँ पूरे प्रदेश की सेवा हमारे द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और पारिस्थितकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए की जा रही है और माननीय अध्यक्ष जी, जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ है, वो सब हमारे उत्तराखण्ड प्रदेश से होकर निकलती है, जिससे पूरे देश को जीने के लिए महत्वपूर्ण जल प्राप्त होता है। जहाँ एक तरफ इन वनों के द्वारा देश को फायदा पहुँचाया जा रहा है, वही माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य जिसे हम सब लोग देवभूमि के नाम से जानते है, आज भी इस देवभूमि में हमारी माताएं, बहनें, हमारे साथी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे है। इन वनों को लगाने के बावजूद हम लोगों को जो फायदे मिलने चाहिए, वो फायदे नहीं मिल पा रहे है। आज भी हमारी माताओं बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रत्येक दिन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता हैं। यदि कोई बीमार हो जाता है तो सड़क मार्ग न होने के कारण रास्ते में दम तोड देता है। इन वनों के महत्व को भारत सरकार, केन्द्र की सरकार भी जानती है और सरकार की ओर 2004 या 2002 से उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद से बहुत सारी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हो रही है। ये वनों का विनाश न हो जाय, इससे दिक्कते उत्पन्न न हो जायें इसलिए केन्द्र सरकार के द्वारा इन सड़कों के निर्माण पर रोक लगायी गयी है। मेरी नहीं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की समस्या है जब हम लोग बोलते हैं कि भारत सरकार ने वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमारे विधान सभा क्षेत्र की सारी जनता कहती है कि विधायक लोग विधायक बनने के बाद झूठ बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मामला है प्लेन वालों को तो गन्ना चाहिए खाली। (व्यवधान)

मान्यवर, आजकल पर्वतीय क्षेत्रों में एक नया मामला देखने को मिल रहा है। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, 10–10, 15–15 किलोमीटर जब स्कूल पहुँचते हैं और जब प्रार्थना करने के समय वो लाईन में खड़े रहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये सिर्फ मेरी विधान सभा का मामला नहीं है। मैंने अन्य सदस्यों से भी बात की है। मुझे लगता है कि ये लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों का मामला है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो मेरे यहाँ एक झडगाँव इण्टर कालेज है, अभी कुछ ही दिन पूर्व 06 छात्राएं गिर कर बेहोश हो गयी और उसमें से दो छात्राएं गिरने के बाद अजीबो–गरीब हरकत करने लगी। तो आम तौर पर वहाँ के अभिभावकों और प्रधानाचार्य ने सोचा कि शायद कोई देवी–देवता या भूत–प्रेत का मामला है और स्कूल में मंदिर बनाने तक की बात कर दी गयी। लेकिन जो वास्तव में सच्चाई थी वो कुपोषण के कारण और उससे

जो बड़ा कारण था घर से जो 10–15 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से चक्कर आने की बातें हुई थी और ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं सभी पर्वतीय विधायकों के साथ घटित हो रही है। जब उत्तराखण्ड के लोग इन वनों के इतनी समस्याओं के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में इन वनों को सींचते हैं माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बंजर भूमि पर रोज वृक्षों को लगा रहे हैं। इस वजह से कि पूरे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है, धरती गरम न हो और जो आपदाएं आ रही है, वो न आएं। तो ऐसे में, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार को वो सड़कें बनाने की जो कंडीशन उन्होंने लगायी हैं कि मलवा कितना निकलेगा, कहाँ उसको निस्तारित किया जायेगा, ऐसी शर्तों को हटाकर हर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया जाना चाहिए था। ये न होने के बावजूद माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लोग उन वनों की सींच रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड में वनों का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो जब हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं परिस्थितकीय संतुलन बनाकर देख की सेवा कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से केन्द्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। और यही नहीं प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ा जाना चाहिए, पर्वत व वन क्षेत्रों में लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के रहन–सहन व जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक योजनाओं को शत–प्रतिशत योगदान के द्वारा या 90 या 10 प्रतिशत के योगदान से केन्द्र सरकार को मिलना चाहिए और कुल मिलाकर पूरे उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्र की सरकार ग्रीन बोनस दे, यह मैं आपके माध्यम से केन्द्र की सरकार को अपना संदेश देना चाहता हूँ, यही कहते हुए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह, श्री राजकुमार, श्री मदन कौशिक, श्री नवप्रभात, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री राज कुमार ठुकराल, श्री प्रेम सिंह, श्री चन्दन राम दास तथा श्री महावीर सिंह की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल की सूचना जो कि जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत रूद्रपुर किच्छा बाईपास मार्ग पर स्थित कल्याणी नदी पर बने दोनों पुलों का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, जो नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री नवप्रभात

की सूचना जो कि जनपद देहरादून की तहसील विकास नगर में लक्ष्मीपुर, केदारवाला, ढकरानी, सय्यद मार्ग तथा पुलपार नवाबगढ़ आदि स्थानों पर पेयजल नलकूपों के ओवरहैड टैंक न बनने से पेयजल आपूर्ति का पूर्ण लाभ जनता को न मिलने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

अब हम उठते हैं दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 सोमवार 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 04 बजकर 42 मिनट पर सोमवार दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 तक दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादूनः

दिनांक 07 दिसम्बर, 2012

डी0 पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–35 पर)

BSUP/IHSDP योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र0 सं0	स्वीकृत परियोजना	निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	पूर्ण हो चुके भवनों की संख्या	अपूर्ण भवनों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
BSUP					
1.	राम मन्दिर कुष्ठ आश्रम, देहरादून	27	27	–	–
2.	शन्ति कुष्ठ रोग आश्रम, देहरादून	28	24	04	–
3.	रोटरी कुष्ठ रोग आश्रम, देहरादून	34	28	06	–
4.	चकशाह नगर, देहरादून	160	–	160	विवाद के कारण कार्य बाधित होने के दृष्टिगत नई संशोधित डीपी0आर0 भारत सरकार को प्रेषित
5.	काठ बंगला, देहरादून	148	–	148	–
6.	खाला बस्ती, देहरादून	80	–	80	विवाद के कारण कार्य बाधित होने के दृष्टिगत नई संशोधित डीपी0आर0 भारत सरकार को प्रेषित
7.	रामनगर मलिन बस्ती, देहरादून	224	–	224	–
8.	निरंजनपुर, ब्रह्मपुरी, फोज–1 देहरादून	240	–	240	विवाद के कारण कार्य बाधित
9.	निरंजनपुर, ब्रह्मपुरी, फोज–2 देहरादून	241	–	241	–
10.	पाण्डेवाला, हरिद्वार	96	96	–	
11.	दुर्गापुर, नैनीताल	200	–	200	
	योग	**1658**	**175**	**1483**	
IHSDP					
1.	श्रीनगर	53	28	25	
2.	पौड़ी	178	80	98	
3.	महुवाडाबरा	266	156	110	
4.	महुआखेड़ागंज	403	120	283	

1	2	3	4	5	6
5.	दिनेशपुर	387	133	254	
6.	काशीपुर	428	196	232	
7.	लालकुंआ	100	06	94	
8.	पिथौरागढ़	200	29	171	
9.	कालाढुंगी	290	135	155	
10.	किच्छा	159	41	118	
11.	चम्पावत	73	16	57	
12.	मसूरी	96	–	96	
13.	अल्मोड़ा	217	45	172	
14.	जसपुर (फेस–1)	192	36	156	
15.	जसपुर (फेस–2)	48	36	12	
16.	लण्ढौरा (फेस–1)	264	84	180	
17.	लण्ढौरा (फेस–2)	100	91	09	
18.	हल्द्वानी	501	27	474	
19.	हल्द्वानी–काठगोदाम	422	76	346	
20.	विकासनगर	194	126	68	
21.	मंगलौर	461	117	344	
22.	रूद्रपुर	378	–	378	निर्माण कार्य हेतु धनराशि निर्गत की जा रही है।
	योग	5410	1578	3832	
	महायोग	7068	1753	5315	

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 विधान सभा/309–29–06–2013–000 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।